खण्ड-479, अंक-7
बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(06 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
विधायक निधि का बजट भाषण में कोई उल्लेख न होने से बनी अनिश्चितता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	7-8
प्रश्नोत्तर	9-66
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	66-68
वाराणसी में कोनिया, खालिसपुर, अमीनाबाद आदि अनेक क्षेत्रों के लोगों की परेशानी को देखते हुए एक मिनी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
छावनी परिषद् मेरठ को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान पर रोक लगने के कारण छावनी परिषद् की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद बहराइच में समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 परिवारों को पुनर्वास हेतु दिये गये पट्टों की जमीन पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद फिरोजाबाद के दिल्ली-कानपुर रेलवे मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69-70
नेपाल सीमा से लगे 15 कि0मी0 की दूरी तक उर्वरक लाइसेन्स निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
विधान सभा रसड़ा के 15000 से अधिक आबादी वाला गांव सराय भारती एवं हजौली जो कि पेयजल समस्या से ग्रसित है वहां पर ओवरहेड टैंक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
विधान सभा क्षेत्र इगलास, अलीगढ़ के कतिपय नालों की सिल्ट सफाई शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सदर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
विधान सभा क्षेत्र महोली/मिश्रिख, जनपद सीतापुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद बलिया में बेल्थरा रोड से सिकन्दरपुर होते हुए जिला मुख्यालय बलिया तक सड़क धीमी गति से बनाने एवं ठेकेदार द्वारा 15 कि0मी0 तक सड़क छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार के अन्तर्गत बड़हलगंज में नारकोटिक्स विभाग की भूमि शवदाह स्थल के रूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद फतेहपुर में कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा में टाण्डा फाल से निकली नहर, हरई माइनर व बीरपुर माइनर का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
विधान सभा गंगोह में नानौता शुगर मिल से एवं मधुसूदन दूध फैक्ट्री से निकलने वाले रसायनिक उत्प्रवाह से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत बदला इलाहाबाद रोड पर बरपुर गांव में टूटी पुलिया ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	75
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार विधान सभा के तीन अधिवेशन एवं 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	75-79
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	79
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	79-112
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी) ...	112-147
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	147-150
जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के आर्सेनिकयुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री को वक्तव्य का स्थगन	150
कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने, पानी की लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	150

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा के ग्राम कोहारी में भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित लोगों के उचित इलाज एवं आर्थिक सहयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	150-152
जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी में बने लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में स्टाफ बढ़ाने एवं उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	152-154
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में गण्डक नदी से हो रहे कटान से बचाने हेतु तटबन्धों एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	154-156
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले प्रमुख राजबहों में टेल तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	156-157
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत थाना निगोही में अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	157-161
जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	161-163
भारतीय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम उ0प्र0 के सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्डों में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कमिश्नरों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	163-164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 06 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-336

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
40. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
41. आशीष यादव, श्री — बदायूं
42. इकबाल, श्री — बिजनौर
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
50. उदयराज, श्री — उन्नाव

51. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
54. उमाशंकर, श्री बलिया
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओम कुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
61. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
63. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
64. कामेश्वर, श्री देवरिया
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
71. कैलाश, श्री गाजीपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगपाल, श्री सहारनपुर
90. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
93. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
94. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
95. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
107. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
108. दलजीत सिंह, श्री बांदा
109. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
110. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
111. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
112. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी

113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज, श्री बाराबंकी
118. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
120. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
121. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
124. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
133. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
134. पीतमराम, श्री पीलीभीत
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
137. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
138. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
139. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
142. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
143. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
144. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
145. फेरन लाल, श्री ललितपुर
146. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
147. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
148. बदलू खां, श्री उन्नाव
149. बब्बन, श्री चन्दौली
150. बाबूलाल, श्री गोण्डा
151. बावन सिंह, श्री गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
153. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
154. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
155. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
156. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
157. बैजनाथ, श्री मऊ
158. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
159. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
160. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
161. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
162. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
163. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
164. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
165. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
166. मनबोध, श्री देवरिया
167. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
168. मनीष रावत, श्री सीतापुर
169. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
170. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
171. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
172. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
173. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
174. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
175. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
176. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
177. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
178. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर

179. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
180. मानपाल सिंह, श्री कांशीराम नगर
181. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
182. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
183. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
187. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
188. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
189. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
190. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
191. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
192. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
193. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
196. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
197. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
198. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
199. यासर शाह, श्री बहराइच
200. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
201. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
202. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', श्री प्रतापगढ़
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रणजीत सुमन, श्री एटा
205. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
206. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
207. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
208. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
209. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
210. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
211. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
214. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
217. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
218. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
219. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
220. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
221. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
222. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
223. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
224. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
226. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
227. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
228. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
229. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
230. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
231. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
232. राम करन आर्य, श्री बस्ती
233. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
234. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
235. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
236. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
238. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
239. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती

240. राम मगन, श्री बाराबंकी
241. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
243. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
244. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
245. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
246. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
247. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
248. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
249. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
250. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
251. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
254. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
255. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
256. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
257. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
258. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
259. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
262. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
263. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
264. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
265. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
266. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
267. विजय सिंह, श्री रामपुर
268. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
269. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
270. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
271. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
272. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
273. वीरपाल राठी, श्री बागपत
274. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
275. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
276. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
277. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
278. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
279. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
280. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
281. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
282. शाकिर अली, श्री देवरिया
283. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
284. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
285. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
286. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
287. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
288. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
289. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
290. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
291. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
292. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
293. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
294. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
295. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
296. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
297. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
298. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
299. संजय कपूर, श्री रामपुर
300. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
301. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद

302. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
303. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
304. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
306. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
307. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
308. सन्तराम, श्री जालौन
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
311. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
312. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
313. सियाराम सागर, डा0 बरेली
314. सीमा, श्रीमती जौनपुर
315. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
316. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
317. सुधाकर, श्री मऊ
318. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
319. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
320. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
321. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
322. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
323. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
324. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
325. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
326. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
327. सुल्तान बेग, श्री बरेली
328. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
329. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
330. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
331. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
332. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
333. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
334. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
335. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
336. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
337. रिक्त मथुरा

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

विधायक निधि का बजट भाषण में कोई उल्लेख न होने से बनी अनिश्चितता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था आपसे चाह रहा हूं। कल से लगभग सैकड़ों विधायक मुझसे मिलने आ रहे हैं। संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि प्रश्न का प्रहर है। विधायक निधि के बारे में एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है क्योंकि बजट भाषण में उसका कहीं उल्लेख नहीं इसके पहले हर बजट भाषण में उसका उल्लेख होता था तो यह बात स्पष्ट हो जाय क्योंकि विधायक के पास विकास करने का और कोई आधार है नहीं सिवाय विधायक निधि के क्षेत्र में जाते हैं तो विधायक निधि से कुछ करा पाते हैं। इस बार न आने से एक अनिश्चितता का वातावरण बन गया। हालांकि सैकड़ों विधायक मुझसे मिले कल से मैंने सोचा कि अध्यक्ष जी के सामने सबकी भावना व्यक्त कर दूंगा, वह सहमत होंगे।

हमारे हितों के रक्षक कौन हैं आप ही हैं मान्यवर, यह सबसे सम्बन्धित है अकेले हमसे सम्बन्धित नहीं है जितना भी यह सदन बैठा हुआ है सबसे सम्बन्धित यह प्रश्न है और संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं और नामांकन भी दाखिल करके आये हैं, वायदे भी बहुत करके आये हैं, काम भी सब हो जायेंगे लेकिन जब यह बैठे हुए हैं तो कम से कम यह बात स्पष्ट तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर हो जाये, प्रश्न प्रहर के बाद आप इसको उठाइये। आप खुद उपाध्यक्ष रहे हैं, आप नियम जानते हैं प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए, मुख्य मंत्री जी रहेंगे आप शायद चिन्तित होंगे कि वह चले जायेंगे, आप बैठिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो मैं जानता हूं उसी के आधार पर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी तो सहृदय हैं वह कभी ऐसी गलती करेंगे नहीं और वह करेंगे भी नहीं मुझे पूरा विश्वास है और इस समय हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं घर ठीक रहेगा तो प्रदेश ठीक रहेगा घर ठीक कर रहे हैं बहुत अच्छा ठीक हो जाय यह मैं चाहता हूं पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं सबके घर हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं विधायक निधि नाम की कोई चीज है ही नहीं, विधायक निधि तो समाप्त हो चुकी है। विधान सभा क्षेत्र विकास निधि है। हम विधायकगण सिर्फ उसमें सलाह देते हैं यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सवा करोड़ की धनराशि ठीक न लग रही हो, यह मुझे मालूम है क्योंकि वह जैसे हैं उनको यह नाजायज बात बिल्कुल पसन्द नहीं आ रही होगी। 100 करोड़ रुपये में जो लोहे का तो दाम बढ़ गया, ईंट का दाम बढ़ गया, मजदूरी का दाम बढ़ गया, इसे बढ़ाना

चाह रहे होंगे मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे उसमें कोई शक नहीं है सिर्फ चूंकि एक अनिश्चितता का वातावरण है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे जो माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाय वरना पूरे प्रदेश का विकास रुक जायेगा। मैं कहता हूं कि प्रदेश के विकास का एक मात्र फार्मूला है कि दो तीन चार टुकड़ों में नहीं इसे चार से तीन टुकड़ों में विधान सभाओं के अनुसार विकास के लिये विभाजित कर दिया जाये और जब इन 4 से 3 में बराबर विकास हो जायेगा तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास हो जायेगा तो जो लोग मान्यवर, विकास की बात करते हैं मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कह दें।

श्री अध्यक्ष-

अरे यह प्रश्न प्रहर है। प्रश्न प्रहर में यह सब नहीं उठाते हैं। हुकुम सिंह जी खुद ही उपाध्यक्ष रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से और उनके विधान सभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ प्रकरण है और मान्यवर, अभी भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल के नेता और कांग्रेस विधान मण्डल के नेता ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मान्यवर, हम आपसे केवल यह अनुरोध कर रहे हैं चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी खुद सदन में मौजूद हैं और मान्यवर, आप सर्वोच्च पद पर हैं लेकिन उससे पहले आप भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के सदस्य हों सभी माननीय सदस्यों की अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रति जवाबदेही को और आवश्यक विकास कार्यों को करने के लिये विधायक क्षेत्रीय निधि की जो व्यवस्था की गई थी।

श्री अध्यक्ष-

उसको बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं तो कह दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसका मतलब है आप समझे ही नहीं। मान्यवर, इस विधायक निधि का उल्लेख बजट पुस्तिका में है ही नहीं। प्रत्येक बजट पुस्तिका में इसका उल्लेख होता था। इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता था कि कितना धन हम आवंटित कर रहे हैं। मान्यवर, इसका कोई जिक्र ही बजट में नहीं किया गया है। अब हालत असमंजस की है कि यह विधायक क्षेत्रीय विकास निधि है कि नहीं। सभी माननीय सदस्य और विशेष करके इस बार ज्यादातर नये सदस्य जीतकर आये हैं और जब नये सदस्य जीतकर आये हैं तो उनकी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी होगी इसीलिये मैं इसे आपके संज्ञान में लाते हुए कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हो गया। अब बैठ जायं। प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने अनुमति दी तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, सदन की सारी कार्यवाही आपके आदेश पर चलती है। मान्यवर, मैं तो इसलिये कह रहा हूं चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तो इस पर उनका उत्तर भी आ जाय और उसके बाद आगे की कार्यवाही चले।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें मैं कैसे कम्पैल कर सकता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ? (पूरन प्रकाश के बोलने के लिये खड़े होने पर) यह तो परम्परा के विपरीत हो रहा है। यह जीरो आवर में उठाना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में इसको उठाकर आप अपने ही समय के साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं। किसी और समय में यह उठाया जा सकता था। आप देखियेगा चमत्कार होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चमत्कार में दोगुना भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ने के वर्तमान पेराई सत्र का भुगतान

**1-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का गन्ने के वर्तमान पेराई सत्र का कुल कितना बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (ठाकुर मूलचन्द्र चौहान)-

वर्तमान पेराई सत्र, 2011-12 में दिनांक 28-5-2012 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर रु0 3232.34 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

पेराई सत्र, 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9360/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20-4-2012 द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त 07 मई, 2012, द्वितीय किश्त 07 जून, 2012 तथा तृतीय किश्त 07 जुलाई, 2012 तक करने के आदेश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के क्रम में अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें जो अभी रु0 3232.34 करोड़ भुगतान हेतु बकाया बताया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कितना बकाया है ? सहकारी फेडरेशन की चीनी मिलों पर कितना बकाया है और जो भुगतान में डिले हुआ है इसको क्या ब्याज सहित मंत्री जी भुगतान करायेंगे ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी चीनी मिल पर 550.52 करोड़ अवशेष है। निजी चीनी मिलों पर 2681.82 करोड़ चीनी मिलों पर भुगतान अवशेष है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने यह पूछा कि क्या नियमों में यह व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष-

ऐक्ट में संशोधन भारत सरकार ने किया था कि अगर 15 दिन से ज्यादा अगर किसी किसान का भुगतान रह जाएगा तो 15 दिन बाद ब्याज सहित वापस कराया जाएगा तो इस नियम को मानते हुए क्या इसका ब्याज सहित भुगतान करायेंगे ? क्या इसको आप मानते हैं ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान-

तीन किश्तों में जो भुगतान करने का आदेश दिया गया है उसके सापेक्ष में 1473.48 करोड़ का भुगतान....

श्री अध्यक्ष-

इनका यह प्रश्न नहीं है इनका प्रश्न है कि 15 दिन के लिए जो वसूली ऐक्ट बना था उसमें संशोधन किया गया था कि जो मिलें 15 दिन के अन्दर किसानों का भुगतान नहीं करेंगी, उन पर शेष धनराशि रहेगी तो वह ब्याज सहित वसूली होगी। हमने भी पहले इसमें सवाल किया था, मिलों में कोर्ट से दावा हुआ था मेरे जिले से, कोर्ट ने यह कहा कि जो मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है उस पर आप ब्याज सहित वापस करा सकते हैं, इसमें आप बता दें ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान-

नियमों का पालन निश्चित रूप से किया जाएगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं तीन किश्तों में भुगतान होता है 7 मई से आज 6 जून हो गया एक महीना बीत चुका है। पूर्वांचल की गरुणा चीनी मिल पर 3 करोड़ 89 लाख रुपये और सरदार नगर चीनी मिल पर एक करोड़ 7 लाख रुपया 7 मई को बकाया हो गया। आज एक महीना बीत चुका है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह दोनों चीनी मिल जिनका मैं नाम ले रहा हूं जिनको सात मई तक भुगतान कर देना था और अब तक नहीं किया है। आप स्वयं सदन में कह रहे हैं कि तीन किश्तों में भुगतान होना चाहिए था तो इन दोनों मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अगर नहीं की है तो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी गरुणा चीनी मिल और सरदार नगर चीनी मिलों के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है इसको दिखवा लेंगे और निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जनपद मथुरा में छाता शुगर मिल है यह सरकारी शुगर मिल है यह तीन-चार वर्षों से बन्द पड़ी है। अभी तक किसानों के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं क्या मंत्री जी छाता शुगर मिल को पुनः चालू करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह चालू कराने का प्रश्न नहीं है, भुगतान कराने का प्रश्न है। हमारी बात भी सुन लीजिए, हम भी गन्ना बोते हैं, आप ही नहीं बोते हैं। मिल चले या न चले, यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न गन्ना भुगतान का है। कितना बकाया है, उन्होंने बता दिया, अब आप पूछ सकते हैं कि आपके गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान सरकार करायेगी या नहीं, यह प्रश्न बनता है तो इतना ही पूछिये। अब बैठिए। माननीय मंत्री जी, इनके मिल का कुछ बकाया है, जो मिल बन्द हो गयी हैं, उसके भुगतान की कोई व्यवस्था करायेंगे ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो किसानों का गन्ना बकाया है, निश्चित रूप से एक-एक पैसे का गन्ना बकाये का भुगतान दिलाया जायेगा।

(कई सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

अब रुक जाइये, वह कोई बहुत बड़ा प्रश्न था, गन्ना बकाये का प्रश्न था, बैठिए।

प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से अग्निपीड़ितों के लिए राहत कार्य की जानकारी

**2-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से कितने घर जले, कितनी मौतें हुईं तथा कितने लोग घायल हुए ? सरकार द्वारा अग्निपीड़ितों के लिए अब तक क्या-क्या राहत कार्य किये गये ? क्या सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश में इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से 4019 घर जले और 54 लोगों की मौतें हुईं तथा 06 लोग घायल हुए।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार घायलों, मृतकों एवं मृतक पशुओं तथा घरों (मकान, झोपड़ी) के नुकसान पर अहेतुक सहायता के रूप में राहत सहायता रु0 1,90,96,950/-की धनराशि वितरित की गई।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम अक्सर देखते हैं, पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो आपदा की घटनाएं घटती हैं, उनके प्रति वह तत्परता सरकारों ने नहीं दिखायी है जो दिखाई जानी चाहिए। यहां मैंने बात की, ग्रीष्म ऋतु है, आग जगह-जगह लग रही है। यह जो जवाब आया है, बिल्कुल रूटीन जवाब है, हम जानना चाहते हैं, आपने हर बार कह दिया कि एन0डी0आर0एफ0 के अनुसार, एन0डी0आर0एफ0 के अनुसार। पहली बार जिन 54 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको राहत राशि के रूप में उनके परिजनों को क्या दिया गया ? कितना रुपया दिया गया ? जो घर जल जाते हैं, बांदा का मैं एग्जाम्पिल दे देती हूं, एक गांव में 110 घर जले, आपने एक-एक घर के पीछे 80 लोगों को 25-25 हजार दिया। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक-एक घर में 20-20 कमरे होते हैं, 5-5, 6-6 परिवार रहते हैं तो क्या एक परिवार को जहां करोड़ों की सम्पत्ति पूरे गांव की जल गयी हो, कहीं-कहीं तो 400 रुपया, 500 रुपया देते हैं। 500 रुपये में तो आप दो बर्तन भी बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। तो जब आप बड़ी-बड़ी पालिसीज की बात करते हैं तो इस सन्दर्भ में आप अपनी ओर से क्या कर रहे हैं ? सेकेण्ड क्विशचन मैं यह जानना चाहूंगी कि यह लोग कौन हैं, इन लोगों को कितनी धनराशि प्रति व्यक्ति आपने दी ? दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि एन0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत जो फायर ब्रिगेड है या जो दमकल की व्यवस्था है, आग बुझाने के लिए उसके क्या मानक तय किये गये हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में घर पूरा स्वाहा हो जाता है, तब 3, 4, 5 घण्टे बाद दमकल पहुंचता है, उसका क्या मानक है और उस मानक को उत्तर प्रदेश में कहां तक आप स्थापित कर पाये हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, दो प्रश्न आपने पूछे हैं और अपने वक्तव्य में कई सारी जानकारियों के बारे में वक्तव्य दिया है, अगर आप चाहेंगी तो वह जानकारी मैं आपको दे दूंगा अन्यथा दो प्रश्न मुख्य रूप से आपके हैं। मैं अपने प्रश्न का उत्तर दूं, उसके पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जनरल विज, जब पहली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर आपदा राहत के लिए एथॉरिटी बनी तो जनरल विज उसके उपाध्यक्ष हुए। अध्यक्ष इसके प्रधान मंत्री जी पदेन होते हैं तो उपाध्यक्ष की हैसियत से जब जनरल विज लखनऊ आए और पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी से कट्स विजिट पर 5-कालीदास मार्ग पर आये तो मैं यह विभाग देख रहा था और उन्होंने बुलाया और यह कहा कि उत्तर प्रदेश में आपदा राहत के सम्बन्ध में जैसा कार्य हुआ है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसा कार्य दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। इसलिए यह बात कहना मुनासिब नहीं है। हर बात पर टिप्पणी करके अपने को हीन करना या सारी चीजों को रिजेक्ट कर देना मुनासिब नहीं है। माननीय प्रश्नकर्ता इस सदन में नई सदस्य जरूर है लेकिन प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली नेता है। इसलिए मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि सहयोग कितना मिले इस पर बात होनी चाहिए लेकिन यह टिप्पणी कि ऐसा कुछ होता नहीं है यह बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हम दरअसल मुआवजा नहीं देते, राहत की राशि देते हैं और राहत की राशि देने के लिए जो निर्देश हैं उन निर्देशों से हम अलग नहीं जा सकते। आपने प्रश्न पूछा कि आप अपनी ओर से क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें जब जैसी आवश्यकता होती है हम अपनी ओर से बढ़ाने का काम करते हैं।

पिछली बार जब एक लाख अनुमन्य था तो राज्य सरकार के बजट से अपने प्रदेश की ओर से मृतक परिवारों को हमने एक लाख रुपया अतिरिक्त रूप से देने का काम किया था। सदन को जानकारी है और यहां सारी बात आयी है। इस वर्ष आप लोगों के अनुरोध पर अग्निकाण्ड में मृतक व्यक्ति के लिए यह राशि डेढ़ लाख रुपया है। हम प्रयास यह करेंगे कि स्थिति के हिसाब से जहां जैसी आवश्यकता है वह करते हैं और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। आमतौर पर इसमें मरने वाला व्यक्ति किसान होता है और किसान दुर्घटना बीमा जो समाजवादी पार्टी ने ही लागू किया था पिछली बार एक लाख रुपया मृतक के लिए अनुमन्य थी यह इस राशि से अलग है और हमने उस राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपया किया है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो दमकल के मानक के सम्बन्ध में था। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि दमकल के मानक में गांव की परिभाषा नहीं दी गयी है कि कितने गांव पर कितने दमकल होंगे। यद्यपि हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि दमकल गांव में रखा नहीं जा सकता। चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और तीन बार अपना गांव जलते हुए मैंने देखा और मुझे पता है। वैसे आजकल मोबाइल से जल्दी सूचना पहुंच जाती है और जब तक दमकल मुख्यालय से गांव तक पहुंचती है लेकिन जितनी देर में यह झोपड़ी जलती है उतनी देर में दमकल का आकर उसको बुझा पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वह आकर इसलिए आग बुझा देता है कि आगे के लिए उसका विस्तार न हो। मुझे निजी तौर पर अनुभव है कि 20 मिनट में पूरा गांव जल जाता है। लेकिन दमकल की आवश्यकता है। अधिक से अधिक और फायर स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि जिन जगहों पर भी दमकल हैं उनसे उतनी जगहों पर आग बुझाने का काम नहीं हो पा रहा है और उसका कोई निश्चित मानक नहीं है कि कितने गांव पर फायर सर्विस सेंटर बनाया जाये और उस पर कितनी दमकल रखी जायें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे कद को काफी नापा यहां पर, मुझे अच्छा लगा। परन्तु उन्होंने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने घुमा दिया। मैंने उनसे पूछा था कि जो 4 हजार लोगों में आपने जो 54 लोगों की मृत्यु की बात बतायी है इनको आपने कितनी धनराशि दी। इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुना दी। मैंने आपसे पूछा कि आबादी का मानक क्या है और मैंने कभी मुआवजा शब्द नहीं कहा, मैंने कहा था कि राहत राशि कितनी देते हैं। मैंने पूछा था कि मानक क्या है और क्या आप उस मानक को कुछ हद तक पूरा कर पाये हैं ? मैं कोई इन पर आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं इनसे जानकारी चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष-

उनका प्रश्न यह है कि आपदा राहत देने का मानक क्या है। दूसरा प्रश्न इनका है कि आपने कितनी धनराशि दी है और राहत देने का मानक क्या है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने समझा कि उन्होंने पूछा है कि दमकल का मानक क्या है, तो मैंने कहा कि दमकल का मानक नहीं है और राहत देने का मानक है मान्यवर, मैं बता रहा हूं, मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता 1.5 लाख यानी डेढ़ लाख रुपये प्रति मृतक और यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में अभिसूचित प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत मृत्यु हो जायेगी तो उसके परिवार को

इस योजना के अन्तर्गत राहत देना संभव नहीं है, देश में होगी तो देना संभव है। किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता 43 हजार 05 सौ रुपया, 80 प्रतिशत से अधिक अपंगता हो जायेगी तो 62 हजार रुपया, मान्यवर गम्भीर चोट जिसके कारण एक हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, 09 हजार 03 सौ रुपया प्रति व्यक्ति और 31 सौ रुपया जिसके कारण एक सप्ताह से कम उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा 31 सौ रुपया प्रति व्यक्ति, जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह गये हैं या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं, 13 सौ रुपया प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर, 14 सौ रुपया प्रति परिवार बर्तन, घरेलू सामग्री हेतु, मान्यवर, दिक्कत यह है कि माननीया प्रश्नकर्ता सदस्य मेरा उत्तर नहीं सुन रही है और उठकर तुरन्त बता देती है कि मैंने उत्तर ही नहीं दिया, यह मेरी कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर दे दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसीलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, उधर नहीं दे रहा हूं। मान्यवर, आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों हेतु आर्थिक सहायता, मान्यवर, उन्हीं व्यक्तियों को दी जायेगी जिनके पास संचित खाद्य सामग्री न हो, 30 रुपया प्रति वयस्क और 25 रुपया प्रति अवयस्क जो राहत कैम्पों में आवास नहीं कर रहे हैं और जितने दिन उनको देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम देंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मैंने मानक नहीं पूछा, मैंनें पूछा मा0 अध्यक्ष जी अभी इतने लोगों को आपने कितना रुपया दिया ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपने मानक ही पूछा था।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैंने पूछा आग बुझाने के लिए दमकल की क्या व्यवस्था का मानक है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम समझ गये, मा0 मंत्री जी, मा0 बहुगुणा जी कह रही हैं कि जो दैवीय आपदा में घर जले हैं उनको कितनी धनराशि आपने दी और जले वाले का ही मानक इन्होंने पूछा था, कितना देना चाहिए था।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आई0ए0एस0 की परीक्षा के भी प्रश्नपत्र सेट किये पर प्रश्न पूछने में मैं इतनी कमजोर हूं, यह मुझे आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, देखिये आबादी मान लीजिए एक ब्लाक की आबादी ले लीजिए या एक जिले की आबादी ले लीजिए या पूरे प्रदेश की ले लीजिए, क्या कोई सिस्टम बनाया गया है, कोई व्यवस्था है कि इतने लाख पर इतने हजार आबादी पर हम इतने दमकल की व्यवस्था रखेंगे और क्या उस मानक को हमने पूरा किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया सम्मानित सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैं दे चुका हूं पुनः देना चाहता हूं कि दमकल कितनी आबादी पर, कितनी दूरी पर हो, इसके लिए आज तक कोई मानक नहीं बनाया गया न एम0डी0आर0एफ0 ने इस पर कोई निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस खत्म हो गई बात।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अगर समझदार नासमझ बनने की कोशिश करें तो उसे समझाया नहीं जा सकता और हमारे राजस्व मंत्री जी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जवाब देना चाहते, न दें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न और बिल्कुल सीधा सा उत्तर चाहता हूं, मंहगाई बढ़ गई है, गरीब की झोपड़ी, गरीब का घर जलता है तो वह जिन्दा तो रहता है लेकिन उसकी जिन्दगी समाप्त हो जाती है मान्यवर, परिवार में बेटियां होती हैं, शादी के लिए रखा रहता है। मेरा एक बिल्कुल मानवीय सा प्रश्न है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह जो मानक है कि घर जल जाने पर कितना पैसा दिया जाय, कभी-कभी उसको लेकर जाने पर खुद पे शर्म महसूस होती है। लगता है कि हम जिसके दरवाजे पर गये हैं वह जला पूरा घर दिख रहा है, उसे 3200/, 4200/- देते हैं। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, क्या मा0 राजस्व मंत्री जी कृपापूर्वक जिनके घर शत-प्रतिशत जल गये हैं या लगभग जल गये हैं, उनको दी जाने वाली सहायता राशि, अनुमन्य सहायता राशि, राहत राशि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। सहायता राशि या राहत राशि को बढ़ाने पर क्या कृपापूर्वक विचार करेंगे मेरा बस इतना सा ही सवाल है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके जो मानक तय किये जाते हैं, वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है। जो यह विषय है इस कारण कोई राज्य अलग-अलग तय नहीं कर सकता। हम अपनी सरकार की ओर से यह व्यवस्था करते हैं जो हम बताना चाहते हैं आपको। यह व्यवस्था करते हैं कि जो अनुमन्य है वह राशि तो उस मद में दी ही जाये लेकिन उसके अतिरिक्त जो शक्तियां लगायी गयी है, आपने जिक्र किया था मा0 सदस्य ने, हम उसके नाते उसको बढ़ा के कैसे देते हैं, वो आपको अवगत कराना चाहते हैं। जैसे आमतौर पर पूर्व में शिकायतें मिलती थीं, अभी हमने निर्देश दिये हैं लोगों को। शिकायत यह मिलती थी कि एक परिवार में 20 लोग रह रहे हैं, 20, 22 लोगों का एक परिवार है और 22 लोगों के एक परिवार में जब कोई राहत राशि लेकर के 3200, 4200 पहुंचता है। जैसा कि मा0 प्रमोद तिवारी जी ने कहा है तो बड़ा ऐसा लगता है कि उतना रुपया तो जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र भ्रमण पर जाता है तो किसी से, दूसरों से मांग करके और सामूहिक सहयोग से भी उनको अनाज और दूसरी चीजें देकर के आता है और लगता है कि बड़ा कम रह गया तो हमने इस बार दूसरे निर्देश जारी किये हैं कि जो पी0डी0एस0 सिस्टम के लिये फैमिली यूनिट है, उसी को एक यूनिट माना जाये। सिर्फ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक यूनिट माना जाये और उसके हिसाब से जितने लोग हैं उतनी मान करके, उतना उनका भुगतान किया जाये। इसमें पूरी उदारता से किया जाये, इसके निर्देश मैंने जारी किये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट पूछा था और मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सहायता राशि मैंने यह नहीं पूछा कि मानक क्या है। क्या सहायता राशि को कृपापूर्वक बढ़ाने पर विचार करेंगे, अगर चाहें तो मैं सुझाव भी दे सकता हूं। मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार हमेशा मिनिमम फिक्स करती है, मैक्सिमम पर रोक नहीं लगाती है। मिनिमम तो फिक्स है न्यूनतम, उसे अधिकतम अगर यह प्रदेश सरकार देना चाहे तो मान्यवर, वह दे सकती है, इस पर कहीं कोई रोक भारत के संविधान में नहीं है। हमेशा न्यूनतम करती है वो। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जो मानक हैं उसको थोड़ा बढ़ाकर अपनी ओर से, जिसको कहा जाता है मैचिंग, मैचिंग ग्राण्ट कही जाये, मैचिंग सहायता कही जाये, मैचिंग राहत कही जाये एक चीज और दूसरा सुझाव जो आपको पसन्द आयेगा, सदन को पसन्द आयेगा। इसमें कुछ नहीं लगेगा हैण्डपम्प लगते हैं। मान्यवर, घरों का आप जानते हैं कि कई रूप से घरों को दिया जाता है और उसको किस तरह कभी-कभी बांटा जाता है जो कुछ होता है आप भी देखते हैं कि किस तरह बंटता है। फिर भी यह कर दें कि अगर वह पात्र हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपात्र को दिया जाये। अगर पात्र हो तो मान्यवर, उसे आवास और पेयजल में अतिरिक्त रूप में प्राथमिकता दे दी जाये। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और मैं समझता हूं कि बड़ा मानवीय सा आधार है। इसमें सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश चला जाये कि जिन घरों में आग लगी है जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया है, अगर वो पात्र आते हैं तो आवास और पेयजल की सुविधा उनको प्राथमिकता से आपस के एस0डी0एम0 दे दें। मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं और यह कह रहा हूं कि जो राशि निर्धारित है उसमें कुछ मैचिंग दे दी जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

बहुत अच्छा, अच्छा सुझाव है मान्यवर। मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि दैवीय आपदा के कारण प्रभावित लोगों को 2 प्रतिशत जो टोटल इंदिरा आवास की जो लिस्ट है उसमें से 2 प्रतिशत दिये जाने का प्राविधान है और हम उसमें से उनको देने के लिये मान्यवर, निर्देशित है और मैंने पुनः यह कहा कि जो मा0 प्रमोद तिवारी जी ने सदन में यह कहा कि मिनिमम राशि है तो मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि न ये मिनिमम राशि है, न मैक्सिमम राशि है। यह नियत राशि है, यह फिक्स्ड एमाउण्ट है इसलिये यह फिक्स्ड एमाउण्ट दिया जाता है, नियत राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से जो वहां पर बाकी आवश्यकता होगी मान्यवर तो उसके अनुसार तात्कालिक तौर पर जो भी संभव है वो दिया जाता है और उसमें जहां तक हैण्डपम्प लगाये जाने का सवाल है उसको भी प्राथमिकता से लगाया जाये। यह बात आपकी उचित है और मैं समझता हूं कि प्राथमिकता में जहां जिस बस्ती में आग लग जाये, वहां अगर पेयजल की सुविधा नहीं है तो सबसे पहले वहां लगना चाहिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रश्न का सारा उत्तर आ गया है, अब इसमें कोई दम नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्तमान व्यवस्था यह है कि जिन लोगों को यह राहत राशि दी जाती है उन लोगों को आवास से वंचित कर दिया जाता है। उनका नाम आवास से काट दिया जाता है कि ये राहत राशि ले चुके हैं, इसलिए आवास नहीं मिलेगा। यह व्यवहारिक स्थिति है, मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा ही हो रहा है। मान्यवर, मैं केवल एक बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये आग उन्हीं घरों में लगती है, जहां छप्पर है। वर्तमान सरकार गरीबों की है, किसानों की है ये कब तक छप्पर रहित गांव बना देंगे इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, बता दें। मान्यवर, यह छप्पर रहित गांव कब तक बना देंगे ? मान्यवर, यह कब तक ऐसा कर देंगे, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी आप सुविज्ञ हैं कि क्रोध में कही हुई बात मान्यवर, वह विवेक से समर्थित नहीं होती। तो अगर कोई क्रोध में कोई प्रश्न पूछता है तो मान्यवर, निश्चित रूप से आप समझिए कि वह विवेक का समर्थन उसमें नहीं लेना चाहता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मा0 खन्ना साहब विवेकहीन हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह आपका मत है। मा0 प्रमोद तिवारी जी दुधारी तलवार हैं, दोनों तरफ काटते रहते हैं बीच में बैठकर।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना उत्तर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और क्रोध में मान्यवर, उन्होंने दूसरी बात पूछ ली। जहां तक उन्होंने यह कहा है कि पूरा प्रदेश कब तक झोपड़ी से मुक्त हो जाएगा। यह पूरा प्रदेश झोपड़ी से मुक्त हो जाए, यह पूरे सदन की मंशा हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा देना संभव नहीं है।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुपूरक प्रश्न यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र में एक गांव है कीलापुर वहां की एक महिला सुखदेवी पाल के यहां आग लग गई थी, वर्ष 2011 में जब मैंने एस0डी0एम0 से वार्ता की कि उसे कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है तो मा0 मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर किसी के यहां आग लग गई, दैवीय आपदा हो गई और सम्बन्धित लेखपाल ने अगर अपने एस0डी0एम0 को रिपोर्ट नहीं किया, वह धन से वंचित रह गया तो उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है जिसकी सूचना नहीं भेजी गई। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुपूरक

करना चाहती हूं कि क्या उस परिवार को लाभ मिलेगा और अगर लेखपाल ने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या उसे दण्डित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती सीमा-

नहीं अध्यक्ष जी, यह इस प्रश्न से बहुत सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा पूछिये मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती सीमा-

मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि अभी आपने कहा कि किसी के यहां अगर आग लग जाए तो उसे कितना हजार रुपया मिलता है। मा0 मंत्री जी हमारे क्षेत्र में अभी जीत लाल चौरसिया के यहां विद्युत से आग लग गई, उसका पचास लाख रुपये का नुकसान हो गया। उसका पूरा घर जल गया। सहायता राशि के नाम पर उसके लिए एक रुपये की भी व्यवस्था नहीं की गयी। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आमतौर पर झोपड़ी में रहने वालों का नुकसान 50 लाख का नहीं होता है। यह आमतौर पर है।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, वह झोपड़ी में रहता ही नहीं था।

श्री अम्बिका चौधरी-

अब आप सुन तो लें। अब उत्तर ही नहीं सुनेंगी तो फिर न सुनिये। आम तौर पर झोपड़ी में 50 लाख रुपये की सम्पत्ति रखने की घटनायें नहीं होतीं अपवाद स्वरूप हो सकता है कि किसी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने 50 लाख का सामान रखा हो और 50 लाख से भी ज्यादा का उसका नुकसान हुआ हो, लेकिन मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो इसके लिए नियत राशि है, वह नियत राशि है और वह मुआवजे के रूप में नहीं दी जाती है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मैं इनके दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर देना चाहता हूं कि अगर लेखपाल नहीं लिखा तो इससे वह वंचित नहीं होगा। उसके लिए दूसरी बात है कि अगर कोई लेखपाल ऐसा करता है तो दण्डित होगा। निलम्बित होगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उसकी शिकायत सम्बन्धित तहसीलदार, एस0डी0एम0 से कहीं भी कर दें। मैं सभी मा0 सदस्यों से इसके पूर्व में भी कह चुका हूं चर्चा के दौरान कि अगर दैवीय आपदा से सम्बन्धित इस तरीके की कोई शिकायत किसी मा0 सदस्य के क्षेत्र में हो तो वह मुझे बता दें, क्योंकि मैंने निर्देशित किया है कि 24 घण्टे में राहत राशि मिल जाए। मैंने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। यह 2011 की है। इधर की नहीं थी, फिर भी उसको दिखवायेंगे। लेकिन अगर किसी के यहां भी आपदा की कोई शिकायत आती है तो मैंने निर्देशित किया है कि 24 घण्टे में राहत उसको पहुंच जाए और अधिकतम 72 घण्टे में अगर नहीं पहुंचेगी तो जो

जिम्मेदार होगा वह दण्डित होगा यह निर्देश मैंने जारी कर दिये हैं। अगर कोई शिकायत हो तो मुझे अवगत करा दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर बहुत प्रश्न हो गये हैं। अब आप लोग बैठ जाइए। अब आप लोग इसमें क्यों दबाव डाल रहे हैं। इसमें अब सारे उत्तर आ गये हैं। अब आप बैठ जाएं। इसमें अब सारे प्रश्न हो गये हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बालिकाओं की घटती संख्या की रोकथाम हेतु योजना की जानकारी

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालक-बालिकाओं का लिंगानुपात क्या है ? क्या प्रदेश में बालिकाओं की संख्या निरन्तर घट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की घटती संख्या को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात 908 है, जबकि 0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों में यह अनुपात 899 है।

0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों में पिछले दशक की तुलना में इस दशक में गिरावट आयी है। प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2011 में बढ़कर 908 हो गया है, जो कि वर्ष 2001 में 898 था, परन्तु 0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों में यह अनुपात वर्ष 2011 में घटकर 899 हो गया है, जो कि वर्ष 2001 में 916 था।

लिंग परीक्षण रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 व अवैध भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 प्रदेश में लागू है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि तारांकित प्रश्न में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात घट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप मान रहे हैं कि लिंगानुपात घट रहा है तो क्या इनके घटने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्या इस पर ऐसा कुछ विचार किया गया कि इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है या इस पर कोई कार्य योजना बनाई गयी है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, यह एक गम्भीर समस्या है और यह बात तो सही है कि बालिकाओं का और बच्चों का मेल और फीमेल के रेशियो में फर्क तो है और यह भी पाया गया कि बहुत से लोग और समाज के अच्छे घरों के लोग अल्ट्रासाउन्ड में सेक्स निर्धारण कराकर बच्चों की मां के पेट में हत्या कर देते हैं। इसमें एक बड़ी सामाजिक चेतना की जरूरत है लेकिन उसके साथ-साथ कार्यवाही की भी जरूरत है। यह जो पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट है, यह 1994 में लागू हुआ और 2003 से यू0पी0 में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 2003 से 2012 यानि कि 9 वर्षों में अब तक मात्र 39 केस दायर हुए हैं तो कम एक्शन हुआ है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं चूंकि यह इतनी गम्भीर समस्या है इसलिये इसमें जनचेतना भी पैदा करना है आपका सहयोग भी लेना है, यह सभी की समस्या है इसलिये इस ऐक्ट के अलावा जो कुछ भी है इसमें करना पड़ेगा, लेकिन ऐक्ट के सिलसिले में मैंने एक मीटिंग की थी। चूंकि पिछली सरकार में बदकिस्मती से एक मीटिंग हुयी, वह भी प्रमुख सचिव स्तर पर हुयी थी और 5 साल में इस ऐक्ट की खोज खबर नहीं ली गयी। पत्थरों की खबर ली जाती थी, इंसानों की तो खबर ली नहीं जाती थी तो 5 साल में इस प्रकार मंत्री स्तर पर कोई मीटिंग नहीं हुयी। केवल एक मीटिंग हुयी वह भी प्रमुख सचिव स्तर पर। मैंने आते ही इस गम्भीर समस्या पर मीटिंक की और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दो केसेज, एक 12 अप्रैल, 2012 को मामला दर्ज हुआ इसी भ्रूण हत्या के सिलसिले में आजमगढ़ में और नर्सिंग होम सील हुआ दूसरा 18-4-2012 को गाजियाबाद में एक दूसरा केस दर्ज हुआ और नर्सिंग होम सील हुआ और आगे कार्यवाही इसमें करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके रिजल्ट जल्द ही आयेंगे, मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इस सिलसिले में जो माननीय मुलायम सिंह जी ने कन्या विद्या धन योजना शुरू की थी उससे एक यह तो अहसास आया कि बालिकाओं को एक अच्छा स्थान समाज में दिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अल्पसंख्यक बालिकाओं को 30 हजार दिया है, इससे खुशी की लहर हो रही है और लोग समझ रहे हैं। पहले लोग लड़कियों की पैदाइश पर मायूस हो जाते थे, लेकिन अब एक अच्छी सकारात्मक पहल शुरू हुयी है। हम आपका सहयोग भी चाहते हैं और सुझाव भी चाहते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर समस्या है इस मामले पर आपको बुलाकर मशविरा भी किया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी। किसी प्रकार की कार्यवाही की जो आप आशा सरकार से करते हैं, सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री जी से दो सुझाव के साथ प्रश्न रखना चाहता हूं। मान्यवर, शर्म से सर झुक जाता है कि इक्कीसवीं शताब्दी में हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि लड़कियों को जन्म लेने से पहले मौत की नींद में सुला दिया जाता है और आंकड़े इस बात को साबित कर देते हैं कि हां, लिंगानुपात जिस तेजी से घट रहा है उससे मान्यवर यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से जहां एक ओर यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है वहीं हमारी चिन्ता का भी विषय है कि कल कहीं माओं का अभाव न हो जाए और हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए। मान्यवर, दो प्रश्न करना चाहता हूं, एक तो आपने कहा कि

इस पर जन-जागरण की जरूरत है, राजस्थान जैसे प्रदेशों में मैं देख रहा था कि वहां के जन-जागरण की भनक उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ रही है। मेरा एक सुझाव है कि जो सरकार प्रयास चल रहा है वह ठीक है, उसे और आकर्षक बनाइये और लोकप्रिय बनाइये और कुछ इन्सेन्टिव रखिये और निश्चित कीजिए कि जहां बेटियां पैदा हों उनको ज्यादा सहूलियत और सुविधा दी जाएगी, जिससे लोग बेटियों को बोझ न समझें बल्कि बेटियों को वरदान समझें। क्या सरकार इस प्रकार से कुछ इन्सेन्टिव देने के बारे में सोचेगी। दूसरा मान्यवर, मैं दृढ़तापूर्वक एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर आप स्वयं अपनी अन्तरात्मा से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि जो कदम उठाये गये हैं वह नाकाफी हैं। मान्यवर, इसके लिए खुलेआम संचालित गिरोह लगे हुए हैं और हर शहर, कस्बों में यह काम हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस कानून को इतनी मजबूती से पालन कराया जाए कि जो यह काम कर रहे हैं या जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार तो हो ही उसके साथ-साथ उन्हें ऐसा कठोर दण्ड मिले जिससे वह दोबारा ऐसा करने का साहस न कर सकें।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपका सवाल आगे है क्यों इसमें समय ले रहे हैं।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सुझाव दिये हैं, मुझे लगता क्या है मैं महसूस भी करता हूं कि इससे हमें कार्यवाही करने में बल मिलेगा, हम आपके सुझावों पर अमल करेंगे। चूंकि इस समस्या का समाधान तो करना है इसलिए और भी जो लोग सुझाव देना चाहें वह दे दें। खुदा की मेहरबानी से और जनता की मेहरबानी से हम लोग सरकार में आये हैं तो जनहित की जिन समस्याओं पर आप ध्यान आकर्षित करेंगे उसको हल करने में हम लोग पूरी ईमानदारी से हर कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस मसले पर भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, लड़का मरे कमबख्त का लड़की मरे भगवान की, यही सोच है समाज की। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि रिकार्ड घट गये हैं। वर्ष 2001 में 916 थे और अब आपके हिसाब से 899 हो गये, अभी ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े निकालेंगे तो यह 899 नहीं होंगे बल्कि यह 870 के आस-पास होंगे और यह खेल 10 साल से हो रहा है और अभी तक सिर्फ 39 मुकदमें दर्ज हुए हैं। जन जागरण का अपना स्थान है लेकिन वह लोग जो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, भगवान के प्रतिरूप माने जाते हैं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया है ''हत्या'' इसी सदन में, वह जो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं जिनका दायित्व है लोगों के जीवन की रक्षा करना, मान्यवर, ''हत्या'' शब्द बिल्कुल सही है, अगर वह हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपने आपको लिप्त कर रहे हैं आर्थिक रूप से तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हत्या के कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं। क्योंकि आपने ''हत्या'' शब्द का प्रयोग किया है और मैं इस शब्द से सहमत हूं, मैं चिकित्सक होने के बावजूद भी इस शब्द से सहमत हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध कितने मुकदमें दर्ज किये गये हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, किसी भी अल्ट्रासाउन्ड क्लीनिक में रेडियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी

है। रेडियोलॉजिस्ट की संख्या तो बहुत सीमित है और अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक हजारों-हजार की संख्या में फैले हुए हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जो ढेर सारी अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक चल रही हैं उनके साथ कोई रेडियोलॉजिस्ट अटैच ही नहीं है या एक रेडियोलॉजिस्ट के नाम पर जैसे फार्मासिस्ट हुआ करते थे किसी जमाने में, आज वही रेडियोलॉजिस्ट की स्थिति है। क्या मा0 मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में कोई भी अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक किसी रेडियोलॉजिस्ट के बिना न चलने पाये और कोई एक रेडियोलॉजिस्ट दो अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक न चला पाये ? अब यह मोबाइल क्लीनिक चलाने का कार्यक्रम शुरू होने लगा है। बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं चूंकि आपने यह कहा कि हमें सुझाव मिलना चाहिए इसलिए कह रहा हूं। तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, अब विज्ञान का सिस्टम बदल गया है एक अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर जितनी भी जांचें होती हैं उनका रिकार्ड सरकार के पास पहुंच सकता है, आटोमेटिक ट्रेकिंग सिस्टम आ गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं कि जो भी चिकित्सक अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर यह काम कर रहे हैं उनके अल्ट्रासाउण्ड की ऑटोमेटिक ट्रेकिंग करायें। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आप हत्या का मुकदमा दर्ज करायेंगे, क्या बिना रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक न चलने पायें यह सुनिश्चित करेंगे, क्या इन अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक्स में ऑटोमेटिक ट्रेकिंग की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, अपराध जो करेगा, आई0पी0सी0 के तहत हम कार्यवाही करेंगे। डा0 राधामोहन दास डाक्टर भी हैं और मेरे ख्याल में सुझाव भी अच्छा देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो डाक्टरों का भी हालचाल है, वह अच्छा नहीं है। यह बात आपको बता दूं कि सरकारी अस्पताल में लखनऊ में सबसे बड़े हास्पिटल का डाक्टर नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते पाया गया और जब मैंने उसका ट्रांसफर किया, ऐसी जगह किया कि अब वह पानी मांग रहा था। बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सिफारिश की। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि डाक्टर ने अगर बाहर से दवा भी मंगाई तो हम कार्यवाही करेंगे क्योंकि मौजूदा सरकार ने कहा कि हम मुफ्त चिकित्सा देंगे तो आपको हम आश्वासन देते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार ने फैसला कर दिया, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा पूरा उपलब्ध करा दिया है, कहीं कमी नहीं है। अच्छी से अच्छी दवा हम पहुंचा देंगे और डाक्टरों से भी अपील हम कर रहे हैं। इतनी सख्त कार्यवाही हम कर रहे हैं कि आप अहसास नहीं करेंगे। मैंने दो जगह, दो बड़े डाक्टर सस्पेंड कर दिये हैं और पी0एन0डी0टी0 के सिलसिले में आपको बता रहे हैं नर्सिंग होम के लोगों ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे अपील की है कि आप लोग जो गड़बड़ियां करते हैं तो उसके लिए कानून तो है लेकिन ऐसा सामाजिक वातावरण यह सरकार बनायेगी हम लोग ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ हमको जनादेश मिला है। हम ईमानदारी के साथ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप देखेंगे कि पी0एन0डी0टी0 के क्षेत्र में और सारी चीजों में दोनों में ऐसा माहौल बनायेंगे कि बेईमानी के खिलाफ बहुत बड़ी तब्दीली बहुत जल्द पायेंगे।

(श्री मुकेश श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मुकेश कुमार जी अब सारे उत्तर आ गये, अब आगे लेने दीजिए।

श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप एक अन्तिम प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो कुछ भी बताया उन्होंने भी माना कि यह बहुत बड़ी समस्या का विषय है। इस पर एक जनजागरण की जरूरत है, बात बिल्कुल सही है। बस मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी कन्या विद्या धन की बात कही, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि जो परिवार लड़की या कन्या पैदा करे उनको भी अलग से कोई राशि दी जायेगी, क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न आपकी पार्टी के नेता मा0 प्रमोद तिवारी जी ने पहले ही कर लिया है और सरकार ने जवाब दे दिया, अब आप बैठिये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र गरीब परिवार जिनके बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बन पाये हैं के बी0पी0एल0 कार्ड सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया')-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत राशन कार्ड (बी0पी0एल0+अन्त्योदय) निर्गत कर लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

माननीय अध्यक्ष जी तारांकित प्रश्न-1 और तारांकित प्रश्न-4 लगभग एक सा है इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो इसे एक साथ ले लिया जाय और दोनों का उत्तर एक साथ दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी इसे एक में कर दें ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। दोनों को एक साथ कर लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बी0पी0एल0 गरीब परिवारों को राशन कार्ड देने की योजना से मना किया है कि कोई कार्ड नहीं बनेंगे। मैं आपके माध्यम से दो छोटे-छोटे सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पहला यह लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था, कितने समय के लिए लक्ष्य निर्धारित था ? दूसरा नया लक्ष्य कब निर्धारित होगा और किस आय सीमा के लोग बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर, स्पष्ट क्वैश्चन है इसका स्पष्ट उत्तर आ जाय।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

केन्द्र सरकार कार्डों की संख्या निर्धारित करती है और इसकी समीक्षा 31 दिसम्बर, 2011 तक तत्कालीन सरकार द्वारा पूरी कर दी जानी चाहिए जो कि नहीं की गई है। अब हमारा प्रयास है कि इसी वर्ष यह पूरा हो। इनकी समीक्षा करके केन्द्र से जैसा कि हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से हुआ है और अधिकारियों की तरफ से। बी0पी0एल0 में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड दिया जाता है। 19 हजार 884 रुपये प्रतिवर्ष से कम जिनकी आय है और इसी तरह से 25 हजार 546 रुपये वार्षिक से कम आय उनको शहरी क्षेत्रों में लिया गया है और पांच सदस्यों के परिवार को आधार माना गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह लक्ष्य जो 106 लाख का बताया था यह कब निर्धारित हुआ और कब तक के लिए निर्धारित था आपकी जितनी भी योजनायें हैं मान्यवर, बजट पेश हो चुका है जितनी भी योजनाएं हैं बी0पी0एल0 की वह कोई भी योजना लागू नहीं हो पायेगी क्योंकि किसी के पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं होंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और पूरे लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आज की स्थिति में।

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सवाल के लिए भूमिका के लिए दो तीन सेन्टेंस बढ़ाना मजबूरी है। मैं सदन का कोई समय खराब नहीं कर रहा हूं जो प्रश्न मैंने किया था अगर उसका स्पष्ट उत्तर मंत्री जी दे देते तो दुबारा मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं थी। मैंने यह पूछा था कि लक्ष्य भारत सरकार ने कब निर्धारित किया कितने समय के लिए निर्धारित किया ? कितने समय बाद नये कार्ड बनना चाहिए। इसका जवाब आया नहीं आगे के लिए मैंने पूछा था कि सीमा क्या होगी आय सीमा का लक्ष्य कब का

है 19 हजार और 25 हजार की सीमा को हम दस साल से देखते चले आ रहे हैं। कम से कम जो वरिष्ठ मंत्री हैं जो अनुभवी मंत्री हैं उनसे तो यह उम्मीद करते हैं कि टू द प्वाइंट जवाब आए ?

श्री अध्यक्ष-

अब खन्ना साहब जवाब आने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पूरे प्रदेश के गरीब परिवारों का मामला है हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि कब से नये बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड बनना प्रारम्भ होंगे और उनकी आय सीमा क्या होगी। अगर वही आय सीमा होगी तो इससे बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष-

यह आप भी जानते हैं सभी विधायक प्रमाण-पत्र बनवाने जाते हैं सब जानते हैं।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

माननीय सदस्य ने टू द प्वाइंट जवाब मांगा है। यह 1-3-2000 की जनगणना के अनुमान पर आधारित है और 1-12-2000 से लागू है। बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डों की न तो हम संख्या तय करते हैं न ही यह तय करते हैं कि कब बनेंगे। पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि 31-12-11 को इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन गत सरकार ने यह काम पूरा नहीं किया। मौजूदा सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है रही बात संख्या बढ़ाने की बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डों की तो उसके विषय में सरकार द्वारा केन्द्र से अनुरोध कर लिया गया है। मान्यवर, और मैं आशा करता हूं कि हमारे अनुरोध को केन्द्र सरकार अनसुना नहीं करेगी और बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या को बढ़ाने पर विचार करेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है कि वर्ष 2008-09 में बी0पी0एल0 कार्डधारकों के सम्बन्ध में घर-घर सर्वेक्षण का कार्य हुआ था। फिर वर्ष 2009 में पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ था इस कारण पिछली सरकार ने उस कार्य को जारी नहीं रखा था। वह कार्य तब से उसी तरह से पड़ा हुआ है। आपने क्या केन्द्र सरकार से बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या बढ़ाने का कोई अनुरोध किया है और वह किया है तो कब किया है और केन्द्र सरकार ने क्या उसका जवाब दिया है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

मान्यवर, पत्र की कापी हम मंगवा ले रहे हैं और आपको दे देंगे। मान्यवर, आपको पता है कि बी0पी0एल0 कार्ड की पात्रता आय से सम्बन्धित है और केन्द्र सरकार इसमें दिशा-निर्देश तय करती है। अभी आप लोग अवगत हैं कि केन्द्र सरकार की ओर से जो गरीबी की आय का पैमाना जारी हुआ तो उस पर एक लम्बी बहस शुरू हो गयी तो यह केन्द्र सरकार का विषय है। राज्य सरकार का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अनुग्रह नारायण जी आप लोग वहां पर (केन्द्र सरकार में) जाकर और वहां पर बैठकर इसको तय करा दीजिये और कोई कमियां हैं तो उसको खारिज करा दीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मलिन बस्तियों में बहुत से परिवार ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं होंगे। आज बी0पी0एल0 कार्ड के आधार पर ही तमाम सुविधायें जैसे मकान का आवंटन, एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत चिकित्सकीय सुविधा और दूसरी सुविधायें मुहैया हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि सही रूप से पात्र व्यक्तियों को वह कार्ड की सुविधा मिले। बहुत से ऐसे लोगों के पास भी आपको बी0पी0एल0 कार्ड मिलेंगे जो उसके लिए अपात्र हैं तो क्या आप फिर से इसका कोई सर्वेक्षण का कार्य करायेंगे और अगर किसी को भी गलत तरीके से मिल गया है वह कार्ड तो उसका नाम हटवायेंगे। आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, वह यह जानना चाह रहे हैं कि क्या आप इसकी जांच करायेंगे।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

मान्यवर, जो बी0पी0एल0 कार्ड मिलता है उसकी समय-समय पर जांच होती रहती है और जांच में यदि कोई सच्चाई पायी जाती है तो उसमें कार्यवाही भी होती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें मानक केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं संख्या भी उनके द्वारा निर्धारित कर दी गयी है उसको आप सम्प्रति बढ़ा नहीं सकते हैं तो यह जो संख्या है उसको देखने की इम्प्लीमेन्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है प्रदेश सरकार की है। वह मानक यह है कि इसका लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। माननीय सदस्यों का यह मानना है चाहे इधर के हों या उधर के हों, बहुत से ऐसे बी0पी0एल0 कार्डधारक होल्डर्स हैं जिनके पास जमीन है, नौकरी है, ट्रैक्टर है, व्यवसाय है तो जब आप संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं तो ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम जांच कराके व सूची से हटाकर उसमें पात्र व्यक्तियों के नाम तो जुड़वाने पर विचार कर सकते हैं। आपने एक उत्तर दे दिया है कि समय-समय पर इसकी जांच होती रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज एक विशेष परिस्थिति मौजूद है क्योंकि इसी बी0पी0एल0 कार्ड के आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तमाम योजनाओं में लोगों को सुविधायें मिलती हैं। तो क्या फिर से आप एक बार जांच करा लेंगे विस्तृत जांच करा लेंगे। उससे पूरी स्थिति आपके सामने आ जायेगी कि कितने अपात्र लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं ? आज बी0पी0एल0 कार्डधारकों को केवल राशन मिलने की बात नहीं है। उन्हें उसके आधार पर मकान मिलता है और दूसरी सुविधा मिलती है। आज अपात्र व्यक्तियों की सूची जांच में आपको ज्यादा मिलेगी और पात्र व्यक्ति उस सूची में नहीं मिलेंगे। तो आप कृपया इसकी विस्तृत जांच करा लें और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़वा दें। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का लक्ष्य है पूरी ईमानदारी से प्रयास है कि सही व्यक्तियों को पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड मिले और इसके स्पष्ट निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को भी दे दिये जायेंगे। इसके बावजूद अगर कहीं कोई कभी की सूचना आती है तो उसकी जांच कराकर उस कार्ड को निरस्त कराया जायेगा, हम साफ-साफ आपसे कह रहे हैं और माननीय सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जिस गम्भीरता के साथ इसको उठा रहे हैं हमको यह विश्वास है कि हमारे अनुरोध पर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्ड बढ़ें या न बढ़ें लेकिन इसी गम्भीरता के साथ अगर यह अपनी केन्द्र सरकार के सामने जाकर फरियाद करेंगे तो केन्द्र सरकार निश्चित रूप से बी0पी0एल0 कार्ड उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ा देगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, इसमें सबसे बड़ा मूल विषय यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि बी0पी0एल0 का सर्वे होता है सर्वे में अगर मान लीजिए रामायन नाम आ गया तो उसमें सनआफ हमारे कुशीनगर में किसी का नहीं है और रामायन नाम का लाभ कोई भी व्यक्ति जो बलशाली या प्रभावशाली होता है वह ले लेता है, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब भी सर्वे हो या इससे पहले जो सर्वे हुआ है उसको निरस्त करके और शुरू से रामायन के बाद सन आफ का नाम जरूर अंकित किया जाय ताकि जो व्यक्ति इसका लाभार्थी है उसको ठीक ढंग से लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, हो गया।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो खुद अधिकार है जाकर जांच करके कम्पलेंट कर दें। अब आप बैठ जाइये।

श्री राघव लखनपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा अनुपूरक यह है कि सदन में यह विषय आया कि बी0पी0एल0 कार्ड के आधार पर तमाम सुविधाओं का लाभ वह पात्र लोग ले सकते हैं सबसे गम्भीर विषय अगर कोई इसमें है तो ऐसे लोग जो बी0पी0एल0 परिवार हैं और जो गम्भीर बीमारियों से त्रस्त्र हैं चाहे कैंसर से, चाहे लीवर से और कई बार सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के भीतर उनका उपचार नहीं हो पाता और उन्हें प्रदेश के बाहर उपचार के लिए जाना पड़ता है ऐसी स्थितियों में बी0पी0एल0 कार्ड यदि नहीं है तो क्या सरकार कोई और अल्टरनेट या कोई प्रमाण इश्यू कर सकती है जिसके आधार पर उनका इलाज दूसरे अस्पतालों में हो सके ?

श्री अध्यक्ष-

देखिये, ऐसा है कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं माननीय मंत्री जी ने बी0पी0एल0 के बारे में बताया कि बी0पी0एल0 जो बन गया है वह जो भी मरीज है मान लीजिए आपकी नजर में बी0पी0एल0 है और कार्ड उनके नाम से नहीं बना है इसलिए उनको सुविधा नहीं मिल रही है अब आपका दायित्व है कि जो आपके गांव में क्षेत्र में गलत बने हैं उनको कम्पलेन्ट करके खारिज करवाइये और उनकी जगह पर कोई जो हे उसको बनवा दीजिए यह तो ब्लाक से होता है इसको आपको करना चाहिए। इसको यहां काहे को कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया कि जिनका बी0पी0एल0 कार्ड बना है गलत तरीके से उसको निरस्त करने की कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या केवल निरस्त करना ही पर्याप्त है जिन्होंने इतने दिनों तक लाभ लिया है क्या उनके लिए कोई सजा की व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप विधायक हैं ग्राम पंचायत में बैठक होती है जब आप खारिज करा देंगे तो जो पात्र होगा वह हो जायेगा यह कौन सा सवाल यहां पूछ रहे हो जो आपके अधिकार क्षेत्र का है ?

प्रदेश में जल जनित मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल जनित मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उस कार्य योजना के सापेक्ष चलाये जा रहे कार्यों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) अधिकांशतः जल जनित एण्ट्रोवाइरस के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना 2012 बनाई गयी है, जिसके सापेक्ष निम्नवत् कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं :-

1-मस्तिष्क ज्वर के रोगियों के उपचार व्यवस्था जिला चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है।

2-मस्तिष्क ज्वर के रोगियों हेतु जिला चिकित्सालय में 20 शैय्यायें, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 04 शैय्यायें एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 शैय्यायें आरक्षित करने एवं औषधियां, आवश्यक उपकरण इत्यादि उपलब्धता की व्यवस्था है।

3-जल जनित मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) की रोकथाम हेतु प्रभावित ग्रामों में शैलो हैण्डपम्प के स्थान पर 3322 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगवाये गये हैं।

4-शैलो हैण्डपम्प को लाल रंग से रंगने की कार्यवाही की जा रही है ताकि इनके जल को पीने हेतु प्रयोग न किया जाये।

5-पचास व्यक्तियों पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

6-रोग के उपचार हेतु व्यापक जागरूकता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं यूनीसेफ के सहयोग से प्रभावित जनपदों के विभिन्न विभागों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिनांक 09 मई, 2012 से 01 जून, 2012 तक प्रदान किया गया है। अब तक 4000 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये गये हैं।

7-उपर्युक्त प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक जनसामान्य से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर जागरूकता प्रदान करेंगे एवं इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्ति जन सामान्य के व्यवहार को वैयक्तिक स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग एवं स्वच्छ पेयजल के प्रयोग को व्यवहारित करने के लिये व्यवहार परिवर्तन कराने का कार्य कर सके।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न कई बार आ चुका है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे फिर यह सूची में आ गया क्योंकि मस्तिष्क ज्वर पर काफी अभी कल आपने उसमें बात की थी, कल आपने काम रोको प्रस्ताव दिया, प्रश्नों के माध्यम से आया, फिर आज वही प्रश्न। आज क्यों पूछ रहे हो ? कल ही इस पर चर्चा हुई है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया। अब आज नहीं। यह कहीं न कहीं त्रुटि रही है जिससे यह प्रश्न एजेन्डे में आ गया। यह सवाल आज नहीं कल आपने इस पर बहस की। आप नियम जानते हैं डा0 साहब। आप बैठिये।

प्रदेश में कृषकों, उद्योगों व निवासियों को विद्युत आपूर्ति की जानकारी

*3-श्री संजय कपूर, श्री सुरेश राणा तथा श्री रवीन्द्र जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की खराब विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे कृषकों, उद्योगों व निवासियों को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति मिल सके ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से बिजनेस प्लान के अन्तर्गत जर्जर तारों एवं खम्भों को बदले जाने की योजना चलायी जा रही है, जिससे कृषकों, उद्योगों एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति संभव हो सकेगी।

वर्ष 2012-13 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 18500 कि0मी0 जर्जर तार एवं 80000 खम्भे बदले जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी एक बार बात हो चुकी है। विद्युत मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं तो दे दें। (माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर) सवाल हो गया आपका। जवाब तो आने दीजिये।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक तो उत्तर प्रदेश में विद्युत की विषम परिस्थिति है, बहुत बड़ी समस्या है। बिजली देखने को नहीं मिल रही जो शिड्यूल होता है अगर देहात का 10 घण्टे का है तो मुश्किल से 2-3-3 घण्टे बिजली मिल पा रही है और अगर कहीं आंधी आने पर बिजली के जर्जर तार होने की वजह से 4-4 दिन तक बिजली नहीं मिल पाती। देहात में इस समय सबसे ज्यादा समस्या बिजली की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिजनेस प्लान की जो बात कर रहे हैं बिजली को सुचारु रूप से दिलवाने की तो यह प्लान कब से शुरू हुआ है और अभी तक कितने जर्जर खम्भों और जर्जर तारों को बदला गया है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी माननीय सदस्य जी ने चिन्ता जाहिर की है वैसे तो पश्चिमोत्तर विद्युत खण्ड में 5 हजार किलोमीटर जर्जर तार और 18 हजार खराब खम्भे बदले जाने हैं।

इसी तरह से दक्षिणोत्तर में 4 हजार किलोमीटर जर्जर तार और 16 हजार खराब खम्भे बदले जाने हैं। मध्यांचल में 5 हजार किलोमीटर जर्जर तार और 26 हजार खराब पोल बदले जाने हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण के अन्तर्गत 43 हजार किलोमीटर तार और 20 हजार खराब पोल बदले जाने हैं। इसी तरह से समय-समय पर जनपद स्तर पर जितने भी बिजली के जर्जर तार और खम्भे हैं उनको बदला जायेगा। हमारे पास 6 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है और अगर इससे भी ज्यादा धन की आवश्यकता होगी तो बजट पास होने के बाद और व्यवस्था कर ली जायेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की एक परियोजना जिसमें अंडर ग्राउन्डिंग आफ इलेक्ट्रिकल वायर की एक योजना है जिसमें प्रदेश के कई शहर चयनित किये गये हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कब तक डी0पी0आर0 बनाकर भिजवा देगी जिससे केन्द्र सरकार से पैसा सेंक्शन करवा सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी पत्र तो भिजवा ही देंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, पिछली सरकार में भी कहा और इस सरकार में भी कह रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माथुर साहब जैसे ही पैसा स्वीकृत करा दें मैं काम शुरू करवा दूंगा।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, आज प्रदेश विद्युत की ज्वलंत समस्या से जूझ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सभी बिजली घर इस समय अतिभारित हैं। मान्यवर, सभी ट्रांसफार्मर अतिभारित हैं जिसके कारण सरकार की घोषणा के अनुरूप बिजली की उपलब्धता नहीं है क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना है ? अगर है तो कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर जो खराब है ...

श्री सुरेश राणा-

अतिभारित, ओवरलोड,

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

सूचना होगी तो मंत्री जी बता देंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब हैं वैसे तो आपको पता है, सबको पता है कि ट्रांसफार्मर की स्थिति बहुत खराब थी बहुत घटिया स्तर के थे इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(सामने वाले की आवाजें)

अब अच्छी कम्पनी के ट्रांसफार्मर निश्चित रूप से प्रयोग होंगे। कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। जो भी ट्रांसफार्मर आयेंगे उनकी गारण्टी होगी।

(मेजें थपथपाई गईं) (शोर)

श्री अध्यक्ष-

बजरंग जी आप बोलें।

श्री सुरेश राणा-

मेरा प्रश्न दूसरा है अतिभारित बिजली घर और अतिभारित ट्रांसफार्मर के भार कम करने के लिए कोई नया बिजली घर बनाने की सरकार की योजना है ?

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मेरा नाम बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बजट आ जाने दीजिए बजट आएगा तब बताइएगा। अब हल्ला मत करिए। बैठिए। हल्ला करना है तो फिर करते रहिए।

(तारांकित प्रश्न संख्या-5 पुकारा गया)

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें। आप लोग बैठ जाएं। बजट आएगा तो बोलियेगा। मैं खड़ा हूं आप लोग बैठ जाएं। हुकुम सिंह जी नये सदस्यों को समझाएं। प्रश्न का जितना संभावित, जितना पूछा, उतना उत्तर दिया। हर क्षेत्र में अलग-अलग समस्यायें हैं। बिजली पर इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इसमें जवाब दिया है, मा0 मंत्री जी ने भी जवाब दे दिया है। मंत्री जी ने कहा है बजट पेश होने दीजिए फिर अब क्या रह गया। एक तरह से उन्होंने आश्वासन दे दिया। बजट पेश हो जाएगा तो आप अपनी समस्या कहें। आप लोग बैठें। आगे का प्रश्न पुकार लिया गया है।

(शोर)

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

*4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितने बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बेरोजगारों के शहरों में बढ़ते हुए पलायन को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पूर्व में जारी उक्त कार्डों का पुनरीक्षण कराकर उनकी संख्या बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से मांग करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में 106.79 लाख परिवारों को राशन कार्ड निर्गत है, जिनमें से 65,84,500 बी0पी0एल0 एवं 40,94,500 अन्त्योदय राशन कार्ड है।

जी हां। राज्य सरकार ने बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी परिवारों की संख्या में वृद्धि करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक एवं मानक के अनुरूप विशेषज्ञों की तैनाती की मांग

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने के बाद भी चिकित्सक वर्षों से ड्यूटी से नदारद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश की पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा जिला अस्पतालों में डाक्टरों तथा विषय विशेषज्ञों की मानक के अनुरूप तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

ऐसे प्रकरण प्रकाश में आने पर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्ड प्रदान किया जाता है एवं गम्भीर प्रकरणों में सेवा समाप्ति की कार्यवाही भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

चिकित्सकों की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

माननीय अध्यक्ष जी, समय बहुत कम है, मैं दो अनुपूरक करना चाहूंगा। मेरा जो प्रश्न था जिसके सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रोक लगाये जाने के बाद भी चिकित्सक वर्षों से ड्यूटी से नदारद हैं। अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न को जो दूसरा पार्ट है, उसमे यह है कि पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा जिला अस्पतालों में डाक्टरों तथा विषय विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीज सफर कर रहे हैं, आपने उसको भी स्वीकार किया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं, आपने स्वीकार किया है कि वर्षों से ड्यूटी से नदारद है तो ऐसे नदारद डाक्टरों की, चिकित्सकों की संख्या क्या है और आपने उनके विरुद्ध जो वर्षों से नदारद हैं और वह तनख्वाह ड्रा कर रहे हैं, सैलरी ड्रा कर रहे है, इनके विरुद्ध आपने कौन सी कठोर कार्यवाही की और दूसरा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि चिकित्सकों की उपलब्धता होने पर आपने कहा है कि सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 और जिला अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध करायेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसा आंकड़ा है कि राज्य सरकार के अधीन जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें कितने ऐसे चिकित्सकों की आवयश्यकता है और आपने उन स्थानों को भरने के लिए जनता की सुविधा के लिए क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के अनुपूरक उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या-1 के साथ दिये गये हैं।

श्री अहमद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट आर्डर से एक समीक्षा की गई थी तो 1050 डाक्टर ऐसे पाये गये थे जो प्राइवेट प्रैक्टिस में संलिप्त थे, अनुपस्थित थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, कोई भी सदस्य यदि बतायेगा कि ऐसे डाक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या अनुपस्थित हैं, उनके विरुद्ध हम लोग बहुत सख्त कार्यवाही करेंगे क्योंकि अब लापरवाह, अनुपस्थित रहने वाले, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले बेईमान डाक्टरों को किसी हालत में विभाग में नहीं रहने देंगे। दूसरा जो सवाल है, 1476 नये डाक्टर आ गये हैं, उनको पोस्टिंग दे दी गई है। एक हजार डाक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन से आये थे, उनको फौरन पोस्ट कर दिया गया है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पहले ज्वाइनिंग में गड़बड़ रहती थी, आप जानते हैं, पैसा मांगते थे, अब पैसा नहीं मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

*6-श्री सतीश महाना-

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर 5वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की उपलब्धता की जानकारी

*7-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''एम्बुलेन्स'' की उपलब्धता एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रदेश में 3692 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 626 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। ग्रामीण अंचलों के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 822 विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्थापित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक रोगी वाहन की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पी0आई0पी0) के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तावित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

स्व0 चन्द्रकान्त बाजपेयी, नलकूप चालक, शाहाबाद, जनपद हरदोई के लिंक इन्शोरेंस के भुगतान की जानकारी

01-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 चन्द्रकान्त बाजपेयी नलकूप चालक, शाहाबाद, जनपद हरदोई जिनकी मृत्यु दिनांक 07-07-2008 को हो गई थी, के जी0पी0एफ0 संख्या-आई0आर0आर0आई0यू0 76317 के लिंक इन्शोरेंस की धनराशि रु0 30,000/-(रु0 तीस हजार) का भुगतान उनके आश्रित को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

स्व0 इन्द्रकान्त बाजपेयी, नलकूप चालक, शाहाबाद, जनपद-हरदोई के जी0पी0एफ0 संख्या-आई0आर0आर0आई0यू0 76317 के लिंक इन्शोरेंस की धनराशि रु0 30,000.00 (रुपये तीस हजार मात्र) का भुगतान उनके आश्रित को कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर बनाने की कार्य योजना की मांग

2-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर प्रतिदिन 200 रेलगाड़ियों का संचालन होता है जिसके कारण सफेदाबाद, रामनगर, जरवल, घाघरा घाट, चौका घाट पर पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग ज्यादा समय तक बन्द हो जाती है जिससे इस सड़क मार्ग पर भारी तथा छोटे वाहनों का आवागमन बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर बनाने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-28 सी0 पर स्थित सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्मित है एवं यातायात चालू है। रामनगर, जरवल, घाघरा घाट, चौका घाट पर पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदले जाने की कार्य योजना

3-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदलने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव (मुख्य मंत्री)-

जी हां।

जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की योजना बिजनेस प्लान के मद में प्रत्येक वर्ष प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से हरिद्वार तक गंग नहर की पटरी के सम्पूर्ण मार्ग के निर्माण की जानकारी

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से हरिद्वार तक गंग नहर की पटरी का सम्पूर्ण मार्ग पूर्ण रूप से टूट चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मेरठ रोहटा रोड पर निर्माणाधीन उपरिगामी सेतु का निर्माण

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रोहटा रोड पर निर्माणाधीन उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष से बाधित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्माण कार्य कब तक शुरू कराकर पुल का निर्माण पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उपरिगामी सेतु के पहुंच मार्ग का संरेखण सेना की भूमि से गुजरता है। अनापत्ति हेतु प्रकरण सेना मुख्यालय में विचाराधीन है। अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् सेतु का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत वि0 खं0 पयागपुर आदि ग्राम पंचायतों के कतिपय मजरों का विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0खं0 पयागपुर, विशेश्वरगंज, हजूरपुर, कैसरगंज तथा जरवल के ग्राम पंचायतों के कुछ मजरों की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत

विद्युतीकरण कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक-वि0 प0/ज0 हि0/11-12/क-एस0नं0/004960/ 241, दिनांक 15 अप्रैल, 2012 अधि0 अभियन्ता, विद्युत, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में पयागपुर विधान सभा से सम्बन्धित विशेश्वरगंज, पयागपुर, जरवल, कैसरगंज तथा हजूरपुर विकास खण्ड के 218 ग्राम चयनित थे जिनका विद्युतीकरण हो चुका है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में ग्राम के मजरों की योजना स्वीकृत हो चुकी है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा चयनित 1476 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने के पश्चात नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई हेतु निजी नलकूपों के उच्चीकरण तथा शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में उनका निस्तारण कराकर किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाने की मांग

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई हेतु निजी नलकूपों को उच्चीकृत करने की क्या नीति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने निजी नलकूपों हेतु आवेदन लम्बित है ? क्या सरकार इन्हें निस्तारित कराकर किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सिंचाई विभाग द्वारा राजकीय नलकूपों का निर्माण व अनुरक्षण किया जाता है न कि निजी नलकूपों का।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु कार्य योजना की मांग

9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी के कारण आम जनता को रसोई गैस सिलेण्डर 400/-रुपये के स्थान पर 800/-रुपये में प्राप्त हो रहा है तथा गैस कनेक्शन धारक को बुकिंग के 15 दिनों के उपरान्त भी गैस रिफिल नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी नहीं।

वर्तमान में गैस की आपूर्ति कम होने के कारण से इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के कतिपय वितरकों पर कुछ दिनों को बैकलाग चल रहा है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पर स्थिति सामान्य है।

रसोई गैस की कालाबाजारी, घटतौली, व्यवसायिक एवं वाहनों में उपयोग की रोकथाम के सम्बन्ध में शासन स्तर से समय-समय पर समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को दिशा-निर्देश निर्गत हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में प्रत्येक कैदी के प्रतिदिन भोजन हेतु निर्धारित धनराशि की जानकारी

10-श्री सुरेश राणा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कारागारों में प्रत्येक कैदी की प्रतिदिन भोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित है ? क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

कारागारों में निरुद्ध प्रत्येक कैदी के भोजन हेतु धनराशि निर्धारित नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के भोजन की मात्रा निर्धारित है।

जी नहीं।

बन्दियों के लिये निर्धारित भोजन की मात्रा के आधार पर समय-समय पर भोजन पर व्यय होने वाली धनराशि में वृद्धि होती रहती है।

गत पांच वर्षों में चीनी मिलों के विक्रय के सम्बन्ध में जानकारी

11-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में जिन-जिन चीनी मिलों को बेचा गया था क्या उन्हें तात्कालिक बाजार मूल्य पर बेचा गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अवस्थापना विभाग द्वारा निर्गत विनिवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन कराते हुए एक्सपेक्टेड प्राइस का निर्धारण कर चीनी मिलों का विक्रय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में बंदियों के बीमार होने पर उनके उपचार की जानकारी

12-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में बंदियों के बीमार होने पर उनका उपचार कराये जाने की प्रक्रिया क्या है ? क्या जनपद देवरिया के कारागार में माह अप्रैल-मई, 2012 में चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में किसी महिला बंदी की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मृतका के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

प्रदेश की प्रत्येक कारागार में चिकित्सालय स्थापित है, जिनमें चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। किसी बंदी के बीमार होने पर उसे कारागार चिकित्सालय में जांच कर आवश्यकता होने पर उसे कारागार चिकित्सालय में भर्ती करके उपचार किया जाता है। यदि कोई बंदी ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसका उपचार कारागार चिकित्सालय में सुचारु रूप से किया जाना संभव नहीं है तो उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-1058 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2585/5-7-2003-अट्ठारह-57/98 दिनांक 11-9-2003 में किये गये प्राविधान के अनुसार जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के परामर्श के पश्चात कारागार अधीक्षक द्वारा ऐसे बन्दी को स्थानीय जिला चिकित्सालय अथवा विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होने पर जनपद से बाहर किसी अन्य उच्चतर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराया जाता है।

जिला कारागार देवरिया की विचाराधीन महिला बंदी रुकमीना, पत्नी श्री राम गुप्ता की मृत्यु चिकित्सा सुविधा के अभाव में नहीं बल्कि जिला चिकित्सालय देवरिया में नियमित उपचार के दौरान दिनांक 1-5-2012 को हुयी है।

विभागीय जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

विभागीय जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में बिजली वितरण के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

13-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में बिजली वितरण का कार्य निजी क्षेत्र में है ? क्या सरकार की जनपदों में बिजली वितरण कार्य निजी क्षेत्र में देने की कोई योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन जनपदों में बिजली वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को दिया गया है वहां पर कितना बिजली का बिल बकाया है ?

श्री अखिलेश यादव-

(अ) आगरा शहर।

(ब) जनपद गौतमबुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का क्षेत्र।

जी नहीं।

(अ) आगरा शहर में रु0 1913.29 करोड़।

(ब) जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में रु0 1035.95 करोड़।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अर्रा एवं बिनगवां कालोनी में सम्पूर्ण विकास हेतु कार्य योजना

14-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अर्रा एवं बिनगवां कालोनी में सड़क, जल निकासी, सीवर एवं अन्य अवस्थापना सुविधायें विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं विकसित की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनियों में सड़क एवं जल निकासी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जलापूर्ति एवं सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में मानक अनुसार मरीजों के बिस्तर तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग

15-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में मानक के अनुसार मरीजों के बिस्तर तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री अहमद हसन-

मानक के अनुसार मरीजों के लिए बिस्तर, सामान्य जीवन रक्षक दवायें एवं उपकरण उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगे होने से आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण वहां उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ज0हि0/11-12/153, दिनांक 26-3-12 अधि0अभि0 विद्युत विभाग, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पयागपुर के प्रमुख बाजारों में 100 के0वी0ए0 का 2 नग, 63 के0वी0ए0 के एक तथा 25 के0वी0ए0 के 3 नग परिवर्तक स्थापित हैं, जिनकी अतिभारिता के कारण क्षमता वृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान 2012-13 के अन्तर्गत सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के अन्तर्गत प्रमुख बाजारों में ए0बी0सी0 बंच केबिल लगवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में बिजली के तार लटके होने के कारण आये दिन दुर्घटना होने तथा उन बाजारों में ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ज0हि0/11-12/0152, दिनांक 26 मार्च, 2012 अधि0अभियन्ता विद्युत, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 केबिल लगभग 7.5 कि0मी0 लगाने की कार्य योजना बिजनेस प्लान वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास विभाग, कानपुर द्वारा विकसित हंसपुरम् कालोनी में सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

18-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास हंसपुरम् कालोनी, जो आवास विकास विभाग, कानपुर द्वारा विकसित की गयी है, में सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं।

अवस्थापना मद के अन्तर्गत विकास सेवाओं के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

योजना में क्षतिग्रस्त व मरम्मत योग्य विकास सेवाओं की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत नगर क्षेत्र बीसलपुर में विद्युत खम्भों पर लगे तारों में हुए भारी घोटाले विषयक जानकारी

19-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर क्षेत्र बीसलपुर में विद्युत खम्भों पर से तांबे के लगे हुए तारों को हटाकर सिल्वर के तार कब लगाये गये थे ? क्या यह सही है कि सिल्वर के तार भी 3-4 बार हटाना दर्शाकर भारी घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरोपों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत के नगर क्षेत्र बीसलपुर के विद्युत खम्भों पर से तांबे के तारों को हटाकर सिल्वर के नहीं अपितु एल्युमिनियम के तार वर्ष 1975-80 के मध्य बदले गये थे।

विभागीय अभिलेखों के अनुसार एक से अधिक बार तार बदलने का कोई प्रकरण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

तदैव।

जनपद इलाहाबाद में गंगा नदी पर फाफामऊ-तेलियरगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर आगामी कुम्भ मेला के पूर्व एक पुल निर्माण कराने का प्रस्ताव

20-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में गंगा नदी पर फाफामऊ-तेलियरगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर आगामी कुम्भ मेला के पूर्व एक पुल निर्माण

कराने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को कब भेजा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रस्ताव पत्र दिनांक 3-5-2011 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार के स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री सुरेश राणा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रबुद्धनगर की नगर पंचायत जलालाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

22-श्री सुरेश राणा-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर की नगर पंचायत-जलालाबाद में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

नगर पंचायत ब्लाक थाना भवन में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित व क्रियाशील है जो नगर पंचायत जलालाबाद से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः मानक के अनुसार नगर पंचायत जलालाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के नागरिकों की सुविधा हेतु अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय पीलीभीत व अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय बरेली में स्थापित किये जाने की मांग

23-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर ब्रान्च नहर तथा निगोही ब्रान्च नहर का बहुत बड़ा भाग जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत आता है परन्तु अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय सीतापुर में एवं अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय शाहजहांपुर में होने के कारण जनपद पीलीभीत के नागरिकों को काफी असुविधा होती हैं एवं नहरों की संचालनात्मक एवं सुरक्षात्मक व्यवस्था भी सुव्यवस्थित नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय पीलीभीत व अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय बरेली में स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शाहजहांपुर शाखा नहर एवं निगोही शाखा नहर का अधिकांश भाग जनपद-शाहजहांपुर में आता है तथा मात्र 02 ब्लाक जनपद-बरेली एवं 04 जनपद पीलीभीत में आते हैं। इन प्रणालियों के अधिकांश ब्लाक जनपद-शाहजहांपुर तथा जनपद-हरदोई में आते हैं। अतः जन सुविधा तथा नहरों के संचालन, निगरानी एवं अनुरक्षण हेतु इस खण्ड का मुख्यालय शाहजहांपुर में होना उचित है।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर के कार्य क्षेत्र में जनपद-सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी का अधिकांश भाग तथा आंशिक रूप से जनपद-बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, बाराबंकी का क्षेत्र आता है। अतः सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर में ही रहना नहर व जनहित में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत नगर बीसलपुर में 133 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

24-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में 133 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाना स्वीकृत है किन्तु अब तक स्थापित नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

132 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के बृजविहार कालोनी, दिलाजाक, मेहमानशाह, बाल्मीकि कालोनी में बिजली के जर्जर तारों को बदलवाने की व्यवस्था

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के बृजविहार कालोनी, दिलाजाक, मेहमानशाह, वाल्मीकि कालोनी में बिजली के तार जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो जाने से दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। किन्तु दुर्घटना जैसी कोई स्थिति नहीं है।

उक्त मोहल्लों के जर्जर तार को बिजनेस प्लान 2012 के अन्तर्गत बदलवाये जाने की व्यवस्था है।

उक्त कार्य को माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की जानकारी तथा रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की मांग

26-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक के कितने पद

स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

कानपुर नगर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक के कुल 28 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 25 चिकित्सक कार्यरत हैं।

जी हां।

मानव संसाधन (स्टाफ) की कमी है। अतः उपलब्धता के आधार पर शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबों के निःशुल्क इलाज हेतु प्रचलित योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि का विवरण

27-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए कौन-कौन सी योजनायें प्रचलित हैं ? क्या इन योजनाओं में केन्द्र सरकार का भी कोई योगदान है ? यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं और वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रचलित है।

जी हां।

1-राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष)

2-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार धनराशि प्रदान की गई है :-

वर्ष 2009-10	रु0 69,09,65,169/-
वर्ष 2010-11	रु0 1,58,81,59,370/-
वर्ष 2011-12	रु0 1,92,06,79,426/-

राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि प्रदान नहीं की गयी है।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजा मोरध्वज द्वारा स्थापित मरौरी किला आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की मांग

28-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजा मोरध्वज के द्वारा स्थापित मरौरी किला, लिलहर तालाब, राजा बेन, राजा बलि आदि के समय के अवशेष हैं

जिन पर लाखों पर्यटक एवं श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजा मोरध्वज के द्वारा स्थापित मरौरी किला, लिलहर तालाब, राजा बेन, राजा बलि आदि स्थलों के पर्यटन विकास की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में सरकारी दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही

29-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों की दवाईयां बाहर दुकानों पर बेच दी जाती हैं और गरीब मरीजों को बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर किया जाता है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि दिनांक 08 मई, 2012 को जनपद एटा में शमसाबाद क्षेत्र के रोशनाबाद में पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सरकारी दवाईयों से भरी 16 बोरी बरामद की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में सरकारी दवाईयां मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

सरकारी चिकित्सालयों की दवाइयां नियमानुसार गरीब मरीजों को वितरित की जाती हैं एवं किसी भी मरीज को बाजार की दवा नहीं लिखी जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

प्रकरण की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलीगढ़ मण्डल के स्तर से की जा रही है।

जी हां।

प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता अस्पताल में ही सुनिश्चित करने तथा मरीजों को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बाजार से दवाइयां न लिखने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0 प्र0 द्वारा 5-4-2012 को प्रदेश के समस्त चिकित्साधिकारियों/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय को कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का नियमित अनुश्रवण भी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत अमरी कला, जनपद-मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

दिनांक 01-05-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नगर पंचायत अमरी कला जनपद मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रकरण का परीक्षण मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे बसे गोपालपुर, ग्राम बेगमपुर आदि की जनता को बाढ़ से बचाने हेतु रामगंगा नदी पर पिचिंग बनवाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र-कांठ के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे बसे गोपालपुर, ग्राम बेगमपुर व ग्राम महदुद कलमी की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए रामगंगा नदी पर बंधा या पिचिंग बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-05-2012 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0एच0सी0 कांठ, जनपद मुरादाबाद में मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ व उपकरण उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एच0सी0 कांठ, जनपद मुरादाबाद में मानक के अनुरूप चिकित्सक पैरा मेडिकल स्टाफ व उपकरण उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-05-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0 लखनऊ को स्टाफ की यथासंभव व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। प्रदेश में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की वर्तमान में कमी के फलस्वरूप चिकित्सालयों में मानक के अनुसार तैनाती नहीं हो पाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय, राजाजीपुरम् में तैनात चीफ फार्मासिस्ट की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण नीति विषयक जानकारी

33-श्री पंकज कुमार मलिक तथा अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्षमीबाई राजकीय चिकित्सालय, राजाजीपुरम् जनपद लखनऊ में तैनात चीफ फार्मासिस्ट की नियुक्ति उक्त चिकित्सालय में कब हुयी ? क्या यह सही है कि स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध उक्त फार्मासिस्ट 07 वर्षों से उक्त चिकित्सालय में तैनात है ? क्या यह भी सही है कि उक्त फार्मासिस्ट के विरुद्ध लोक बन्धु के सामान आदि के क्रय में की गयी अनियमितता की जांच वर्ष 2010 से चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त फार्मासिस्ट को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

रानी लक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय, राजाजीपुरम् जनपद-लखनऊ में श्री हंसराज पारस चीफ फार्मेसिस्ट दिनांक 2-6-2003 से उक्त चिकित्सालय में तैनात हैं।

चिकित्सा विभाग के स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत एक जनपद में अधिकतम बीस वर्ष तक तैनाती रह सकती है।

जी हां।

जी हां। चिकित्सा विभाग के स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उक्त फार्मेसिस्ट का स्थानान्तरण जनपद शाहजहांपुर में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दादरी स्थित विद्युत पावर प्लाण्ट लगाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

34-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी स्थित विद्युत पावर प्लांट लगाने की योजना कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई प्रगति हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत परियोजना हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण का प्रकरण सम्प्रति मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत वाराणसी सहित पूर्वांचल के सभी जिलों में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान, अन्य सुविधायें देने तथा विनियमित करने की मांग

35-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत वाराणसी सहित पूर्वाचल के सभी जिलों में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को क्या वेतन का नियमित भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन्हें परिचय-पत्र देने, पी0पी0एफ0 की कटौती करने सहित

अन्य सुविधाएं देने तथा इनको विनियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत वाराणसी सहित पूर्वांचल के सभी जिलों में संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सीधे विभाग द्वारा नहीं रखा जाता। विभिन्न कार्यों हेतु निविदा के माध्यम से वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सियों द्वारा संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते हैं, जिनके वेतन के नियमित भुगतान के आदेश हैं व एजेन्सियों द्वारा वेतन का सामान्यतः नियमित भुगतान किया जाता है।

संविदा कर्मियों की वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सियों को संविदा कर्मियों के फोटोयुक्त परिचय-पत्र तथा ई0पी0एफ0 की कटौती किये जाने के निर्देश भी कारपोरेशन द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिनका पालन वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा किया जाता है। संविदा कर्मी के सेवायोजक वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी होते हैं। अतः निगम में इन्हें नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में नगर के मध्य स्थित पुराने जिला अस्पताल भवन में आपातकालीन चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जिला अस्पताल नगर से दूर होने के कारण मांग के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर के मध्य स्थित पुराने जिला अस्पताल भवन में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सक एवं आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विसरात रोड वजीरगंज में अन्टा चौराहा व कचहरी वाले मार्ग पर वृक्षारोपण कराये जाने की मांग

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में पौधे लगाने की क्या योजना है ? क्या यह सही है कि नगर शाहजहांपुर में वृक्षारोपण कम होने के कारण तापमान अधिक रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शाहजहांपुर के विसरात रोड, वजीरगंज में अन्टा चौराहा व कचहरी वाले मार्ग पर वृक्षारोपण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

''शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना'' के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पौधे लगाने की योजना है।

इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन संज्ञान में नहीं है।

विसरात रोड, वजीरगंज से अण्टा चौराहा व कचहरी मार्ग पर आवश्यक चौड़ाई के स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन यातायात एवं पौध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण होने की जानकारी

38-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में शासनादेश सं-515 पू0वि0नि0/ 23-14-05-(ए8)2004 दिनांक 19 सितम्बर, 2005 को डुमरियागंज कस्बे में थाने से तेली टोला होते हुए डुमरियागंज- बढ़नी मार्ग तक सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग लम्बाई 1.80 कि0मी0 के निर्माण के लिये धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्य पूर्ण कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साऊपुरा-सादुल्लानगर के डुमरियागंज चौकी मार्ग पर कुआनों नदी पर पुल निर्माण की जानकारी

39-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साऊपुरा-सादुल्लानगर-गौरा चौकी मार्ग पर कुआनो नदी पर 79.40 मी0 लम्बे सेतु निर्माण हेतु शासनादेश सं-169(1) 23-11-2006 दिनांक 11-03-06 द्वारा रु0 281.45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका शिलान्यास श्री माता प्रसाद पाण्डेय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मई, 2006 को किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सेतु का संरेखण वन भूमि में आने के कारण सेतु का निर्माण कार्य वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट रोड से तहसील मुख्यालय होते हुए आदि रोडों व पुलिया के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की जानकारी

40-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-791/35-04-2006, दिनांक 31 मार्च, 2006 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट रोड से तहसील मुख्यालय होते हुए रेघरवा, जखौली अरनी होकर बेवां-उतरौला रोड तक की सड़क लेपन स्तर तक एवं आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था ? क्या यह सही है कि इस मार्ग का निर्माण कार्य बीच-बीच में छोड़-छोड़ कर किया गया है ? यदि हां, तो क्या अधूरे कार्यो को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कि0मी0 1.00 में मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण अपूर्ण, शेष कार्य पूर्ण है।

मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की दो परियोजनाओं हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्य पूर्ण होने की जानकारी

41-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 में शासनादेश सं0 यू0ओ0-200 पू0विनि0/23-14-06 के तहत जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की दो परियोजनाओं पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो ये कार्य कब तक पूर्ण कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, दवाओं तथा एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

42-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं दवाओं का अभाव है ? क्या यह भी सही है कि बीसलपुर स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन होने के उपरान्त भी एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीसलपुर में एक्स-रे मशीन उपलब्ध एवं क्रियाशील है जिससे रोगियों के एक्स-रे किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर माडल टाउन के रूप में विकसित करने हेतु योजना की मांग

43-श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर माडल टाउन के रूप में विकसित करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने की दशा में इससे अधिक आपूर्ति संभव हो सकेगी।

प्रदेश में जनपद मुख्यालय की भांति तहसील मुख्यालयों पर भी विद्युत आपूर्ति कराने की मांग

44-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के दो शैड्यूल है जिसमें एक जनपद मुख्यालय व दूसरा तहसील मुख्यालय व देहात है ? क्या यह सही है कि जनपद मुख्यालय

पर अधिक और तहसील मुख्यालय व ग्रामीण स्तर पर कम विद्युत आपूर्ति की जाती है जबकी तहसील मुख्यालयों पर भी शहरी क्षेत्र की भांति मीटर लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्र की भांति तहसील मुख्यालयों पर भी विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां, विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने पर विद्युत आपूर्ति में वृद्धि संभव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में बिजली व्यवस्था को सुधारने हेतु अघोषित विद्युत कटौती बन्द करने की मांग

45-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में हो रही अघोषित एवं अत्याधिक विद्युत कटौती से शहर का उद्योग क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर नगर की बिजली व्यवस्था सुधारने हेतु अघोषित कटौती बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर नगर को 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने का शेड्यूल है। वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण कभी-कभी आकस्मिक कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है। स्थिति साामन्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

जनपद बरेली में ट्रांसफार्मर लगाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

46-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शाहपुर ब्लाक फतेहगंज पश्चिम त0 मीरगंज जनपद-बरेली में ट्रांसफार्मर लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10022981 पत्र सं0-सी0एम0 वि0को0/एम/ पी0जी0 10022981/2012 दिनांक 28-04-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्राम शाहपुर, ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली में 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक किसानों की शिकायत पर दिनांक 22-3-2011 को बदल दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के कस्बा शाही और मीरगंज में गेहूं क्रय केन्द्र लगाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

47-श्री सुल्तान बेग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र कम्प्यूटर सं0-पी0जी0 10022578 पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0 पी0जी0 10022578/2012, दिनांक

28-04-2012 जो कस्बा शाही और मीरगंज जनपद बरेली में गेहूं क्रय केन्द्र लगाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

कस्बा मीरगंज में पूर्व से स्थापित एस0एफ0सी0 के क्रय केन्द्र के अतिरिक्त पी0सी0एफ0 का भी एक क्रय केन्द्र खोल दिया गया है तथा कस्बा शाही के दोनों ओर 04 कि0मी0 दूरी पर चकरपुर लमकन में पी0सी0एफ0 तथा 03 कि0मी0 दूरी पर लालपुर में पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के मजरे मोतियारी का पुरवा का विद्युतीकरण करने की मांग

48-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के विकास खण्ड-महुआ के ग्राम-मोतियारी के अन्तर्गत मजरे-मोतियारी का पुरवा (कछिया पुरवा) एवं बेला पुरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मोतियारी के मजरों की आबादी 300 से कम है, अतः मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़नी में स्थित बन्द पड़े पी0सी0एफ0 कोल्ड स्टोर को पुनः चालू करने की मांग

49-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी में स्थित कई वर्षों से बन्द पड़े पी0सी0एफ0 कोल्ड स्टोर का जीर्णोद्धार करके पुनः चालू कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पी0सी0एफ0 सिद्धार्थनगर के बढ़नी स्थित डुमरियागंज शीतगृह वर्ष 1982 में संचालित किया गया था। वर्ष 1993-94 तक इस शीतगृह से संस्था को रु0 146.91 लाख की संकलित हानि होने पर इसे बन्द करना पड़ा। 1993-94 से लगभग 19 वर्षों से बन्द होने के फलस्वरूप प्लाण्ट/मशीनरी सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है और किसी प्रकार से मरम्मत योग्य भी नहीं रह गयी है। अतः इसका जीर्णोद्धार करके पुनः चालू कराना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[2सरे गुरूवार के अता0 प्रश्न सं0 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाने हेतु सरकारी योजना की जानकारी

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में मैट्रो ट्रेन चलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी ? क्या इसका रूट एस0जी0पी0जी0आई0 से सीतापुर रोड, जानकीपुरम् तथा गोमती नगर से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

परियोजना के प्रारम्भ किये जाने की कोई तिथि अभी निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा मेट्रो रेल हेतु मिलने वाली राईडरशिप के आधार पर मार्गों का चयन किया गया है।

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की मांग

53-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला योजना वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में स्थित भगवान परशुराम के मन्दिर के विकास हेतु आर0सी0सी0 बेन्च, फ्लोर टाइल्स, स्टोन वर्क, फ्लोरिंग आदि कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद उत्तरी विधान सभा क्षेत्र पुराना बैराहना के न्यू लश्कर लाइन मोहल्ले में बर्फ खाने के सामने वाली गली के पीछे खम्भे गड़वाकर बिजली के तार लगवाये जाने की मांग

54-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र-पुराना बैराहना के न्यू लश्कर लाईन मोहल्ले में बर्फ खाने के सामने वाली गली के पीछे नये बिजली के तार बिना खम्भे के ही लगा दिये गये हैं जो कई घरों को छूतें हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खम्भे गड़वाकर बिजली के तार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद इलाहाबाद के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र पुराना बैराहना के न्यू लश्कर लाइन मोहल्ले में बर्फ खाने के सामने वाली गली के पीछे एरियल बन्च कन्डक्टर लगा दिया गया है।

जी हां।

जून तक कार्य कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण घटित अनुशासनहीनता की घटनाओं की रोकथाम हेतु कारगर योजना बनाये जाने की मांग

55-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निरंकुशता के कारण दंगा फसाद एवं अनुशासनहीनता की घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कारागारों में उक्त की रोकथाम हेतु कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

प्रदेश की कतिपय कारागारों में दंगा फसाद एवं अनुशासनहीनता की कतिपय घटनायें होती रही हैं।

जी नहीं।

कारागारों में होने वाली घटनाओं/उपद्रव में लिप्त पाये जाने वाले दोषी बंदियों को अन्य कारागारों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

जनपद बुलन्दशहर ग्राम भुन्ना स्थित जहांगीरपुर सहकारी चीनी मिल को चालू कराये जाने की मांग

56-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम भुन्ना में स्थित जहांगीरपुर सहकारी चीनी मिल वर्ष 1989 में स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त चीनी मिल चालू हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

चीनी मिल की परियोजना लागत में वृद्धि होने, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के सीमित होने तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त होने में कठिनाई के कारण इस मिल की स्थापना नहीं हो पाई। वर्तमान में यह मिल परिसमापन में है।

निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर में शारदा व कौड़ियाला नदी के बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर में शारदा व कौड़ियाला नदी के बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01 मई, 2012, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

1-ग्राम खमरिया के सामने शारदा नदी की धारा को सीधा करने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। जिस स्थान पर नदी की दिशा परिवर्तित हो रही है, उस स्थान पर स्टड निर्माण की एक परियोजना रु0 238.00 लाख की प्रस्तावित है।

2-मोहना नदी आदि की बाढ़ के पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए एक परियोजना बनाई गयी है।

3-सुहेली व शारदा नदी की बाढ़ से पलिया व उसके आस-पास के क्षेत्रों को बचाने के लिए रिंग बंध निर्माण की एक परियोजना जी0एफ0सी0सी0 के विचाराधीन है।

निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

58-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद-लखीमपुर में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01 मई, 2012, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। निघासन विधान सभा क्षेत्र में एक और चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र पर विचार किया गया। विचारोपरान्त उक्त क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के भवानीगंज से रठैना-जंगलीपुर होते हुए मझवा घाट सम्पर्क मार्ग के पूर्ण होने की जानकारी

59-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-915/35-4-2006, दिनांक 31 मार्च, 2006 के द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के भवानीगंज

से रटैना-जंगलीपुर होते हुए मझवा घाट तक 3.70 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी तथा विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के कोनिया-रज्जाकपुरा क्षेत्र में वरुणा नदी पर मिनी पुल निर्माण कराने की मांग

60-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोनिया-रज्जाकपुरा क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु वरूणा नदी पर एक मिनी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09-05-2012, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सर्वेक्षण के अनुसार 3 कि0मी0 अपस्ट्रीम में सेतु बना हुआ है। डाउन स्ट्रीम में 2 कि0मी0 की दूरी पर सरायमोहाना के पास सेतु निर्माणाधीन है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु निर्माण फिजिबिल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालयों/तहसील स्तर/ग्रामीण क्षेत्रों/बार्डर एरिया में विद्युत आपूर्ति हेतु बनायी गयी नीति

61-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों/तहसील स्तर/ग्रामीण क्षेत्रों/बार्डर एरिया में विद्युत आपूर्ति की कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में बार्डर एरिया में विद्युत आपूर्ति की अलग से कोई नीति नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण विभिन्न स्तर के नगरों/क्षेत्रों में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के घण्टे निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं :-

1-ग्रामीण एवं तहसील क्षेत्र-	10 घण्टे
2-जनपद व समकक्ष-	17 घण्टे
3-मण्डल स्तरीय क्षेत्र-	20 घण्टे

4-महानगर-	22 घण्टे
5-बुन्देलखण्ड-	18 घण्टे
6-औद्योगिक क्षेत्र-	24 घण्टे
7-ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र-	24 घण्टे

8-24 घण्टे वाले क्षेत्र पूर्ववत् आपूर्ति पायेंगे जिनमें ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र, लखनऊ लोक सभा क्षेत्र, नोयडा क्षेत्र, रेलवे आदि प्राथमिक उपकेन्द्रों से पोषित औद्योगिक इकाइयां व कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सम्मिलित है

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पोल लगने, विद्युतीकरण एवं जर्जर तारों को बदलने की मांग

62-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के विद्युतीकरण विद्युत पोल लगाने, विद्युत तारों की मरम्मत व बदलने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, बहराइच को दिनांक 16-04-2012 को प्रेषित-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 245 नग पुराने पोलों एवं 8.6 कि0मी0 जर्जर तारों को बदलने की कार्य योजना बिजनेस प्लान वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में कृषि सुधार योजनान्तर्गत ब्लाकवार गांवों में विद्युत चलित पम्प सेटों को बिजली को अलग फीडर से जोड़ने सम्बन्धी वर्ष 2012-13 में बनायी गयी योजना विषयक जानकारी

63-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत ब्लाकवार कितने गांवों में विद्युत चालित पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने की योजना वर्ष 2012-13 में बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

धनाभाव के कारण कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को बी0पी0एल0 कार्ड प्रदान करने की मांग

64-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के बी0पी0एल0 कार्ड, अधिकारियों द्वारा न बनाये जाने से आम गरीब

जनता को इस मंहगाई के दौर में जीवन यापन करना दूभर हो रहा है ? यदि हां, तो क्या बी0पी0एल0 कार्ड, न बनाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करके बी0पी0एल0 कार्ड बनवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

कानपुर महानगर हेतु 102161 बी0पी0एल0 एवं 63148 अन्त्योदय अर्थात् कुल 165309 राशन कार्ड का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत राशन कार्ड प्रचलित है। भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 लाभार्थियों की संख्या निर्धारित कर देने के कारण शेष गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड निर्गत किया जाना संभव नहीं है। ऐसे परिवारों को ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 लाभार्थी परिवारों की संख्या निर्धारित है।

प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन हेतु नीति

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों को आवंटित किये जाने हेतु क्या कोई नीति सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा/01 दिनांक 17-8-2002 एवं शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/01, दिनांक 17-8-2002 द्वारा क्रमशः नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर दुकानों के आवंटन हेतु नीति निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता के सुधार हेतु योजना

66-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक माह में औसत कितने ट्रान्सफारमर फुक रहे हैं ? क्या सरकार ट्रान्सफारमर की गुणवत्ता के सुधार के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

माह अप्रैल, 2012 में विभिन्न क्षमता के कुल 8617 नग परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुए हैं।

ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय व्यवस्था प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर के शीतगृहों के मोटर, गन्ना प्रक्रिया इकाई के कलपुर्जे आदि एवं सहकारी धान मिल की सारी सम्पत्तियों की जांच

67-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत क्रय विक्रय समिति बीसलपुर, सहकारी धान मिल बीसलपुर, सहकारी शीतगृह बीसलपुर, गन्ना प्रक्रिया इकाई बीसलपुर तथा साधन सहकारी समितियों में प्रभारी कौन-कौन है ? क्या यह सही है कि सहकारी धान मिल, शीतगृह गन्ना प्रक्रिया इकाई आदि बन्द हो गये हैं या बन्द होने की कगार पर हैं ? क्या उक्त शीतगृहों के सभी मोटर, गन्ना प्रक्रिया इकाई के समस्त कलपुर्जे आदि तथा सहकारी धान मिल की सारी सम्पत्तियों का चोरी होना दर्शाकर बेंच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा उच्च स्तरीय जांच कराकर विधिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, बीसलपुर द्वारा संचालित सहकारी धान मिल, बीसलपुर सहकारी शीतगृह बीसलपुर तथा गन्ना प्रक्रियात्मक इकाई बीसलपुर में अपर जिला सहकारी अधिकारी, बीसलपुर, सचिव पद पर कार्यरत है। साधन सहकारी समितियों में निम्न विवरण के अनुसार कर्मचारी सचिव पद पर नियुक्त हैं :-

1-अमरिया	श्री मो0 ग्यास (कैडर)
2-दियोरनियां	श्री रामेन्द्र पाल सिंह (सह0 पर्य0)
3-आसपुर अण्डराइन	श्री हेमनाथ वर्मा (कैडर)
4-बरात बोझ	श्री जय प्रकाश शुक्ला (कैडर)
5-बिलहरा बालपुर	श्री रामेन्द्र पाल सिंह (सह0 पर्य0)
6-करगैना	श्री कृष्ण कुमार (नान कैडर)
7-न्यूरिया	श्री राकेश चन्द्र सक्सेना (कैडर)
8-विथरा	श्री तेजवीर सिंह (नान कैडर)
9-भिखारीपुर	श्री गिरजा शंकर (नान कैडर)
10-टाडरपुर	श्री राकेश चन्द्र सक्सेना (कैडर)
11-जहानाबाद	श्री गोधन लाल (कैडर)
12-ललौरीखेड़ा	श्री महेन्द्र पाल सिंह यादव (कैडर)
13-निजामडाडी	श्री महेन्द्र पाल यादव (कैडर)
14-कनाकोर	श्री महेन्द्र पाल यादव (कैडर)
15-ऐसी	श्री राम भरोसे लाल (कैडर)
16-शाही	श्री कृष्ण कुमार सिंह (कैडर)

17-पीलीभीत	श्री ओम प्रकाश वर्मा (नान कैडर)
18-दहगला	श्री मनोज कान्त (नान कैडर)
19-बिठौरा कला	श्री चिंरौजी लाल (कैडर)
20-लौकहा	श्री चिंरौजी लाल (कैडर)
21-कल्यानपुर नौगवां	श्री तुलसीराम गंगवार (कैडर)
22-अजीतपुर	श्री रामपाल शर्मा (कैडर)
23-रूपपुर कमालू	श्री महेन्द्र (नान कैडर)
24-पौटाकलॉ	श्री राजेन्द्र (नान कैडर)
25-माधौ टांडा	श्री भानु प्रताप सिंह (सह0 पर्य0)
26-कलीनगर	श्री रामशंकर श्रीवास्तव (कैडर)
27-जमुनिया	श्री हरपाल सिंह (कैडर)
28-रमनगरा	श्री ओम प्रकाश सिंह (कैडर)
29-विलसण्डा	श्री भानु प्रताप सिंह (कैडर)
30-बमरौली	श्री महेश चन्द्र यादव (कैडर)
31-भदेनकंजा	श्री अशोक कुमार शुक्ला (कैडर)
32-सिधौराखडगपुर	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (कैडर)
33-घुघचइया	श्री मो0 सैदुल साजद्दीन (कैडर)
34-इमलियागंगी	श्री विजय बहादुर सिंह (कैडर)
35-नांद	श्री अनिल कुमार कपूर (कैडर)
36-नवदिया रोहनिया	श्री सुरेश पाल यादव (कैडर)
37-जमुनियामउवा	श्री संजीव कुमार सक्सेना (कैडर)
38-बीसलपुर	श्री विजय कुमार सिंह (नान कैडर)
39-परेवाकिसमी	श्री राजबीर सिंह (कैडर)
40-चुर्राराकतपुर	श्री सुरेश पाल सिंह (नान कैडर)
41-खाण्डेपुर	श्री राजेन्द्र कुमार (नान कैडर)
42-चुटकुना	श्री भगवान दास (नान कैडर)
43-रसियाखानपुर	श्री महमूद खां (नान कैडर)
44-जसौली दीवाली	श्री साधू राम गंगवार (नान कैडर)
45-अमृता	श्री विजय सक्सेना (नान कैडर)
46-बरखेड़ा	श्री तोतर पाल गंगवार (नान कैडर)
47-जोगीठेर	श्री सुरेश चन्द्र (नान कैडर)

48-गजरौला	श्री सुदर्शन पाठक (कैडर)
49-रामनगर	श्री ओम प्रकाश (नान कैडर)
50-सुहास	श्री होरी लाल (नान कैडर)
51-शाहगढ़	श्री अनिल कुमार सक्सेना (सह0 पर्य0)
52-शिवनगर	श्री हरिशंकर अग्रवाल (सह0 पर्य0)
53-रमपुरा फकीरे	श्री अनिल सक्सेना (सह0 पर्य0)
54-कबीरगंज	श्री छोटे लाल गंगवार (सह0 पर्य0)
55-हजारा	श्री अनिलेश कटियार (नान कैडर)
56-पिपरिया दुलई	श्री शिव स्वरूप मिश्र (नान कैडर)
57-दिलावरपुर	श्री प्रदीप कुमार सक्सेना (कैडर)
58-घाटमपुर	श्री प्रीतम सिंह (कैडर)
59-सिंहपुर	श्री राम प्रकाश शुक्ला (कैडर)
60-सुल्तानपुर	श्री संतोष सक्सेना (कैडर)
61-रायपुर विचपुरी	श्री हरवीर सिंह (नान कैडर)
62-घुघचाई	श्री मनीष दीक्षित (नान कैडर)
63-भगवन्तापुर	श्री त्रिभुवन तिवारी (नान कैडर)
64-मोहनपुर	श्री वीरेन्द्र सिंह (कैडर)
65-रुद्रपुर	श्री प्रमोद कुमार अवस्थी (कैडर)
66-शरेपुर कला	श्री ऋषिराज सिंह (सह0 पर्य0)
67-शिकरैना	श्री प्रमोद कुमार शुक्ला (कैडर)
68-दुधिया खुर्द	श्री सुरेश चन्द्र मिश्र (सह0 पर्य0)
69-जोगराजपुर	श्री शिव कुमार शुक्ला (नान कैडर)
70-धुरी पट्टी	श्री राम खिलौना (नान कैडर)
71-पकडिया मंगली	श्री लाल बहादुर (नान कैडर)
72-जग्गीपुर जैतपुर	श्री उमेश दीक्षित (नान कैडर)
73-खरगापुर	श्री हरी पाल सिंह (नान कैडर)
74-काजरबो प्री	श्री ओम प्रकाश (नान कैडर)
75-कैशोपुर	श्री तोतर पाल (नान कैडर)
76-वराहा विक्रम	श्री कृष्ण मुरारी (नान कैडर)

जी हां, सहकारी धान मिल, सहकारी शीतगृह, गन्ना प्रक्रिया इकाई वर्तमान में पूर्णतयः बन्द हो चुकी है।

जी नहीं।

सहकारी शीतगृह एवं सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई के सामान की चोरी हो गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन चौकीदार द्वारा दिनांक 23-10-1996 को थाना बीसलपुर में दर्ज करा दी गयी है। सहकारी धान मिल की मशीनरी उपलब्ध है जिसका मूल्यांकन कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विभागीय जांच करायी जा रही है।

चीनी उद्योग को लाइसेन्स मुक्त किये जाने की मांग

68-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गन्ना विकास हेतु कल्याणकारी कार्य करने के लिये कटिबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गुड़ एवं चीनी नियंत्रण पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने तथा चीनी उद्योग को लाइसेन्स मुक्त किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

खड़े कोल्हू व खाण्डसारी इकाइयों के माध्यम से गुड़ उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट लागू नहीं है। गुड़ पर कोई स्टाक लिमिट निर्धारित नहीं है।

चीनी उद्योग को लाइसेन्स मुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः भारत सरकार को कोई संस्तुति प्रेषित करने का प्रश्न नहीं है।

ऊपर अंकित लाइसेन्स मुक्ति से किसानों का हित कुप्रभावित होगा।

जनपद पीलीभीत नगर बीसलपुर में लगे जर्जर बिजली के खम्भे तथा तारों को बदलवाने की व्यवस्था

69-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में लगे बिजली के खम्भे तथा विद्युत तार बहुत ही जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर खम्भे तथा तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में जर्जर तारों का बदला जाना अनुमोदित है। योजना में कार्य प्रारम्भ होने पर उक्त कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्नगत कार्य दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की पटरियों को पक्की कराये जाने की मांग

70-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरें निगोही ब्रांच नहर, ईटगांव रजवाहा बीसलपुर ब्रांच नहर शिवपुरी

अल्पिका, बेनीपुर माइनर एवं शाहजहांपुर ब्रांच नहर की पटरिया पटरी योजना के अन्तर्गत पक्की कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में इन नहर पटरियों को पक्का कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि उपज के रखने हेतु भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण की मांग

71-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उपज के रखने के लिये प्रदेश में कितने मीट्रिक टन भण्डारण की क्षमता की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितने मीट्रिक टन भण्डारण की क्षमता उपलब्ध है ? क्या शेष आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

कृषि उपज विशेषकर खाद्यान्न के रखने के लिए प्रदेश में पीक सीजन में लगभग 67 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षमता की आवश्यकता रहती है जिसके विरुद्ध वर्तमान में विद्यमान भण्डारण क्षमता लगभग 56 लाख मी0 टन की है। इस प्रकार 11-12 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षमता की कमी है।

जी हां।

भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित पी0ई0जी0-2008 योजनान्तर्गत निजी उद्यमियों की सहभागिता से 18.60 लाख मी0 टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य लक्षित है।

जिला अलीगढ़ की गभाना तहसील मुख्यालय पर निरीक्षण भवन बनवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ की गभाना तहसील मुख्यालय पर निरीक्षण भवन बनवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार तहसील गभाना, जनपद मुख्यालय अलीगढ़ से 20 कि0मी0 तथा खुर्जा तहसील से 25 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। अलीगढ़ एवं खुर्जा दोनों जगह निरीक्षण भवन मौजूद हैं। अतः तहसील गभाना में निरीक्षण भवन बनाये जाने की उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील में अलग से इण्डस्ट्रियल फीडर विलासपुर के अवशेष कार्य को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

73-श्री संजय कपूर-

26-04-12 73-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर में अलग से इन्डस्ट्रियल फीडर बनाने के लिये लगभग दो वर्ष पूर्व स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका अधिकांश कार्य पूर्ण भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इन्डस्ट्रियल फीडर, विलासपुर का अवशेष कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां

जी हां।

6 कि0मी0 लम्बी लाइन के निर्माण में लगभग 1800 मीटर कन्डक्टर नहीं लगाया जा सका है। इस सम्बन्ध में वन विभाग, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण अंचल के गांवों को पिच रोड के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना

74-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण अंचल के गांवों को पिच रोड के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह प्रदेश सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की बसावटों को 'एकल सम्पर्कता' के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम पैना बुजुर्ग में पुवायां रोड से सरदारों की झालों तक के मार्ग को लेपन स्तर तक कराने की मांग

75-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम पैना बुजुर्ग में पुवायां रोड से सरदारों की झालों तक मार्ग जिसकी दूरी 500 मी0 है, खड़न्जा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे लेपन स्तर तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को विभिन्न योजनाओं में लेपित कराने की प्राथमिकता है। प्रश्नगत झाले की आबादी 250 से कम लगभग 20 होने के कारण इसे लेपित करना शासन की नीति में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी में कोनिया, खालिसपुर, अमीनाबाद आदि अनेक क्षेत्रों के लोगों की परेशानी को देखते हुए एक मिनी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की छावनी परिषद् मेरठ को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान पर रोक लगने के कारण छावनी परिषद् की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना सुश्री सावित्री बाई फूले की जनपद बहराइच में समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 परिवारों को पुनर्वास हेतु दिये गये पट्टे पर दी गई जमीन पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के दिल्ली-कानपुर रेलवे मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री अजय मिश्रा की नेपाल सीमा से लगे 15 कि0मी0 की दूरी तक उर्वरक लाइसेन्स निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री अजय मिश्रा ने अपनी सूचना पढ़ी)

छठी सूचना श्री उमाशंकर की विधान सभा रसड़ा के 15000 से अधिक आबादी वाला गांव सराय भारती एवं हजौली जो कि पेयजल समस्या से ग्रसित है वहां पर ओवरहेड टैंक लगाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की विधान सभा क्षेत्र इगलास, अलीगढ़ के कतिपय नालों की सिल्ट सफाई शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सदर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। (सूचना पढ़ी गयी)।

नवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की विधान सभा क्षेत्र महोली/मिश्रिख, जनपद सीतापुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में बेल्थरा रोड से सिकन्दरपुर होते हुए जिला मुख्यालय बलिया तक सड़क धीमी गति से बनाने एवं ठेकेदार द्वारा 15 कि0मी0 तक सड़क छोड़े जाने के सम्बन्ध में है।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह वैसे ही प्रोसीडिंग में आ जायेगा पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारा जनपद बलिया [x x x]

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना में लिखा है वही पढ़ेंगे। दूसरा नहीं पढ़ेंगे।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे थे क्या आपने अपनी सूचना में वही लिखा है। जियाउद्दीन रिजवी साहब, पढ़ा वही जाता है जो इसमें लिखा जाता है। आप जो बोल रहे थे अगर वह इसमें नहीं लिखा होगातो निकाल दिया जायेगा। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार के अन्तर्गत बड़हलगंज में नारकोटिक्स विभाग की भूमि शवदाह स्थल के रूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद फतेहपुर में कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा में टाण्डा फाल से निकली नहर, हर्रई माइनर व बीरपुर माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की विधान सभा गंगोह में नानौता शुगर मिल से एवं मधुसूदन दूध फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक उत्प्रवाह से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है।

पंद्रहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत बदला इलाहाबाद रोड पर बरपुर गांव में टूटी पुलिया ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :--

1-ठा0 संगीत सिंह सोम,

2-श्री रवीन्द्र जायसवाल,

3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

4-ठा0 दलवीर सिंह,

5-श्री विजय कुमार दुबे,

6-श्री प्रमोद तिवारी,

7-श्री शारदा प्रताप शुक्ला,

8-श्री प्रदीप माथुर,

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

9-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

10-श्री सुरेश बंसल,

11-श्री उमेश पाण्डेय,

12-श्री जय प्रकाश निषाद,

13-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

14-ठा0 सूरजपाल सिंह,

15-श्री तसलीम अहमद,

16-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

17-श्री मदन चौहान तथा

18-श्री राघव लखनपाल शर्मा।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

वाराणसी में कोनिया, खालिसपुर, अमीनाबाद आदि अनेक क्षेत्रों के लोगों की परेशानी को देखते हुए एक मिनी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का कोनिया क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके किनारे वरूणा नदी है। आवागमन की आवश्यकता की दृष्टि से कोई पुल न होने से किसी व्यक्ति द्वारा बांस बल्ली लगाकर एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया है जिस पर आना-जाना बहुत खतरनाक होने के बावजूद 5-10 रु0 शुल्क अदा करके विवशतावश आने-जाने को लोग बाध्य हैं। ज्ञातव्य हो कि बहुत से गरीब मजदूर भी रोजी-रोटी कमाने हेतु उस पार के क्षेत्रों में तथा उस पार के लोगों को इस पार आना पड़ता है जिन्हें रात्रि कालीन समय में बहुत ही खतरे का सामना करना पड़ता है, यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाय तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। विकास की दृष्टि से कई विधान सभाओं को जोड़ने वाले इस पुल के निर्माण से आवागमन में सुविधा के साथ ही 5-6 किमी0 की दूरी कम हो जायेगी जिससे विकास का मार्ग भी प्रसस्त होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा व्यापक जनहित में उक्त मिनी पुल के निर्माण की मांग करता हूं।]

छावनी परिषद् मेरठ की दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान पर रोक लगने के कारण छावनी परिषद् की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय, वर्ष 1990 से पूर्व सरकार द्वारा समस्त प्रदेश में चुंगी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी। इससे पूर्व एक पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत नगर निगम मेरठ एवं छावनी परिषद्, मेरठ द्वारा चुंगी वसूल किये जाने से एकत्रित किये गये चुंगी कर का 14.48 प्रतिशत अंश छावनी परिषद् को प्राप्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होता था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश सं0 330/बी/11-9-90-27(जनरल)/54/दिनांक 31-07-90 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से चुंगी कर समाप्त कर नगर निगम, मेरठ तथा छावनी परिषद्, मेरठ को चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था लागू कर दी गयी जिसके परिपालन में अंतिम वर्ष 2009-10 हेतु छावनी परिषद्, मेरठ को 3,17,69,760.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2009-10 के उपरान्त नगर विकास विभाग, अनु0 9 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 205/9-10-05 तृ0रा0वि0आ0/10, दिनांक 28-01-2011 को छावनी परिषद्, मेरठ को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान पर रोक लगा दी गयी जिसके कारण छावनी परिषद् की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी। लगातार दो वर्ष से चुंगी अनुदान न मिलने के कारण यह स्थिति दिन प्रति दिन विकराल होती जा रही है। धनराशि के अभाव में छावनी परिषद्, मेरठ विकास की राह में पिछड़ रहा है। यहां तक कि छावनी परिषद् के वर्तमान संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बामुश्किल हो पा रहा है। नये टैक्स लगाने से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मंहगाई के कारण जनता पहले ही बेहाल है। छावनी परिषद् के अन्तर्गत रहने वाले नागरिक भी उत्तर प्रदेश राज्य के ही नागरिक हैं। इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर तत्कालन प्रभाव से चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान छावनी परिषद् को दिया जाना चाहिए तथा पिछले दो वर्ष का बकाया अनुदान भी छावनी परिषदों को मिलना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 परिवारों को पुनर्वास हेतु दिये गये पट्टों की जमीन पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री सावित्री बाई फूले-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बलहा, जनपद बहराइच में समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 परिवारों को पुनर्वास एवं कृषि करने हेतु 792 एकड़ भूमि सुरक्षित कर 6 एकड़ प्रति परिवार को पट्टे पर दिया गया। परन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। स्थानीय दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा प्रशासन से सांठ-गांठ करके उक्त जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। गरीब जनता जब प्रशासन से इसकी शिकायत करती है तो दबंगों द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है। प्रशासन के स्तर से भी उनको कागज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शेष जमीन पर अवैध कब्जा है जिसकी जांच कराकर खाली करायी जाय।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। गरीब किसानों से जुड़ा हुआ है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के दिल्ली-कानपुर रेलवे मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली-कानपुर रेलमार्ग के दो भागों में बंटी हुई है। दोनों तरफ लाखों की संख्या में नागरिक निवास करते हैं। इस औद्योगिक नगर के पूरे

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विस्तार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से नगर की जनता रेलवे लाइन के दूसरी तरफ सुचारू रूप से जा सके।

उक्त रेलमार्ग भारत के व्यस्ततम रेलमार्गों में एक है। जिसके कारण दोनों तरफ विभाजित इस महानगर की आबादी, उद्योग धंधे, किसान से लेकर पशुओं तक को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में अत्यन्त विकराल कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि उक्त क्षेत्र में एक पुल का निर्माण हो जाता है तो नगर की जनता वर्षों तक इसका लाभ उठाती रहेगी। यातायात में भी सुगमता आ जायेगी।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नेपाल सीमा से लगे 15 किमी0 की दूरी तक उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

महोदय, उर्वरक की तस्करी रोकने के लिए नेपाल सीमा से लगे 15 किमी0 क्षेत्र के लाइसेंस पूर्ववर्ती सरकार मा0 मुलायम सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में निरस्त करने के आदेश दिये गये थे। लगभग 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उर्वरक की तस्करी समाप्त होने के बजाय और अधिक बढ़ गयी है। इस तरह की कार्यवाही से तस्करी तो नहीं समाप्त हुई किसानों को उर्वरक के लिए 15 किमी0 दूरी का चक्कर जरूर लगाना पड़ रहा है। किसानों को 1-2 बोरी खाद के लिए 10-15 किमी0 तक जाना पड़ता है जिससे समय व धन की हानि होती है। किसानों में इस तरह की कार्यवाही से असन्तोष व्याप्त है। जनहित में उक्त प्रतिबंध को हटाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रतिबंध को हटाकर उर्वरक के लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।

विधान सभा रसड़ा के 15000 से अधिक आबादी वाला गांव सराय भारती एवं हजौली जो कि पेयजल समस्या से ग्रसित है वहां पर ओवरहेड टैंक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलंत एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा सराय भारती एवं हजौली जो कि रसड़ा तहसील का सबसे बड़े गांव होने के साथ यहां की आबादी भी 15000 से अधिक है। टोंस नदी के किनारे बसा सराय भारती गांव जो कि आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित है और इन दोनों गांवों का भूजल स्तर भी काफी नीचे है। जनहित में इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उपरोक्त दोनों गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस औचित्य के विषय पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र इगलास, अलीगढ़ के कतिपय नालों की सिल्ट सफाई शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) से तीन नाले गुजरते हैं :-

1-ईखू ड्रेन नगला दहोडा से निठावरी तक सफाई।

2-भूरिया की गढ़ी से नगला बलराम तक जो करवन नदी में मिलता है।

3-भडीरा से कलुआ वेलोठ तक करवन नदी में मिलता है।

जिनकी विगत कई वर्षों से सिल्ट सफाई नहीं हुई है जिसके कारण वर्षा के समय ये नाले ओवर फ्लो हो जाते हैं जिससे खेतों में धान की फसल नष्ट हो जाती है तथा पानी भराव के कारण क्षेत्र में डेंगू मलेरिया आदि बीमारियां फैलती हैं इसमें पशुओं की जानमाल की हानि वर्षा के दिनों में अक्सर होती है अधिक पानी भराव होने के कारण खेतों में रवि की फसल बुआई भी नहीं हो पाती है। जिससे किसानों की आर्थिक क्षति होती है इन नालों की सफाई न होने के कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन के त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सदर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, प्रदेश में इंजीनियरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता पर कदम उठा रही हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर जोर दे रही है। वहीं राजधानी से सटे जनपद-हरदोई में इंजीनियरिंग कालेज का अभाव है जिसके कारण जनपद के निर्धन छात्र छात्रायें टैकनिकल शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जिससे जनपद टेक्निकल शिक्षा में पिछड़ा है। जनपद हरदोई की जनता की मांग है कि विधान सभा क्षेत्र सदर हरदोई में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करा दिया जाय। जिससे जनपद के होनहार बच्चों को इंजीनियर बनने का अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को इंजीनियरिंग क्षेत्र में बढ़ावा देने एवं आई0टी0 हब बनाने का लाभ भी जनपद के छात्रों को मिलेगा एवं जनपद तकनीकि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो जायेगा।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से विधान सभा क्षेत्र सदर, हरदोई में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र महोली/मिश्रिख, जनपद सीतापुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र महोली/मिश्रिख जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सीतापुर में महर्षि दधीचि जी पुण्य स्थली व मां ललिता देवी पवित्र स्थान मिश्रिख सबसे बड़ी तहसील है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता के लिये बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में पत्रावली शासन स्तर पर लम्बित है। अभी वकीलों द्वारा आन्दोलन चलाया गया। मैंने दिनांक 5-6-2012 को उक्त अनशन पर बैठे लोगों से अनशन समाप्त कराया। यह जनहित का लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में बेल्थरा रोड से सिकन्दरपुर होते हुए जिला मुख्यालय बलिया तक सड़क धीमी गति से बनाने एवं ठेकेदार द्वारा 15 कि0मी0 तक सड़क छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

महोदय, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बलिया जनपद में बेल्थरा रोड से सिकन्दरपुर होते हुए जिला मुख्यालय बलिया तक एन0एच0 में सड़क स्वीकृत है जिसका कार्य वर्ष 2011 से हो रहा है। परन्तु इतना धीमी गति से ठेकेदार के द्वारा कार्य कराया जा रहा है अभी तक 15 कि0मी0 तक सड़क तक नहीं बनाई गई है। छात्रशक्ति कन्सट्रेक्शन कम्पनी ने इस सड़क का ठेका ले रखा है लगभग 25 कि0मी0 सड़क एक वर्ष से खोदकर छोड़ दिया गया है जिससे प्रत्येक दिन दर्जनों वाहन गड्ढे में गिरकर क्षतिग्रस्त होते हैं प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है एक वर्ष में दर्जनों लोग सड़क दुर्घटना में मर चुके हैं हजारों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। खोदी हुई इस सड़क से मरीजों को जिला हास्पिटल ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई एम्बुलेंस रास्ते में ही क्षति ग्रस्त हो गये। छात्रशक्ति कान्सट्रेक्शन कम्पनी की घोर लापरवाही के कारण जनता में बहुत ही आक्रोश है इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी बहुत खराब है सरकारी धन को ठेकेदार द्वारा लूटा जा रहा है। कई बार लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं। यह सड़क को बरसात के पहले बनाया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है।

आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि बेल्थरा रोड सिकन्दरपुर होते हुए बलिया तक सड़क निर्माण में हो रही धीमी गति से कार्य की जांच उच्च एजेन्सी से कराया जाय एवं ठेकेदार एवं कान्सट्रक्शन कम्पनी का टेण्डर रद्द करके किसी अन्य एजेन्सी से युद्धस्तर पर इस सड़क को जनहित में बरसात के पूर्व निर्माण कराने की कृपा करें। नहीं तो बरसात कें यह सड़क नालों में बदल जायेगी और दुर्घटनायें बढ़ जायेंगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य को कराये जाने एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार के अन्तर्गत बड़हलगंज में नारकोटिक्स विभाग की भूमि शवदाह स्थल के रूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत बड़हलगंज में गत 40 वर्षों से सरयू नदी के किनारे शवदाह होता रहा है। जिसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आम जनता ने जनसहयोग से जीर्णोद्धार मुक्तिपथ के रूप में कराया है। उक्त भूमि भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग की है। जिसका बहुत बड़ा भूभाग नदी काट चुकी है। उसी के एक हिस्से में जहां लाशें जलती हैं, व्यवस्थित किया गया है। उक्त भूमि को मुक्तिपथ (अन्त्येष्टि स्थल) के रूप में दर्ज करने हेतु नारकोटिक्स विभाग इस शर्त पर सहमति देते हुए प्रदेश सरकार को कई पत्र लिखे हैं कि उक्त भूमि विभाग मुक्तिपथ को उपलब्ध कराना चाहता है बशर्ते बदले में इतनी भूमि जितने पर मुक्तिपथ के रूप में अन्त्येष्टि स्थल व्यवस्थित है राजस्व विभाग/सरकार नारकोटिक्स विभाग को उपलब्ध करा दे। उक्त प्रकरण उच्च अधिकारियों से कई बार पत्र व्यवहार किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि जनहित में राजस्व विभाग नारकोटिक्स विभाग को कोई भूमि उपलब्ध करा दे जिससे कि नारकोटिक्स विभाग की भूमि शवदाह स्थल (मुक्तिपथ) के लिये प्राप्त हो सके।]

विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद फतेहपुर में कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 238, जहानाबाद फतेहपुर में जनता की मांग पर निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग/पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती स0पा0 सरकार द्वारा नोन नदी पर चांदपुर लहुरी मऊ गांव पर पुल का निर्माण कराया गया था। किन्तु 800 मीटर सम्पर्क मार्ग पर दो नालों पर पुल का निर्माण कार्य न होने के कारण आवागमन बाधित है। बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण से जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है। अतः दो नालों पर पुल का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

उक्त के अतिरिक्त पाड़व नदी पर रूसी गांव से पुल तक अप्रोच रोड का कार्य अधूरा है। जिससे आवागमन बाधित है। अतः एप्रोच रोड का कार्य तत्काल कराया जाना अतिआवश्यक है।

रायपुर घाट पर रिन्द नदी पर पुल का निर्माण हो चुका है। पुल से रामपुर तक एप्रोच रोड न होने से जनता को आने जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः एप्रोच रोड का निर्माण कराना अतिआवश्यक है।

इसके अलावा कहिंजरा गांव पर नोन नदी पर पुल का निर्माण न होने बरसात के दिनों में विकास खण्ड व जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है। अतः पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त जनहित के इंगित 04 प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा में टाण्डा फाल से निकली नहर हर्रई माइनर व बीरपुर माइनर का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश चन्द्र विन्द-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डा फाल से निकली नहर हर्रई माइनर व बीरपुर माइनर, पहाड़ ऊपर ही लगभग दो से तीन किलोमीटर जर्जर हो चुकी है जिससे पूरा पानी पहाड़ के अन्दर ही चला जाता है। किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त फाल का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त टाण्डा फाल से निकली नहर हर्रई माइनर व बीरपुर का पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा गंगोह में नानौता शुगर मिल से एवं मधुसूदन दूध फैक्ट्री से निकलने वाले रसायनिक उत्प्रवाह से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नानौता में स्थित नानौता सुगर मिल से मधुसूदन दुग्ध फैक्ट्री से रसायनयुक्त पानी जो बहुत जहरीला बनकर निकलता है। जिससे क्षेत्र में भनेड़ा, पाण्डुखेडी, गिग्गी आदि गांव रसायनयुक्त पानी की चपेट में आने के कारण बहुत सी अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं जिससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और पानी का टी0डी0एस0 दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

क्या सरकार इस नाले को बन्द कराने या कोई ट्रीटमेंट प्लान चालू कराने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था कर रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत बदलापुर-इलाहाबाद रोड पर बरपुर गांव में टूटी पुलिया ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत बदलापुर इलाहाबाद रोड पर बरपुर गांव के सामने मुख्य मार्ग पर पुलिया टूटने के सम्बन्ध में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में विगत 1 साल से मुख्य मार्ग पर पुल टूट जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। तत्कालीन व्यवस्था के तहत बाई पास रास्ता बनाया गया था वह भी टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। क्षेत्र की जनमानस में उक्त पुल को लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि तत्काल उस पुल को ठीक करवाने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार विधान सभा के तीन अधिवेशन एवं 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अनुसार विधान सभा के तीन अधिवेशन एवं 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय तिवारी जी, अभी तो यह 7, 8 उपवेशन भी नहीं हुए हैं, जब यह न हों तब यह मामला आता है, पहले कैसे आ गया ?

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर मेरी दूसरी बात है, आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल सहमत हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृपापूर्वक ध्यान नियमावली के नियम-14 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं। अनु0-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, जो चल रहा है एक तरह से, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे, जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मैं मान्यवर, जो अलग बात कहना चाहता था वह यह कहना चाहता था कि पिछले पांच सालों में नियम-14 के अनुसार सामान्यतः आप आशा यह करते हैं कि 90 दिन सदन बुलाया जायेगा और 116 दिन एक साल में बुलाया जा चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जरा आप देखें, 2008 में 22 दिन....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी यह सोलहवीं विधान सभा है। पुराना क्या हुआ उसको छोड़िये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब तक पुराना नहीं होगा, नया को समझाने में मुझको दिक्कत होगी, तो पहले पुराना सुन लें, 22दिन 2008, 2009 में 13 दिन यानि 35 दिन और 2010 में 30 दिन में यानी 55 और वर्ष 2011 में 08 तो कहां साल में 90 दिन बुलाना चाहिये और पूरे पांच साल में 63 दिन, मेरी चिन्ता को समझने का प्रयास करिये मान्यवर, मैं सिर्फ यह चाहता हूं चूंकि यह नई सरकार आई है तो मैंने इसी लिये बताया कि पुरानी सरकार ने जो गड़बड़ी की, वह गड़बड़ी नई सरकार न करे। मेरा जो आशय है वह दूसरा था, 14 नहीं कृपापूर्वक सुन लें मान्यवर, 14 में एक संशोधन हुआ है नियमावली में, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो नई बात मैं कहना चाहता हूं, जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्य दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जाय। मान्यवर, जब से विधान सभा पैदा हुई, उत्पत्ति हुई, संरचना हुई और जब से यह क्लाज आया है, यह जोड़ा गया है मान्यवर, यह पुराना नहीं है, यथासम्भव दस दिन का, दो महीने के अन्तराल पर हो। यह मान्यवर, अभी हाल में ही जोड़ा गया है कुछ सालों पहले, तब से मैं सिर्फ आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, यह कब पूरा किया गया है। तो अगर नियमावली में लिखा गया है तो मैं दिन पर तो जोर डालता हूं 90 दिन, पर मेरा मुख्य जोर है वह यह है कि हर दो महीने पर दस दिन का सत्र बुलाया जाय। इस तरह से इस विधान सभा में कम से कम 6: सत्र हों, वर्षाकालीन, ग्रीष्म कालीन या शीतकालीन न हो।

मान्यवर, उस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आप और सरकार मिलकर इस पर प्रयास करेंगे कि अब 3 न हुआ करे अधिवेशन बल्कि 6 अधिवेशन हुआ करें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, थोड़ा तकनीकी प्रश्न है। इसमें मेरे ख्याल से आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है और आपका ही निर्णय हम सब मानेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी आपने प्रश्न अच्छा उठाया और आप सशंकित हैं कि जो पिछली बार नहीं हुआ तो ऐसा न हो कि न हो। मैं समझता हूं कि मैं यह सरकार की तरफ से कैसे कह सकता हूं लेकिन हमारा भी प्रयास है और सरकार का भी प्रयास है कि जो नियमावली में है उतने दिन विधान सभा चले।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, ये बार-बार याद दिलाते हैं कि इतना कम इतना कम हुआ। कहीं ये इस बात को याद करके ये वही न आ जायें। इसलिये ये बार-बार दिलाते हैं कि बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। आश्वस्त तो था पहले, कहीं उसका प्रभाव न पड़ जाये तो मैं प्रमोद जी से यही कहता हूं कि बार-बार याद न दिलायें।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जरा इस सम्बन्ध में आप नियम-14 देख लें। मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह है। अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन, आगे हैं कि अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षा कालीन अधिवेशन, शीत कालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव 2 माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। सत्र अधिक से अधिक हो यह सबकी राय है और सरकार की नियति भी आपको इसमें पता चल गई है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि प्रमोद जी ने जो सवाल उठाया है। मेरा सवाल इसी से सम्बन्धित दूसरा है कि इसका ये जो अन्तर्विरोध दोनों में है कि सामान्यतया 3 अधिवेशन होंगे और उसके नीचे 2-2- महीने पर 6 होंगे तो मान्यवर, इस एनॉमली पर जो ये इन दोनों के बीच अन्तर है, जो अन्तर्विरोध है इसको नियम समिति के माध्यम से यह शब्द ठीक करा लिया जाये। मेरा यह अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें सर्वोत्तम विचार आपके हो सकते हैं और आप विचार कर लें। और नियम समिति के सभापति भी आप ही हैं। नियम समिति में इसको भेज करके इसमें शब्द ठीक करा लें ताकि कांण्ट्रडिक्शन खत्म हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, पहले 90 दिन था, जनरली 90 दिन हो नहीं पाता था इसलिये जहां तक मुझे जानकारी है क्योंकि मैं नहीं जानता कि कब नियम बदला गया। मा0 त्रिपाठी जी, जब इस पीठ पर थे तो उन्होंने नियम समिति में ले जा करके इसकी संभावना इसलिये व्यक्त की होगी, जहां तक हमें जानकारी है कि 90 दिन अगर नहीं चल पाता है तो अगर 2-2 महीने पर 10-10 दिन चलेगा तो छः दूनी बारह तो उससे 90 दिन अपने आप पूरा हो जायेगा। आपका कहना यह है कि जब हम 90 दिन इन अधिवेशनों में ही चलाने जा रहे हैं तो ये दोनों कांण्ट्राडिक्ट हो जायेगा। मान लिजिये कि बजट सेशन आपका चला फिर 10 दिन बुलायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं था नियमावली के उस समय इसलिये मैं कह रहा हूं। दो शब्दों पर गौर करें, सामान्यतया यथासंभव। मान्यवर, अन्तर्विरोध कहीं है तो वह संसदीय कार्य मंत्री और राजस्व मंत्री के बीच है। चूंकि मैं योग्य मानता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी को, अब उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया लेकिन राजस्व मंत्री जी कदाचित उनको योग्य मानने के लिये तैयार नहीं हैं और वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्हें लगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है, वो जरा कम है, उसको बढ़ाने के लिये राजस्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी खड़े हो गये। तो मान्यवर, अन्तर्विरोध कहीं है तो दोनों मा0 मंत्रियों के बीच में है, शब्दों में नहीं है। मान्यवर, दो शब्द हैं, सामान्यतया और यथासंभव। मैं उसे इंग्लिस में ट्रान्सलेट करे दे रहा हूं। सामान्यतया मतलब जनरली और यथासंभव मतलब ऐज फार ऐज पॉसिबुल। दोनों में फर्क है और चूंकि नियमावली के समय मैं मौजूद था। हमारा सिर्फ यह कहना है मान्यवर, कि सेशन जब होते हैं तो कम से कम तीनों 30-30 दिन के होने चाहिये। वो हो नहीं रहे थे तो कहा यह गया कि 90 दिन रहे और 90 दिन अगर इन तीनों सेशन में नहीं पूरे होते तो कभी-कभी ऐसा होता है मान्यवर, कि 6 महीने जब पूरे होने लगते हैं तो भारत का संविधान कहता है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के अन्दर में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिये। इसलिये मजबूरी होती थी तब बुलाये जाते थे, उसको चेक करने के लिये एक सुझाव दिया गया।

एक सुझाव दिया गया यथासंभव एज-फार-एज पॉसिबुल अगर उचित हो तो किया जाए। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कुछ नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्यतः अर्डेन्टी, एज-फार-एज पॉसिबुल यथासंभव तो मान्यवर, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसमें सिर्फ सवाल यह है कि तीन सेशन तो बुलाये जाएं, अगर उसके बाद भी बीच में लम्बा गैप हो रहा हो तो यथासंभव वह सरकार की इच्छा पर है कि 2 महीने में 10 दिन का सत्र बुलाया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 प्रमोद जी ने जो बात कही है वह हमने आपके जिम्मे छोड़ दी है, इसलिये उस विषय में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो कान्ट्राडिक्शन की बात उन्होंने कही है, तो जहां पर वह है वहां आजू-बाजू इतना कान्ट्राडिक्शन है कि इस सत्र को बुलाए इतने दिन हो गये हैं और अभी तक वह पार्टी विधान सभा में अपना विधान मण्डल दल का नेता नहीं चुन पाई है। मान्यवर, संकट की पराकाष्ठा तो एकदम आग लगे की तरह से है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुनिए, उनके आक्षेप तो आप चलने देते हैं, मुस्कराते हुए मान्यवर, तो हमारी पीड़ा तो सुन लेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां है वहीं रहे और धनीभूत हो तो हमको कोई आपत्ति इस पर नहीं है। यह उनका काम उन्हीं को मुबारक रहे और हमारे लिये जो उन्होंने कहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री न सिर्फ सर्वोत्तम ज्ञाता हैं, बल्कि हम सब लोगों के नेता हैं, सर्वमान्य हैं, पूरी तौर पर हमारी पार्टी के। यह हमारे यहां का मामला नहीं है, यह मामला उन्हीं के यहां है और उन्हीं के यहां मुबारक हो।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी अब आपने भी कुछ कहा और उन्होंने भी कुछ कहा अब आप लोग इसी में उलझे रहियेगा तो आगे नहीं बढ़ पाइयेगा। अब आप बैठ जाइये। यह नियम-300 में आता नहीं इसको अग्राह्य किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री अजय मिश्रा की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन में दो माह में हुए अग्निकाण्ड से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 में नहीं बनता है। आप अपने नेता श्री हुकुम सिंह जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सीखें। हम लोग भी जब चुनकर

आये थे, तो उन्हीं के साथ बैठकर सीखते थे। आप उन से सीखिये ऐसा मुद्दा न उठाया करिये जो नियम 300 में नहीं बने। इसके बाद श्री उमाशंकर सिंह का जनपद बलिया के अन्तर्गत रसड़ा स्थित पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का समतलीकरण कर अवैध रूप से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं बनता है। श्री अगयश राम सरन वर्मा का जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर में स्थित सामुदायिक केन्द्र में चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति न किये जाने एवं चिकित्सीय सुविधायें न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह भी नियम-300 में नहीं बनता है। डा0 धर्मपाल सिंह का जनपद-आगरा की ध्वस्त हो चुकी विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह भी नियम-300 में नहीं बनता है। इन सभी को मैं अस्वीकार करता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2010 (स्पटीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6, 7 एवं 8 में कुछ नहीं है।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

कल भी आया था और आज भी ये सूचनायें आई हैं। आज दिनांक 6 जून, 2012 को नियम 311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई। कल दिनांक 5 जून, 2012 की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशानुसार चयनित 5 सूचनाओं को उसी क्रम में रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली है श्री हुकुम सिंह जी, श्री सतीश महाना जी की, दूसरी है श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, डा0 मो0 मुस्लिम, श्री संजय कपूर, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री संजय जयसवाल, श्री जगराज सिंह, श्री राधेश्याम, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री कौशल सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री विजय कुमार दुबे, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्रीमती रूबी प्रसाद तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया की (कल दिनांक 5 जून, 2012 को प्राप्त) तीसरी सूचना डा0 दलजीत सिंह तथा श्री त्रिलोकी राम (कल दिनांक 05 जून, 2012 को प्राप्त) चौथी सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया, श्री अली यूसुफ अली, श्री तस्लीम अहमद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दीपक पटेल तथा श्री गयाचरण दिनकर की पांचवीं सूचना श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री अली यूसुफ अली, श्री राजबली जैसल, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री सुल्तान बेग, डा0 धर्मसिंह सैनी तथा श्री जय प्रकाश

निषाद की इसके बाद छठवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की अलग से है। यह तो कल की है, जो कल दी गई थी। इसके बाद आज की है। इसमें दूसरी सूचना है श्री तेजपाल सिंह की, डा0 दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री त्रिलोकी राम की जनपद मथुरा की नगरपालिका कोसीकलां में कर्फ्यू क्षेत्र में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की प्रदेश के कोआपरेटिव बैंकों के जमा खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा चौथी सूचना डा0 मोहम्मद अय्यूब, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक की कन्नौज संसदीय उपचुनाव में प्रत्याशी के नामांकन को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अब मैं सबसे पहले जो पहली सूचना है, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी इन तीनों ने मिलकर इसको दिया है तो इतने सब लोगों का नाम है और इतने सब लोगों का नाम है और इतने सब लोगों का इसमें बोलना संभव नहीं है इसलिये मैं उनके माननीय नेताओं को इसकी ग्राह्यता पर बोलने के लिये बुलाऊंगा और समय-सीमा भी 5 मिनट बहुत है।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

अरे आप बैठिये, आप तो पहले ही खड़े हो गये। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले और कोई बोलेगा, बाद में आप बोल देंगे तो आपका पिछड़ जायेगा। जब सबको बोलना है तो इसमें क्या आगे पीछे, क्यों आप परेशान हैं। इसलिये यहां नेता विरोधी दल बैठे हैं यह अपनी पार्टी से जिसको कह दें वह इसकी ग्राह्यता पर बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर खुद बोलना चाहते हों या किसी को बुलवाना चाहते हों तो वह बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, नेता भी हैं और आपकी अध्यक्ष भी बैठी हैं। यह लोग जिसको तय कर दें वह इस पर बोलेगा। तो आप लोग बारी-बारी से बोल लीजिये फिर सरकार की तरफ से इसका जवाब आ जायेगा। पहले यही प्रश्न मैं लेता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी प्रारम्भ करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बाकी सारे पर ध्यान आकृष्ट हुआ है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

पहले इसको हो जाने दें, फिर बता देंगे। आपका भी इसी में है। आप 311 में दिये थे, 311 बन्द करो, वह कोई नियम नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव कल हमने दिया था और आपका निर्देश था कि नेता सदन आज नहीं हैं, वह चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में इस कार्य-स्थगन को लिया जाये। हम यह अपेक्षा करते थे कि कानून व्यवस्था का प्रश्न है और बहुत बड़ा दंगा हुआ है शासन को पूर्णतः असफलता है। इसलिये मौके पर मुख्य मंत्री जी मौजूद रहेंगे तो सम्भवतः या तो उनके मन में शायद इसकी अहमियत नहीं है क्योंकि आपके निर्देश के अनुसार ही हम लोगों ने इसे कल नहीं लिया था। वरना हम लोग तो कल भी इसको लेने के लिये तैयार थे। जैसा आपका आदेश हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी कल यह बात आई थी और यह था कि मुख्य मंत्री जी नहीं हैं वह चले गये थे लेकिन आज मुख्य मंत्री जी आये थे और आज उन्होंने अपनी उपस्थिति भी सदन के समक्ष दर्ज करा दी, आप बोलेंगे वह कहीं भी रहेंगे, वह सूचना उनको मिल जायेगी। हो सकता है वह बीच में आ भी जायें।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, जैसा आपका निर्देश है। मान्यवर, यह एक जून में ऐसी घटना वहां पर हुई कोसीकलां में जो आमतौर पर शान्तिप्रिय नगर है। कोई वहां पर इतिहास भी इस बात का नहीं है कि दंगे वहां पर हुए हों। लेकिन ऐसी घटना होती है और वह घटना चिंगारी की तरह फैल जाती है। घटना क्या है जैसे कि हमें जानकारी मिली, कहीं पर पानी का ड्रम रखा हुआ था, किसी नवयुवक ने उस पानी के ड्रम में हाथ डाल दिया, दूसरे लोगों ने उस पर आपत्ति की और आपत्ति करने के बाद में वह घटना ऐसी फैली कि मारपिटाई शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और कोई सीमा नहीं रही। आखिर में हम लोग कहां जायेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर किसी बच्चे ने किसी नवयुवक ने पानी के ड्रम में हाथ डाल दिया उससे हमारी भावना इतनी भड़क जायेगी कि हम बिल्कुल दंगे पर उतर आयेंगे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह इस बात को परिलक्षित करती है कि अब सहनशक्ति हममें रही नहीं फिर भी यह घटना हुई और उसके बाद मान्यवर, घटनाक्रम क्या होता है ऐसी जानकारी मिली है, पथराव होते हैं, फायरिंग होती है। दो भाग में मैं इस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं भाग नम्बर एक में यह है कि दो सम्प्रदायों की बात आई है, दो वर्गों की बात आई है, हो सकता है कि पानी में हाथ डालने वाला बच्चा किसी एक सम्प्रदाय का हो और जो पानी रखा था वह किसी दूसरे समुदाय का हो, हो सकता है कि इस मामले में साम्प्रदायिक भावना भड़की होगी और बात आगे बढ़ी होगी। उसके बाद भीड़ इकट्ठी होती है बाजार में बाकायदा भीड़ मार्च करती है, जो दुकानें सामने आती हैं उन दुकानों की लुटाई करती है, दुकानों में आग लगती है, सब्जी बाजार नहीं बचता, फल बाजार नहीं बचता, सामान्य स्टोर नहीं बचते, मोटर गैरेज नहीं बचते और सर्राफा बाजार नहीं बचता वहां का, सर्राफा बाजार में घण्टों तक लुटाई होती है, पूरे दिन लुटाई होती है। सुबह की घटना है शाम तक लूट का क्रम चलता रहा, सड़कों पर सैकड़ों आदमी निकल गये।

मान्यवर, अब झगड़ा दो वर्गों में नहीं हो रहा है बल्कि झगड़ा लूट का हो रहा है सारा बाजार लूटा जा रहा है, सारे बाजार में आगजनी हो रही है। अगर ऐसी घटना हो रही है तो वहां प्रशासन किस लिये बैठा था किस लिये वहां पर पुलिस बैठी थी, हाथ पर हाथ रखे वह वहां पर बैठे रहे। मान्यवर, अगर वहां पर पुलिस प्रशासन चुस्त रहा होता, जग रहा होता और जरा भी उनमें जिम्मेदारी का एहसास रहा होता तो घटना का आकार इतना नहीं बढ़ता। संयोग की बात है जहां कोसीकलां है मथुरा में, उसके एक ओर अलीगढ़ मण्डल है और दूसरी ओर आगरा मण्डल है, वहां कमिश्नर रहते हैं, डी0आई0जी0, आई0जी0 रहते हैं। एक-एक घण्टे का अन्तर है केवल अगर उनको जानकारी मिली कि वहां पर घटना हो गई है तो एक घण्टे के अन्दर उनको आना चाहिये था, स्थिति को नियंत्रित करना चाहिये था। रोजाना पढ़ने को मिल रहा है पुलिस कहीं जायेगी, पिट करके भाग

आयेगी। वहां भी यही हुआ। जिलाधिकारी गये एस0पी0 गये, दोनों को भगा दिया और भाग गये, मान्यवर, यह कौन सा प्रशासन हुआ। यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि किन हाथों में वातावरण और कानून व्यवस्था सुरक्षित है। मान्यवर, यह एक नगर की घटना से ही हमें आइना दिखाई दे रहा है कि प्रदेश भर के शासन का प्रशासन का क्या वजूद है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ चीजों को देखनें की बात है नम्बर-1 यह कि किस प्रकार से एक छोटी सी घटना को साम्प्रदायिक रंग देने में जो अवांछनीय तत्व थे वह कामयाब कैसे हो गये क्योंकि साम्प्रदायिकता का नाम दे करके अवांछनीय तत्वों को अपना काम करना था, उनको हिन्दू मुस्लिम से मतलब नहीं था, न वह हिन्दुओं के लिये लड़ रहे थे और न वह मुसलमानों के लिये लड़ रहे थे। वह चाहते थे कि इस प्रकार का वातावरण बन जाए जिससे कि हमें यहां आग लगाने का मौका मिल जाये और लूटने का। लूट का ताण्डव खुलेआम पूरा दिन चलता रहा और प्रशासन का कहीं नामोनिशान नहीं। यहां पर दुहाई दी गई कि बड़ा चुस्त प्रशासन हम देंगे ऐसा प्रदेश हम बना देंगे। जहां अपराध का नामनिशान नहीं होगा। अभी ढाई महीने आपको हुए और ढाई महीने में आपके सामने एक ऐसी घटना आ गई जिसका कोई भी स्पष्टीकरण देने में सरकार समर्थ नहीं होगी और इसलिये नहीं होगी क्योंकि एक घण्टे में कुछ हो जाता तो मान्यवर, मैं मान लेता लेकिन एक ही घटना बराबर दो दिन तक चलती रहे और नियंत्रण न हो, कर्फ्यू लगे और आपका कर्फ्यू बेकार हो जाए। चार आदमी के मरने की आपने पुष्टि की है, 12 आदमी गायब हैं पता नहीं वह मर गये या जिन्दा हैं, कस्बा छोटा सा है, फिर भी आप क्यों नहीं नियंत्रण कर पाये। क्योंकि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर असफल साबित हुए क्या प्रशासन वहां पर निकम्मा साबित हुआ ? ऐसा इसलिये हुआ, मैंने कारण पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं अगर आप उन्हें निष्पक्षता से काम करने की छूट नहीं देंगे तो यही होगा। अगर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि ऊपर से निर्देश क्या हैं तो वह निर्णय नहीं ले पायेंगे। ऐसी घटनायें पहले हो चुकी हैं, कई जगह की जानकारी मैं सदन में दे चुका हूं, ऐसे भी अवसर आये हैं कि पुलिस ने जा करके मौके पर कार्रवाई की तो उनसे पूछा गया कि फलां समुदाय के कितने हैं और फलां समुदाय के कितने हैं, उनमें गिरफ्तारी का अनुपात क्यों नहीं रखा गया है और जब उस अधिकारी ने उत्तर दिया कि नहीं साहब अनुपात का सवाल नहीं है जिन लोगों ने अपराध किया था अपराधी समझकर उनको पकड़ा गया। उसके बाद 24 घण्टे के अन्दर उन पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। जब यह अनिश्चितता का भाव पुलिस के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों में आयेगा कि मैं अगर निष्पक्षता के काम करूं, मजबूरी में काम न करूं, तो वह दबाव नहीं बना पायेंगे, कार्यवाही नहीं कर पायेंगे और यह उसी का परिणाम है।

वरना दंगा हो जाए, जिलाधिकारी मौके पर जायं, पुलिस अधीक्षक मौके पर जायं और उनका इतना भी प्रभाव न हो कि दंगाई मौके पर देखकर भाग न पायें। दंगाई जबरदस्त हो गये, दंगाई उनसे मजबूत बन गये और दंगाइयों का मनोबल उनसे अच्छा साबित हो गया। हमारे जिला स्तर के सर्वोच्च अधिकारी मौके से भाग रहे हैं जैसे कोई चौकी छोड़ करके सेना भाग रही हो, ऐसे उन लोगों ने वहां मात खाई है। आपने क्या किया, तबादला कर दिया ? तबादला काफी नहीं है जानकारी इस बात की होनी चाहिये कि आखिर दो दिन तक दंगाई सारे बाजार को लूटने में और आगजनी करने में कैसे

कामयाब रहे ? उन लोगों की भी जानकारी होनी चाहिये कि उनसे वरिष्ठ अधिकारी थे और 50-60 कि0मी0 के फासले पर बैठे रहे और मौके पर नहीं आये। जबकि एक घण्टे में आ सकते थे, वहां पर फोर्स भी आ सकती थी और जा करके नियंत्रित कर सकती थी। मान्यवर, जो मैंने बात कही, मैं उस पर फिर बल देना चाहता हूं आज प्रशासन के अधिकारी पूर्णतया एक अस्थिरता, अनिर्णय की स्थिति में हैं कि हम लोग प्रभावी तरीके से कार्यवाही करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं हैं ? सबकी नकेल यहां पर है और यहां से जब आदेश इस आधार पर दिये जायेंगे कि अनुपात रखो, बराबरी का रखो, राजनैतिक रूप से कोई संदेश खराब न चला जाए। आज हम राजनैतिक रूप से संदेश देने की चिंता में जा करके सारे प्रदेश को जला देना चाहते हैं। मान्यवर, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर कार्यस्थगन करते हुए पूरे सदन की चर्चा हो जाए। माननीय सदस्य जो वहां के रहने वाले हैं उनको भी अवसर मिले, आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अवसर मिले ताकि दंगे इस प्रदेश की शान्ति को बर्बाद न कर सकें। इसमें प्रशासन, शासन और सरकार पूर्णतया नाकामयाब हुई है। यह प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है, यह प्रदेश की जनता के अस्तित्व का सवाल है, यह कुशासन का जो स्वरूप आया है।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी अब हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मा0 श्री प्रमोद तिवारी व श्री तेजपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय ठाकुर साहब आपने जो सूचना दी है-''जनपद मथुरा के कोसीकलां में कर्फ्यू क्षेत्र में जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में'' इसको मैंने लिया है, इसके बाद इस पर मैं आपको सुनूंगा या इसी के साथ आप बोल लीजियेगा, यह कैसे आप पहले बोल लेंगे। यह सूचना पहले से है।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नेता से कह दीजिये, वह कह दें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र है ....

श्री अध्यक्ष-

आपको मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप पहले बोलें। आपको मौका दिया जायेगा, क्योंकि आप इतनी जिद कर रहे हैं। माननीय तिवारी जी ....

(श्री तेजपाल सिंह द्वारा सुने जाने का आग्रह करने पर)

मैं आपको बोलवाऊंगा इनकी सूचना कल की है जिस पर आज सुनने का निर्णय हुआ था। आपका विधान सभा क्षेत्र है आपको बोलने का मौका मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं यह चाह रहा हूं कि पहले स्थिति साफ हो जाए, सारी चीजें मैं वहां की बता दूं तो आसानी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जो नोटिस देता है वह स्थिति को समझता है। आप अभी प्रमोद तिवारी जी के बोलने के बाद सब स्थिति साफ कर दीजियेगा जो इनसे छूटेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर रहा हूं केवल इतना कह रहा हूं कि मैं वहां की वस्तुस्थिति से अवगत हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र है और पूरा सदन उससे अवगत हो जायेगा तो सुविधा रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुनिये, पहले आपके नेता बोल लेंगे।

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब वह अपने नेता की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं तो अध्यक्ष जी, उन्हीं को पहले सुन लेंगे तो क्या हो जायेगा, वह वहां की सही घटना बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, उनको बोलने का मौका मिलेगा। इन लोगों की सूचना नं0-1 पर है। यह कल थे नहीं, आज आये हैं सूचना दी है। उनकी सूचना जलापूर्ति की है। इससे महत्वपूर्ण नहीं है इसलिये इसको पहले लिया गया है। तिवारी जी आप पहले बोलिये।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आप लोकदल का नाम तक नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कोसीकलां आपके नेता जो हैं उन्होंने कल नोटिस नहीं दी थी। आज आपने नोटिस दी है इसलिये मैं कह रहा हूं कि इसके बाद आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

यह तीन प्रान्तों से जुड़ा हुआ मामला है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

चूंकि यह मथुरा का प्रश्न है श्री प्रदीप माथुर जी हमारे मथुरा के विधायक हैं इसलिये मेरा आग्रह है कि आप श्री प्रदीप माथुर को सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेजपाल सिंह-

मैं उसी क्षेत्र से विधायक हूं इसलिये पहले मुझे सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरा निवेदन यह है कि चूंकि श्री तेजपाल सिंह जी उसी क्षेत्र के हैं इसलिये उनको पहले दो मिनट सुन लें उसके बाद प्रदीप जी बोल लेंगे उसके बाद अन्य दलों के नेता बोल लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्री मौर्य जी की पार्टी के पूर्व मंत्री नामित हैं इसलिये इनका कष्ट मैं समझ सकता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि आपने कांग्रेस को बुलाया है इसलिये मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से श्री माथुर जी अपनी बात रख लें फिर हमारे लोकदल के साथी चूंकि उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं यह अपनी बात रख लें हमें सिर्फ इतना कहना है कि जूडीशिएयल जांच हाईकोर्ट के जज से करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आप अपनी बात रखें। उसके बाद माननीय सदस्य बोल लेंगे।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा जनपद में पहली जून को मथुरा के इतिहास में सबसे काला दिन रहा होगा। जिसमें मथुरा जनपद में कोसीकला कस्बा जो कि हरियाणा बार्डर से लगा हुआ है दूसरी तरफ राजस्थान का बार्डर है और उस तरफ अलीगढ़ का बार्डर है। वहां पर पहली बार साम्प्रदायिक दंगा हुआ। मान्यवर, एक धार्मिक स्थल के बाहर एक ड्रम में एक अधेड़ व्यक्ति ने गलती से हाथ डाल दिया नौजवान व्यक्ति ने उनको थप्पड़ मारा और वहीं बात आगे बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि साम्प्रदायिक दंगा खुलेआम हुआ। मान्यवर, दोनों पक्ष के लोग लामबन्द हुए अफवाहों का बाजार गर्म हुआ मारो-मारो की आवाजें शुरू हुईं आगजनी हुई, लूटपाट हुई बम के गोले फेंके गये हथियारों का नंगानाच हुआ और दुकानों में आग लगा दी गई। बाजार लूट लिये गये और जो पुलिस तत्काल पहुंच जानी चाहिये थी जनपद हेडक्वार्टर से पुलिस की घण्टियां घनघनाती रहीं, यहां से घण्टियां बजती रही दिल्ली से घण्टियां बजती रही पर उन सब निकृष्ट पुलिस वालों ने किसी ने उसका चोंगा उठाकर नहीं दिया न किसी ने मोबाइल उठाया। स्थिति यह थी कि वहां के जो एस0ओ0 थे उनका जो लूट का काण्ड वहां पहले से चल रहा था जो निरंकुश हो चुके थे उनकी लापरवाही की वजह से स्थानीय स्तर पर इस तरह का नंगानाच हुआ। मान्यवर, मथुरा जनपद में कोसी में कभी भी इस तरह के दंगे नहीं हुए हम तो दुहाई देते हैं कि मथुरा में मंदिर और मस्जिद की दीवारें इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं हिन्दू और मुसलमान एक ही थाली में खाना खाते हैं परन्तु पहली बार जुमे की नमाज की घटना ने हम सब लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है। मान्यवर, जब यह घटना हुई तो उधर से एक वर्ग विशेष के लोगों और बाजार से वर्ग विशेष के लोगों में तनातनी हुई लोग एक दूसरे के घरों में घुसे महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और पेट्रोल बमों को फेंका गया। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस काण्ड में चार लोग मारे गये उसमें से तीन एक वर्ग के और एक एक वर्ग का और पता नहीं कितने लोग घायल हुए। कल मैं टेलीविजन पर देख रहा था क्योंकि हम लोगों को सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को प्रतिबन्धित कर रखा है वहां जाने के लिये अखबारों के माध्यम से मैं आपके पास यह कटिंग भेज दूंगा। आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जायेंगे। मान्यवर, जिससे आपको पता चलेगा कि इस तरह से आग की लपटें निकल रही थीं। आप यह अखबार देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आप यहां पर सदन में अखबार का इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप उसकी प्रति हमारे पास भेज दें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर आप भी वहां के दृश्यों को और विवरणों को देखेंगे तो विचलित होंगे। मान्यवर, कौसीकलां से मेवात का क्षेत्र लगा हुआ है। अभी हाल ही में राजस्थान में दंगे हुए थे। यह बहुत ही सेंस्टेटिव इश्यू है। कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं इसलिये रोकथाम की जरूरत है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि इसे गंभीरता से देखें कि वहां स्थिति किसी तरह से तुरन्त सामान्य हो सके। आजम खां साहब यहां पर बैठे हुए हैं हम अनुरोध करेंगे कि बड़ी जिम्मेदार तरीके से इस इश्यू को लेंगे। यह सही है कि शासन ने वहां के डी0एम0, एस0पी0, एस0डी0एम0 और एस0ओ0 को हटाया है। मैं तो कहूंगा कि कौसीकलां थाने के सिपाही से लेकर सभी लोगों का तबादला कर दिया जाय। मान्यवर, वहां से दिल्ली और हरियाणा के लिये गाड़ियां पास होती है। यह तीन प्रान्तों से जुड़ा हुआ इलाका है। आज वहां से लोग भयग्रस्त होकर पलायन कर रहे हैं। मथुरा शहर आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यह हरियाणा के बार्डर से जुड़ा हुआ भी है। एक अजीब तरह की खामोशी वहां पर व्याप्त है। कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन लोग बाजारों में नहीं आ रहे हैं सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। उनको डर लगा रहता है। मान्यवर, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है। स्कूल कालेजों में आग लगा दी गई। जो हाई-वे पर खोखे थे उन गरीबों के खोखे जला दिये गये हैं। व्यवसायियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है दुकानें जला दी गई हैं। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी उनको पुनः रिइस्टेब्लिश होने के लिये मुआवजा कैसे मिलेगा इस पर आप सोचेंगे। मान्यवर, मृतकों के परिवारजनों को पांच-पांच लाख रु0 मुआवजा देने की बात हुई है। उससे कोई वह जिन्दगियां वापस नहीं आ जायेंगी। उस मुआवजे को 5 लाख रु0 से बढ़ाकर दस लाख रु0 करने का काम यह सरकार करे। जो सैकड़ों की संख्या में लोग भर्ती है। अस्पतालों में उनको समुचित मुआवजा दिया जाय और उनको कौसीं के अस्पताल से शिफ्ट करवाकर आगरा या दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जाये। उनको इलाज के लिये मुआवजा दिया जाये। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज से इसकी ज्यूडिशियल इन्कवायरी करवा दी जाये और यहां से एक सर्वदलीय संसदीय समिति बनाकर भेजी जाय ताकि लोगों में विश्वास की भावना कायम हो सके। वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम हो सके इसकी मैं मांग करता हूं और इस घटना की पुनरावृत्ति न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय तेजपाल सिंह जी बोल लें। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह विषय विशेष रूप से लोकदल से जुड़ा हुआ है वहां के सांसद जयंत चौधरी जी हैं और माननीय विधायक तेजपाल सिंह जी हैं। माननीय तेजपाल सिंह जी इस बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी आपसे विनती है कि आप लोकदल की चौ0 चरण सिंह की पाठशाला से पढ़कर आये हैं आप कृपा करके लोकदल पार्टी के सदस्यों का नाम और पार्टी का नाम भूलने का कष्ट न करें।

श्री अध्यक्ष-

मजबूरी है कि आपके बहुत कम लोग रहते हैं। अब नाम लिया जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, कोसीकलां नगरपालिका परिषद् है। यह आगरा और दिल्ली के बीच सेन्टर में बसा हुआ है। नेशनल हाई-वे नम्बर दो पर स्थित है। दिल्ली और आगरा दोनों से इसकी दूरी क्रमशः सौ-सौ किलोमीटर की है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत समझदार हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं लेकिन वह हम सबको कल संतुष्ट नहीं कर पाये। वहां पर आज शान्ति व्यवस्था भंग हो गई है। मैं नहीं सो पा रहा हूं वहां के लोग नहीं सो पा रहे हैं। रात भर लोगों के फोन आते रहते हैं। वहां के नगले ग्राम में बसे लोग और दूसरे गांवों के सैकड़ों लोग हमें फोन करते हैं और परेशानियां बताते हैं। लोग दहशत भरी जिन्दगी जी रहे हैं। दूसरे सम्प्रदाय का अगर कोई गांव या नगला कोई बीच में बस रहा है तो वह उनसे भयभीत है कि हमारे यहां यह चढ़ आये वह चढ़ आये। मान्यवर, लगा हुआ हरियाणा, राजस्थान तीनों उसी क्षेत्र से तीन प्रान्त लगते हैं। हरियाणा में आपका लगाकर नई बिछोड़ सिंगार नूंह उटावर, पुन्हाना से लेकर हतीम से लेकर आपका क्षिरका फिरोजपुर तक का पूरा मेवात बसी है और उसके बाद नौनेराज से लेकर कामानगर अलवर तक पूरा मेवाट राजस्थान तक बसी है, सीमा पर एक समुदाय के लोगों को यहां पूरा भय ब्याप्त है। कोसी की समस्या के समाधान में इसमें 3 मामले सबसे महत्वपूर्ण है और मैं गम्भीरता से इसको इसलिये लूंगा कि इन तीनों प्रान्तों में जो आग सुलग रही है उस आग में कहीं और बवाल बढ़ न जाय इसलिये मैंने आपसे अनुरोध किया था अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो मामला है इसमें 3 कारण हैं पूरी जो फिजा बिगाड़ने का काम हुआ है पूरी यह जो घटना हुई है इसमें 3 कारण हैं एक मान्यवर, स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा, दूसरा है मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार के एक कद्दावर मंत्री कृषि मंत्री जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर नेशनल हाई-वे पर वहीं ईदगाह की ओर कब्रिस्तान की 27 एकड़ बेस कीमती जमीन जिसकी कीमत आज 100 करोड़ रुपये है पुलिस और पी0ए0सी0 बल को लेकर और अपने एस0डी0एम और सी0ओ0 के बल पर जबरन उस पर नाजायज कब्जा कर लिया, चहारदीवारी करा ली, दूसरा पहलू इसका यह है और तीसरा पहलू इसका मांट का विधान सभा उप चुनाव अब मैं एक-एक पहलू पर इस पर आपसे कहना चाहता हूं।

मान्यवर, क्योंकि यह कोसी नगरपालिका परिषद् हमेशा से जो आज तक चेयरमैन हुआ है, आज तक कोसी नगरपालिका परिषद् की चेयरमैनशिप हमारे हुकुम सिंह जी बोल रहे थे उनके पास रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। अबकी विधान सभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जो वहां से उम्मीदवार थे उनके सामने सब बौने पड़ गये, दोनों समुदाय के लोगों ने एक राय हो करके कांग्रेस और लोकदल के प्रत्याशी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी जहां से सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करती थी उसका प्रत्याशी सबसे पीछे चला गया मात्र 3700 वोट लेकर सब करना पड़ा अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि निकाय के चुनाव की घोषणा हो गई, कैसे हम जिन्दा रहेंगे कैसे हमारा चेयरमैन बनेगा तो उसको लेकर बड़े पशोपेश में थे कि कैसे फसाद कराया जाय। इस फसाद को कराने की रचना रची गई थी यह मैं नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं उन्होंने कहा मैं 3 दिन से वहीं था, यह कहा कि हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात बढ़ जायेगी हमने तो बहुत छोटी सी बात जानकार इसको किया था, यह इन्हीं के नेता कह रहे हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो मान्यवर, अब इसमें हुआ क्या जुमें की नमाज थी नमाजी नमाज अदा कर रहे थे एक व्यक्ति देवी महरोलिया आता है, शर्बत रखा है नमाजियों के पीने के लिये और वह देवी लघुशंका करके आते हैं और वह उसी शर्बत से अपना हाथ धो लेते हैं। उस पर खालिद नाम का लड़का जो उसके पास खड़ा था उसने मना किया। मना करने के बाद उनमें तू-तू मैं-मैं हुई आपस में मारपीट हो गई भा0ज0पा0 के लोग ये मौका देख रहे थे इन्होंने बाजार में आवाज लगा दी फिर क्या था उसके बाद घमासान शुरू हो गया। मान्यवर, मैं यहां सदन में था एक तारीख को जब मैं सदन से निकला यह घटना 2 बजे शुरू हुई, 2 बजे जुमें की नमाज थी जब मैं यहां से निकला तो मुझे सूचना मिली कि इस तरह की बात हो गई है और वहां फसाद हो गया है। मैंने कोसीकलां थाना इंचार्ज को फोन किया उसने कहा कि सर दोनों पक्ष मैंने बिठा रखे हैं, दोनों पक्षों को बिठा करके और मैं इसको निपटा दूंगा, पूरी तसल्ली है और किसी तरह की कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर मेरे पास जब टेलीफोन घनघनाना शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रुका गया मैं अपने क्षेत्र में चला गया मैं देखता हूं कि बड़ी आग लग गई 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो नंगा नाच हुआ, उसमें गोलियां चली, मारपीट हुई और आप ताज्जुब करोगे सबसे पहली गोली लगी सोनू सन आफ मंगल माली था जाति का फल की दुकान लगाता था उसको सिर्फ इसलिये मार दिया गया कि उससे पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है राजू फिर उठाकर गोली मार दी गई और राजू वहीं मर गया। मान्यवर, यह मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि आग लगाई गई बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को जलाया गया, दो-तीन घण्टे तक यही घटना क्रम चला। 2 से लेकर 5 बजे तक यही होता रहा और जिन प्रतिष्ठानों को जलाया गया उसमें ओम प्रकाश पेन्ट वाले। एक चीज मैं और बता दूं मान्यवर, इस पूरी घटना में 4 आदमी मारे गये हैं, 36 आदमी आज अस्पताल में भर्ती हैं और 50 लोग अपने घरों में इलाज करा रहे हैं। 30 मकान जले हैं और 58 दुकानें जली हैं इस पूरे मामले में। मान्यवर, यह 2 से 5 बजे के बीच में जो नंगा नाच होता रहा सबसे पहले ओम प्रकाश पेन्ट वाले के मकान और दुकान में आग लगा दी गई। फिर राकेश गर्ग जो एल0आई0सी0 का फील्ड आफिसर था उसके घर को आग लगा दी गई उसकी दो गाड़ियां जला दी गई उसी तरह से किशन पंडित के घर में लूट पाट की उसके घर को जला दिया। निरंजन सर्राफ की दो गाड़ियां जला

दीं। गैरेज तोड़कर जला दीं। मुकेश मालवीय मान्यवर, बहुत बड़ा व्यापारी है कोसी कला का उसके पूरे गोदाम और दुकान में आग लगा दी करीब 2 करोड़ का सामान जलकर नष्ट हो गया। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरी घटना में इतनी जन हानि तो हुई ही है इसके साथ ही करीब 10 करोड़ के माल की हानि भी हुई है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज लोग दहशत में हैं, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस यह जानकर हुआ कि जब कल विधान परिषद् में एक सवाल उठा और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया। उसमें एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मुझे इसमें झूठा नामजद किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

उसका संज्ञान यहां न लीजिये।

श्री तेजपाल सिंह-

मैं एक बात कह रहा हूं। मैं ला रहा हूं उस बात को। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक खूब नंगानाच हुआ उनका हुआ उसके बाद 5 बजे से लेकर 9 बजे तक दूसरे लोगों के हाथ में पड़ गया और दूसरे जो हमारे ब0स0पा0 सरकार के पूर्व कृषि मंत्री जी थे, उन्होंने फिर अपने हाथ दिखाये उनका कोई और उद्देश्य नहीं था उनका उद्देश्य केवल यह था कि क्योंकि सरकार बदल गई ईदगाह और कब्रिस्तान की 27 एकड़ वेशकीमती जगह पर बाउण्ड्री बनाकर उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है तो अक्लियत के भाई इस बात में लग गये कि किसी तरह से हमको मौका मिल जाय हमारी जगह खाली हो जाय, वो रोने पीटने लोकायुक्त के यहां भी गये। लोकायुक्त से भी उन्होंने फरियाद की लेकिन नहीं सुनी गई सरकार बदलने पर उनको एक आशा बंधी कि हमको शायद हमारी कब्रिस्तान की जमीन मुक्त हो जायेगी। उन्होंने प्रयास किया और उनके इस प्रयास के लिये पूर्व कृषि मंत्री जी ने उनको डराया धमकाया और यह तक कहा कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और मान्यवर, परिणाम दिखा दिया। मान्यवर, मैं आपसे केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि यह नई बात नहीं है। 1997-98 की सरकार थी ये भी उस समय भी ये माननीय मंत्री जी थे उस समय कौमी झगड़ा हरियाणा सीमा पर हुआ और गढ़ी बखाटी पर नई और बिछोड़ के लोग चढ़ आये। हरियाणा और यू0पी0 के बार्डर पर हिन्दू मुसलमान का झगड़ा हुआ और 2 आदमी गोली से मारे गये थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय भी तत्कालीन मंत्री जो पिछले कृषि मंत्री थे सभी अखबारों में पढ़ा प्रदीप जी बैठे हैं, मथुरा के सभी विधायक बैठे हैं और सभी जानते हैं इस बात को, पूरा जिला जानता है कि इन्हीं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जी ने पेड़ पर चढ़ करके गोलियां अपने हाथ से चलाई थी। कैबिनेट मंत्री ने खड़े हो करके पेड़ पर चढ़ करके गोलियां चलाई थीं निर्दोष लोगों पर तो मान्यवर, वह मानसिकता बदली नहीं। घटना के दिन जब 5 बजे के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं 5 बजे के बाद अपने लोगों को उकसा दिया। मान्यवर, फोटो में है यह सब कुछ देखा है कैमरे में कैद है जो आज कह रहे हैं कि हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है। उसके बाद मान्यवर, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 घण्टे जो तांडव हुआ है उस तांडव में मृतक सलाउद्दीन, लड़का जो इस्लाम का। मान्यवर, दुकान पर सामान खरीद रहा था पूछा गया क्या नाम है तेरा ? उसने कहा सलाउद्दीन। सलाउद्दीन कहना ही इसके लिये मौत का कारण बन गया और सलाउद्दीन को वहीं पर खत्म कर

दिया गया गोली से मार दिया गया। मान्यवर, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उस समय सबसे ज्यादा जुर्म की इन्तेहा हो गई जब बठैन गेट पर फल की दुकान करने वाले दो भाई। भाई तो चार हैं लेकिन दो फल की दुकान करते हैं। एक का नाम है मान्यवर, कल्लू और दूसरे का नाम भूरा। यह सकूरा के लड़के ये दोनों। मान्यवर, दंगाइयों का एक गुट आता है और उन्होंने आते ही भूरा को गोली मार दी और भूरा घायल हो गया। वह ग्रुप चला जाता है उसके बाद उसका भाई कल्लू जो शकूरा का लड़का है भूरा को रिक्शे में लिटाकर अस्पताल ले जाने लगता है वह रिक्शा जिसमें सामान ढोते हैं दोनों शकूरा के लड़के हैं मान्यवर, जब वह अस्पताल जाने लगता है तो दंगाइयों का अन्य जत्था वहां आ जाता है। भूरा का कसूर इतना था, मान्यवर, आज मानवता रो रही है इसलिये मैं सुबह से चिल्ला रहा हूं घूरा का कसूर केवल इतना था, मान्यवर हमारे यहां कांटा भी लग जाता है तो हमारे मुंह से निकल जाता है 'हाय राम' घूरा के मुंह से भी 'हाय अल्ला' निकल गया और उसका नतीजा यह हुआ कि घूरा और कल्लू को जलती आग में फेंक दिया गया। दोनों जलकर खाक हो गये उसी भूरा के भाई सलीम ने रिपोर्ट लिखाई और यह कहते हुए कि हम निर्दोष हैं, यह जुल्म की इंतिहा है इसलिये मैंने कहा कि शहर आठ नौ घण्टे जलता रहा आज भी दहशत भरा वातावरण है। वहां के लोग न खुद सोते हैं और न हमें सोने देते हैं गांव में पहरे लग रहे हैं रात में दो-दो तीन-तीन बजे हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि अमुक गांव चढ़के आ रहा है। हमें सूचना मिली है कि वहां से लोग चढ़के आ रहे हैं कि ठाकुर साहब हम मरे जा रहे हैं, पुलिस को भेजिए, हमें सूचना मिली है कि अमुक सम्प्रदाय के लोग चढ़के आ रहे हैं। दोनों सम्प्रदायों के बीच में जहां एक अकेला एक सम्प्रदाय के छोटे-छोटे गांव और नगलों बसा है उस सम्प्रदाय के लोग बसे हैं वह बहुत दहशत में हैं। मान्यवर, मैं आज भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हरियाणा और राजस्थान सीमा पर....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, सुन लें, मान्यवर, इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसमें दूसरा पहलू यह आ गया कि इसके बावजूद भी पूर्व कृषि मंत्री जी जो अपने को कहते हैं कि हम निर्दोष हैं और तीसरा जो सबसे दुखद पहलू है, अफसोस इस बात का है चिन्ता इस बात की थी मैं यहां से कोसी कलां पहुंच गया, रात को दो तारीख को कोसीकला पहुंच गया तत्कालीन जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 से अनुमति लेकर, मैंने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में जाकर प्रयास किया क्योंकि दोनों पक्ष हमारे थे इसलिये मैंने दोनों पक्षों से अलग-अलग बात करके इस बात का प्रयास किया कि शान्ति बन जाए। दोनों पक्षों ने मान्यवर, मेरी बात मानी और दोनों पक्ष इसके लिये तैयार हो गये। मान्यवर, चार तारीख को मुकुन्द शिवधाम में, अखबारों में छपा, एक प्रोग्राम छपा कि मेरे सुपरविजन में एक मीटिंग होगी जिसमें दोनों पक्ष के सम्भ्रान्त लोग होंगे। संभ्रान्त लोगों की एक कमेटी बनेगी और एक साथ मुकुन्द शिवधाम में बैठेंगे और डी0एम0, एस0एस0पी0 ने मुझे आश्वासन दिया कि वह भी वहां आ जायेंगे और उसी में समस्या का समाधान भी हो जायेगा और हम कर्फ्यू भी खोल देंगे। लेकिन मान्यवर 3/4 की रात को डी0एम0, एस0एस0पी0 का तबादला हो गया और दूसरे डी0एम0, एस0एस0पी0 आ गये। हम अपने प्रोग्राम के अनुसार मुकुन्द शिवधाम में दोनों पक्षों से बात कर रहे थे लेकिन अफसोस है कि बीच में

आ गया मांठ विधान सभा का उप चुनाव मांठ के उप चुनाव का श्रेय लोकदल को न मिल जाए सवाल यह आ गया। दोनों पक्ष समझौते को तैयार थे लेकिन इसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल न उठा ले इसलिये प्रशासन ने पता नहीं कहां से आदेश मिला कहां से डंडा आया, प्रशासन ने उस बनी हुई पंचायत को डंडे के बल पर पुलिस भेजकर उठा दिया। इससे ज्यादा शर्म की और बात क्या होगा। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वहां शान्ति है मुझे बड़ा अफसोस हुआ नये डी0एम0 और एस0एस0पी0 के पहुंचने के बाद कल कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई। जानते हैं मान्यवर, ढील में क्या हुआ लोग बच्चों को लेकर पलायन कर रहे हैं और कोसीकलां में पीने के पानी की स्थिति यह है कि कोसीकलां के एक हिस्से में वाटर सप्लाई नगरपालिका की नहीं है टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। टैंकर चलाने वाले दूसरे समुदाय के हैं वह दहशत के कारण वहां टैंकर नहीं ले जा रहे हैं मैंने प्रशासन को सुझाव दिया कि दो-दो सिपाही को टैंकर लगे टैक्टरों पर बिठा दीजिये। किसी तरह से लोगों को पानी मिले। बच्चे दूध के लिये तरस रहे हैं।

छठवां दिन भी कर्फ्यू लगा है। कल दिन में थोड़ी ढील दी थी। इतना भयानक वातावरण बना हुआ है मेरी आपसे प्रार्थना है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा यह अच्छा है कि सरकार ने मृतकों के लिये पांच-पांच लाख रुपया और घायलों के लिये 50-50 हजार की इलाज के लिये घोषणा की है लेकिन जिनके घर दुकान प्रतिष्ठान जल कर स्वाहा हो गये हैं उनके लिये भी आप व्यवस्था करेंगे। हुकुम सिंह जी ने जो बात कही वह सौ फीसदी सही है। अगर प्रशासन सजग होता तो यह नौबत नहीं आती। जिस समय यह दंगा हुआ, एस0ओ0 उस समय मौजूद था और चाहता तो दोनों पक्षों के 2-2, 4-4 आदमी को ले जाता और ले जाकर थानें में बिठा लेता तो दंगाई दंगा फैलाने के बजाय उनको छुड़ाने में लग जाते और यह घटना नहीं होती। लेकिन ऐसा प्रशासन ने नहीं किया और यह दोनों घटनायें जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हुई और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हुई, पुलिस प्रशासन खड़े होकर उसको देखता रहा। मेरी बड़े अफसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी थी, 2-2 हजार 4-4 हजार के जत्थे थे, हम क्या करते, हम मर जाते ? मान्यवर, मैंने उनसे यह कहा कि आप ऐसे देखते रहे और शहर जलता रहा। पूरा शहर जलकर खाक हो गया। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मैं कहना चाहता हूं कि जिन-जिन उपद्रवियों ने, जिन-जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, चाहे वह कितने ही बड़े कद का हो, उसे बख्शा नहीं जाये और जो निर्दोष लोग हैं, वह उसमें फंसे नहीं क्योंकि जो वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, इसमें मान्यवर, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री जी हैं, वह वातावरण बिगाड़ने की और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पुलिस ने नामजद किया है। उसमें 5 एफ0आई0आर0 लिखी गई है, वह एफ0आई0आर0 जो लिखी गयी है, वह मृतकों के भाई सलीम ने लिखाई है, सलीम ने जो एफ0आई0आर0 लिखाई है, जिसमें उसके भाई भूरा और कल्लू को जिन्दा जला दिया गया था। वह सलीम ने एफ0आई0आर0 लिखाई है, पुलिस ने एफ0आई0आर0 नहीं लिखी है, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एफ0आई0आर0 नहीं लिखाई है और मान्यवर, जब पूर्व कृषि मंत्री और उनके भाई का नाम आ गया तो अब यह प्रयास किया जा रहा है, रास्ता जाम कर दो, नेशनल हाई-वे जाम कर दो, थाने को किसी तरह घेर लो, मेरा नाम कैसे आ गया। अभी फिजा को बिगाड़ने की और कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध यह है कि आप वहां के

अधिकारियों को निर्देश दे दें, अब और फिजा न बिगड़े माथुर साहब जो हमारे साथ ही वहां के विधायक हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है, समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, प्रशासन डंडे और गोली से थोड़े ही कर पायेगा। हम लोग अमन बहाली के जिस काम को कर रहे थे, हमको प्रशासन ने भगा दिया गया, संभ्रान्त लोग जोकि 70-70, 80-80 साल के दोनों पक्ष के लोग बैठे थे, उनको प्रशासन ने डण्डे से भगा दिया, केवल इसलिये कि इसका श्रेय लोकदल को नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, हमारी पीड़ा को समझिये। मैं केवल इसमें यह कहता हूं कि इसकी उच्च स्तर की जांच कराई जाये, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनको सुनना चाहता था उनकी बहुत लम्बी रेस है, उनकी दूरदृष्टि बहुत लम्बी होनी चाहिये। मान्यवर, जबसे ब0स0पा0 सरकार में आ जाते हैं तो इनके लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हैं, सब पदों पर बैठ जाते हैं और जब इधर स0पा0 से सरकार में आ जाते हैं तो भी उनके लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हैं। जिन्होंने पीछे उपनाम लिखना बन्द कर दिया था, आज उनका नाम छोटे में है और उपनाम बड़े में लिखा जाता है। इसलिये मैं कह रहा हूं और बड़े कष्ट के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि जो सरकार अकलियत की हिमायती बनती है, मुसलमानों की सबसे ज्यादा बड़ी हितैषी कहती है, मान्यवर, उस मथुरा जनपद में जो उप नाम लिखने की बात मैंने कही उसी बिरादरी की एस0एस0पी0, उसी बिरादरी के सी0ओ0 सर्किल के, उसी बिरादरी के एस0ओ0 कोसीकलां थाने के और उसी बिरादरी का चौकी कस्बा का इंचार्ज, उसके बाद यह घटना हो जाती है दुखद पूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गई।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मेरा केवल इतना कहना है, माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनको कहना चाहता था कि उनके ब0स0पा0 के रास्ते पर न चलें क्योंकि इनके अधिकारियों ने 5 सालों में जो कुछ किया था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं, तो मान्यवर, आपको तो लम्बी रेस में जाना है, आपकी सोच लम्बी होनी चाहिये, दूरदृष्टि लम्बी होनी चाहिये। अगर आपके चहेते अधिकारी भी यदि यह करने लगेंगे कि हमारा जीवन 5 साल से ज्यादा नहीं है तो आप भी उसी तरह चले जायेंगे जैसे ये चले गये हैं। समझाइये, बताइये उन्हें और उनसे कहिये कि हमारी रेस लम्बी है, हमें दूर तक जाना है मान्यवर, मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है, यह जो घटना हुई है, इतनी शर्मनाक घटना है, जैसा हमारे माथुर साहब ने कहा है कि मौजूदा हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाय और जांच कराने के बाद जो दोषी हो, मान्यवर, किसी भी आधार पर किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है और जो फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे कि नेशनल हाई-वे जाम करेंगे, ये जाम करेंगे, उनकी निगरानी की जाये, उनको देखा जाये कि वह फिजा को न बिगाड़ दें और मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, बहुत गम्भीर बात है, जो 27 एकड़ बेशकीमती जमीन ईदगाह और

कब्रिस्तान की नेशनल हाई-वे पर दीवाल बनाकर कब्जा कर ली गई है, पूरे फसाद की जड़ वह है। मान्यवर, जब तक उस नाजायज कब्जे को नहीं हटवा जायेगा तब तक वह फसाद खत्म होने वाला नहीं है। इसलिये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कुछ लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये पूरे कस्बे को दंगे में झोंक दिया है। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से बात कर ली जाये कि बार्डर को वह सील करें। वहां माहौल गरम है। अगर यह मामला आगे चला गया तो फिर यह आपसे सम्भले नहीं सम्भलेगा। पूरा जिला पूरा साफ हो जायेगा। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दोनों राज्यों की सरकारों से यह बात कर लें कि वह बार्डर पर शान्ति स्थापित करें। इसी अनुरोध के साथ कि इसको गंभीरता से लें, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आपसे एक अनुरोध है कि उसी जिले के एक हमारे विधायक हैं वह इस मामले पर बोलना चाहते हैं।

*श्री राजकुमार रावत-

मान्यवर, इस सारे प्रकरण में आपने माननीय सदस्यों को सुना है। लेकिन इन्होंने आपको यह नहीं बताया कि जिस समय यह सारा घटनाक्रम चल रहा था, जिस समय यह आग लग रही थी, उस समय वहां के तत्कालीन एस0एस0पी0, थानाध्यक्ष, सी0ओ0 जिनके बारे में यह बताया गया कि वह सारे एक ही समुदाय के थे, जो नाम छोटा और उपनाम ज्यादा बड़ा लिखकर रहते हैं। जब कप्तान साहब पहुंचे तो उनकी आवभगत में दो घण्टे तक लगे रहे। उनको चाय नाश्ता कराने में वह दो घण्टे लगे रहे। उधर आग लगती रही यह सब ताण्डव चलता रहा। अगर प्रशासन सजग होता और चाय नाश्ते की औपचारिकता करने के बजाये अगर वह अपना काम देखते तो आज कोसी का जो हाल हुआ है वहां जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है वह कदापि नहीं होती। आपके माध्यम से आग्रह है कि उस सारे प्रकरण की हाईकोर्ट के किसी जज से जांच कराई जाये और उसमें हम सब भी हों, सबको सम्मिलित करके जांच कराई जाये। और उसमें जो दोषी हों, जो दंगाई हों, उससे पहले भी वह प्रशासन के लोग दोषी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को नजरअन्दाज किया है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मेरा अनुरोध है कि इस सारे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, दूसरा जो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कृत्य चला इसमें जो सबसे ज्यादा हानि हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूं। इस्लाम मिस्त्री की 5 दुकानें लूटकर जला दी, हाजिक की बैट्री और इन्वर्टर का काम है, वह लूटकर जला दी गई। हारिक, हनीफ कबाड़ी, निजाम कबाडी, आरिफ ठेकेदार, फखरुद्दीन आदि के मकान, दुकान जला दिये गये, इस्लाम मुल्ला जी, सुलेमान एवं अल्लादी की लगभग 20 भैंसों को ले गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, हो गया, आप कब तक बोलते रहेंगे। यह आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, एक मिनट बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, दोबारा एक विषय पर नहीं बोल सकते। बैठ जायें। माननीय श्री कलराज मिश्र जी इसमें आपका नाम तो नहीं है।

*श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जिसका नाम होता है, वही बोलते हैं।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, चूंकि हमारी पार्टी की बात आई है इसलिये मैं बोलना उचित समझ रहा था। हमारे माननीय सदस्य लोकदल ने जिस तरीके से वर्णन किया है यह घटना देखिये बड़ी दुखद है, चाहे दोनों समुदाय या और भी समुदाय होंगे, सभी क्षेत्र के लिये यह घटना दुखद है और इस घटना के सम्बन्ध में जिस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिये थी, कहीं न कहीं इसका अभाव रहा है और इसके बारे में सभी ने इंगित किया है, लेकिन इसको राजनीतिक स्वरूप न प्रदान किया जाय, यही मेरा आग्रह है और इसमें यह कहना कि बी0जे0पी0 हार गई, कल आप भी हारे थे, आप भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, आप भी हारेंगे, बाकी भी जीतेंगे, लेकिन हार गये इसलिये कहीं न कहीं उनकी तरफ से उत्तेजित किया गया होगा, हम जीत गये, हम समाधान कर रहे हैं, बाकी के लोग समाधान नहीं कर रहे हैं, यह भाव इसमें अच्छा नहीं होगा। आम लोगों के अन्दर सद्भाव पैदा करने में इस तरह का अगर भाव हुआ तो राजनैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा और सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा इसलिये चाहे किसी भी सम्प्रदाय, समुदाय से सम्बन्धित हों, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी जान गई है, यह हम सब लोगों के लिये कष्टदायक है। यह क्यों गई, एक घटना घटित हो गई, व्यापक तौर पर लूट-पाट हुई, यह सबने अनुभव किया, पूरी बाजार लूट ली गई आपने स्वयं वर्णन किया उसका, इसलिये इन सारी चीजों को सन्दर्भित करते हुए प्रशासनिक स्तर पर मैं अनुभव करता हूं कि जबरदस्त कमी रही। अब क्यों हुई इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी अच्छी तरह से संज्ञान ले तो अच्छा होगा। जहां तक जांच का सवाल है, इसकी समग्रता से जांच होनी चाहिये और सिटिंग हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिये। इस पक्ष का हूं मैं लेकिन इसको राजनैतिक स्वरूप न प्रदान किया जाय। उस क्षेत्र के राजनैतिक दलों के लोगों से भी आपस में बैठ कर समाधान निकालने के तरीके लगाये जायेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में राजनैतिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी साथ में लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसलिये अगर आरोप-प्रत्यारोप का स्वरूप प्रदान कर दिया गया तो हम भी आरोप लगायें आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी कहेंगे कि हम भी आरोप लगायें, फिर आरोप और प्रत्यारोप का स्वरूप बन जायेगा फिर और भी हिंसात्मक ज्वाला आगे बढ़ेगी, इसलिये इसको आरोप और प्रत्यारोप का केन्द्र न बनाकर किस तरीके से समाधान निकाला जाय इसकी चिन्ता की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यही मेरा आग्रह है और इसीलिये सिटिंग जज से जांच कराने का प्रयत्न किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ठाकुर साहब अब आप बैठ जायं, मा0 मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का हल नहीं होता है, आखिर उन्होंने कोई अच्छी बात कही है, उसको आप सुनिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि कानून-व्यवस्था और कोसीकला की घटना के सम्बन्ध में सूचना कल प्रस्तुत की गई थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक मिनट सुन लें, अभी जब बात हुई तो यह तय हुआ कि सभी दलों के एक-एक लोग बोलेंगे, मैंने आपसे आग्रह किया कि आप बोलिये तो आपने कहा कि नहीं मा0 सदस्य को अपनी बात कह लेने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि वह माननीय सदस्य उसी जनपद के थे, इसलिये मैंने उनको बोलने के लिये कह दिया था। यह सूचना तो मुख्यतः मैने आपसे अनुरोध करके लगवाया था क्योंकि कानून व्यवस्था और यह सब बहुत सम्वेदनशील मामला है, मान्यवर, तो इस पर दो शब्द तो मैं बोल ही लूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ज्यादा नहीं, दो शब्द आप बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि दिनों दिन जो कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, उसी क्रम में कोसीकला मथुरा की घटना एक है। मान्यवर, आज यह बहुत ही गम्भीर विषय बन गया है, आमजन के जीवन रक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, कहीं किसी विधायक के बेटे की हत्या हो रही है, कहीं थाने में बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं अभी एक पूर्व विधायक की पोती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और आत्मग्लानि से उसे आत्महत्या करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अभी आपका भाषण होना है, यह सारी बातें आप अपने भाषण में रख सकते हैं, अभी आप कोसीकला के ऊपर दो शब्द बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है मान्यवर, आपके निर्देश के क्रम में, मैं उस पर विराम लगाते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। यह कोसीकला की घटना भी अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है। जैसा कि मथुरा जनपद के भी हमारे मा0 सदस्यों ने बाते बताई कि अगर वहां के सारे के सारे प्रशासनिक

अधिकारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी समय से सावधान हो गये होते तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी भीषण घटना न होती। चार-चार मौतें हुई, पचासों की तादाद में लोग हताहत हुए और तमाम लोगों की दुकानें जलाई गईं, घर जलाये गये, ये बड़े हादसे जो हुए हैं, मान्यवर, ये सभ्य समाज के लिये शर्मनाक है।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे भई, आप शान्त रहिये न। नेता विरोधी दल जी आप अभी जवाब ले लीजिये फिर आप ही का होना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सभी बिन्दुओं पर गौर करेंगे। मैं इसीलिये प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, पहली तारीख, वह शुक्रवार का दिन था।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के द्वारा पुनः बीच में बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, शुक्रवार का दिन था, यानी रमजान का दिन था। अरे नहीं, वो जुम्मे का दिन था।

श्री अध्यक्ष-

आप भी भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुस्लिम समाज के लिये बहुत पवित्र दिन था और हिन्दू समाज के लिये भी वो भीम एकादशी का दिन था। मान्यवर, परम्परागत रूप से भीम एकादशी के त्योहार पर वहां मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर सौहार्द का वातावरण बनाते ही नहीं बल्कि हिन्दुओं के इस त्योहार में शिरकत भी करते हैं। हिन्दुओं के इस त्योहार में मुस्लिम समाज के लोगों ने ही शरबत पिलाने की व्यवस्था की, वो व्यवस्था उन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। मान्यवर, उसमें एक मनचला व्यक्ति आया और शरबत पिलाने वाले लोगों से कहा कि मेरा हाथ धुला दो। शरबत पिलाने वाले ने कहा कि शरबत से हाथ नहीं धुला जायेगा। इस मटके में शरबत भरा हुआ है, उस व्यक्ति ने जबरदस्ती शरबत के ड्रम में हाथ डाल करके हाथ धोने का काम किया। जिस पर शरबत पिलाने वाले एक लड़के ने उसको एक चाटा मारा कि ये गन्दी बात क्यों कर रहे हो। मान्यवर, हम कह रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष-

ये आ चुका है, कोई नई बात हो बताओ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि जब मथुरा में आज तक कभी हिन्दू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ था। मथुरा में हिन्दू और मुसलमान दोनों बहुत सौहार्द का वातावरण बना करके रहते थे। अभी

मा0 विधायक जो इस बार वहां से जीत करके आये हैं। वहां के हारे हुए विधायक जो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन पर उन्होंने एक आरोप लगाया, ये आरोप बहुत ही गम्भीर प्रकृति का है। इसलिये मान्यवर, मैं इस आरोप को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके भाई भी उस आरोप में आरोपित हैं। जबकि पहली तारीख को विधान परिषद् का सदन चल रहा था और 2 बजे तक वो सदन में मौजूद थे। 2 बजे वहां पर दंगा होता है।

(श्री तेजपाल सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप सुन लो मान्यवर, आप पहले सुन तो लीजिये न।

श्री अध्यक्ष-

सुन लीजिये, अरे भई तेजपाल जी, मा0 तेजपाल सिंह जी, इनको कहने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अरे आपकी बात तो आ चुकी है तो फिर क्यों [x x x] मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं कि विधान परिषद् का भी शुक्रवार के दिन सदन था और विधान सभा का भी। विधान परिषद् में वे मा0 सदस्य 2 बजे तक मौजूद थे। मा0 सभापति और सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य उसके गवाह हैं और मान्यवर, 3 बजे की ट्रेन से वो यहां से प्रस्थान किये मथुरा को, 12 बजे वो मथुरा पहुंचे हैं, उनका भी आरोप में नाम है, और मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि .....

(श्री तेजपाल सिंह द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिये, बैठ जाइये। मा0 तेजपाल सिंह जी आप उन्हें कहने दीजिये। मा0 तेजपाल सिंह जी, मा0 नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, सुन लीजिये। आप अपनी बात बाद में कह लीजियेगा, पहले नेता विरोधी दल जो बोल रहे हैं उसे सुन लीजिये। जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और आप को पहले बोलने के लिये उन्होंने प्रस्ताव दिया। अब आपने उन्हीं पर आरोप मढ़ दिया तो जो जवाब दे रहे हैं, उसे सुनिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो आरोप लगाया है, उसे सख्त गंभीर मान रहा हूं और इसीलिये इस तथ्य को यहां अवगत कराना जरूरी है कि जो विधान परिषद् में सदस्य मौजूद थे, उसका भी आरोप में नाम है। इसलिये मान्यवर, निष्पक्ष जांच होने के लिये मैं यह चाहूंगा कि मा0 उच्च न्यायालय के किसी निवर्तमान जज से इस प्रकरण की जांच हो। अगर कोई दोषी है, तो उसको बचाने के लिये मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा। कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए यह मेरी मांग है और साथ ही साथ मान्यवर, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। आज हिन्दू मुस्लिम सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दंगा तो अभी शुरुआत है और हिन्दू, मुस्लिम सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने का कुछ

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मनचले और सिरफिरे लोगों ने जो यहां पर ये गन्दी हरकतें की हैं, उस पर तभी अंकुश लगेगा, जब दोषी लोगों को सजा मिलेगी। इसीलिये मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और मान्यवर, यह गम्भीर प्रकरण है इसलिये आपसे भी मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच हो इसीलिये उच्च न्यायालय के किसी निवर्तमान जज से इस प्रकरण की जांच कराने की भी मांग करता हूं।

(श्री तेजपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, अब आप बार-बार कैसे बोलेंगे। यह नियम नहीं है। आप सबसे ज्यादा समय तक बोले। देखिये मा0 तेजपाल सिंह जी आप इतनी देर तक बोले कोई बिन्दु आपने छोड़ा नहीं, सारे बिन्दुओं पर आप अपनी बात रख दी। अब नेता विरोधी दल क्या बोलें हैं उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसका कि आपको जवाब देना है। आप बार-बार कह रहे हैं कि जमीन कब्जा करी। आपने कई बार कहा इसके नेता विरोधी दल से क्या मतलब ?

श्री तेजपाल सिंह-

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि घटना के नामजद मुल्जिम उस दिन के मा0 सदस्य विधान परिषद् के सभी कॉल डिटेल्स को निकलवा लें, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्या-क्या हुआ। पूरी बात सामने आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री पूरन प्रकाश तथा अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या मथुरा जिला भर के सदस्य बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की इस हठधर्मिता से यह जाहिर हो रहा है कि इन्होंने जानबूझकर राजनीतिक द्वेषभावना से, राजनैतिक बदले की भवना से पूर्व मंत्री और विधायक और सदस्य विधान परिषद् का नाम इन्होंने साजिश के तहत डालवाया है, इसीलिये यह जांच का विषय है और मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी निवर्तमान न्यायाधीश से इस प्रकरण की जांच कर ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपने मांग कर ली है अब आप बैठिये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मा0 नेता लोकदल जी, मथुरा के जो कोसीकलॉ के विधायक हैं उन्होंने विस्तृत बात रख दी अब आप और क्या बोलेंगे ? ऐसे कैसे होगा कि आप लोग बोलते रहेंगे। श्री तेजपाल सिंह जी आप बैठिये, श्री माथुर जी आप भी बैठिये। हां, लोकदल के नेता जी आप क्या कहना चाहते हैं।

*श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रकरण हुआ है और इसका सबूत सबके सामने है। दो बजे से हुआ है। दो से लेकर पांच बजे तक जो हुआ वह सब बता दिया हमारे सभी साथियों ने आपके सामने लेकिन जो सात बजे से लेकर के 9 बजे तक हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है, मा0 अध्यक्ष जी, आप के पास खुले आम सबूत है, फोटोज हैं, कैमरे हैं, इसमें प्रशासन जिम्मेदार है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि सरकार की तरफ से कहा है कि हमने उनको स्थानान्तरित कर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी क्या स्थानान्तरण काफी है। अभी इसमें जितने अधिकारी जिम्मेदार हैं, होना यह चाहिये था कि वे सस्पेंड हो, बर्खास्त हो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 हो। मा0 अध्यक्ष जी मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, मान्यवर, एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ है, और दंगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप बैठ जायें।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे मौका तो दीजिये, अपनी बात बोलने का।

श्री अध्यक्ष-

अब और कितना मौका दे दें।

श्री पूरन प्रकाश-

धार्मिक भावनाओं को लेकर आदमी दर्शन करने मथुरा में आता है, जामा मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि जहां दोनों की एक दीवाल बनी हुई है, सौहार्द की एक मिसाल है लेकिन आज इस दंगे के कारण एक कलंक लग गया है, मथुरा में।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप बैठिये।

श्री पूरन प्रकाश-

अध्यक्ष जी, कोसीकलां के दंगों की मुख्य वजह तक हमको पहुंचना होगा जिसमें कि मुख्य है, भू-माफिया काले तेल के माफिया वहां पर प्रशासन एवं नेताओं की देखरेख में यह काला कारोबार होता है, जिसको यह संचालन करते हैं, इन्हें एफ0आई0आर0 में दर्ज किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप ही अपनी बात कहते रहेंगे या सरकार का जवाब भी आने देंगे। अब आप बैठ जायें। माथुर साहब आप भी बैठ जायें।

श्री पूरन प्रकाश-

जनपद मथुरा के कोसीकलां में जो यह शर्मनाक कांड हुआ है उसमें मौजूदा डी0एम0, एस0एस0पी0, थानाध्यक्ष, सी0ओ0, एस0डी0एम0 का तबादला ही काफी नहीं है बल्कि इनके खिलाफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एफ0आई0आर0 हो, सस्पेंड हों, बर्खास्त हों। जब तक मथुरा जिले से काले तेल का कारोबार एवं भू-माफियाओं पर अंकुश नहीं लगेगा जब तक इसी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे। अतः माननीय अध्यक्ष जी इसकी जड़ में पहुंचना होगा। सख्त निर्णय माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री को लेने होंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत चर्चा हो गई। ग्राह्यता पर बोला जाता है, माथुर साहब आप तो पुराने सदस्य हैं। यहां तो ग्राह्यता के बजाय पूरी चर्चा हो गई अब चर्चा होने के बाद सरकार का जवाब भी तो आयेगा, अब आप लोग बैठ जाइये। अब अगर आप बोलेंगे तो आपका लिखा नहीं जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही भावुक और संजीदा मामला है और मैं सदस्य लोकदल से सबसे पहले यह सफाई देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा उनका, कि जिस प्रकार उन्होंने कोसीकलां का मुकदमा रखा है, जितनी तफसीस से और जितनी ईमानदारी से रखा है, मैं अगर यह कहूं कि शायद मैं भी इतनी ईमानदारी से न रख पाता तो गलत नहीं होगा और यही एक आस उम्मीद बाकी है कि कमजोरों की हिमायत करने वाले लोग अगर आज हैं तो कल भी रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की यह विडम्बना और बदनसीबी है कि वह कल भी जख्मी थे, आज भी जख्मी हैं और हो सकता है कि आने वाले कल भी जख्मी हों। उनका इतिहास बड़े दर्द से भरा हुआ है और आज की बहस ने उस पर फिर मुहर लगाई है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिये यह बहुत इत्मिनान का बायस है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुसलमान नहीं है और वह इस सम्मानित सदन का सदस्य है और वह हमारे दल का नहीं है, सत्ता पक्ष का नहीं है, उसने आज एक ईमानदार छवि का परिचय दिया है। लेकिन जब बात की शुरूआत हुयी तो बात दरअसल एक टेढ़ी बुनियाद से फिर शुरू हुयी और इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य की मजबूरी कि वह एक ऐसे राजनीतिक दल से हैं जिसके लिये शायद ऐसे वातावरण में भी आग पर पानी डालने के बजाय उसकी चिनगारियों को कुरेद कर कोई लाभ होगा और उनकी शुरूआत इससे हुयी कि यह पूछा जाता है कि गिरफ्तारियां किस वर्ग की ज्यादा और किसकी कम हुयी। गिरफ्तार लोग तो छूट जायेंगे, जमानतें हो जायेंगी, रिहा हो जायेंगे लेकिन जो बेशकीमती जान चली गयी उसकी वापसी तो नहीं होगी और आज शायद सदन के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। दंगों का इतिहास यह है कि कच्चा जला हुआ मकान पक्का बन जाता है लोग मदद के लिये आगे बढ़ते हैं क्योंकि समाज अभी इतना नहीं गिरा है जितना राजनीतिक विचार गिरे हैं। समाज सेवी संस्थायें आगे आती हैं सरकारी मदद मिलती है, बड़े-बड़े दंगे हुए, गुजरात जैसा दंगा। गुजरात में जो बस्तियां जलकर खाक हो गयी थी, आज वह बनी खड़ी हैं जिनके कच्चे मकान थे उनके आज पक्के मकान हैं, जिनके मकानों पर कहीं दरवाजे नहीं थे, उनके पक्के दरवाजे हैं, लोहे के दरवाजे हैं जली हुयी चीजें बन जायेंगी। जले हुए बाजार भी आबाद हो जायेंगे, लेकिन जो लोग जल गये जो लोग मर गये और जहां नफरत की इंतिहा यह है कि सिर्फ मार देना काफी नहीं है बल्कि जिन्दा और मुर्दा की लाशों को उठाकर जलती हुयी आग में डालकर अपने उस जालिम अहसास को तसल्ली देना है कि सिर्फ मार देना काफी नहीं है। बल्कि जलाकर राख कर देना है और जब वह लोग यह कहते हैं कि कितने किधर से गिरफ्तार हुए तो बुनियाद टेढ़ी रखी जाती है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि

टेढ़ी बुनियाद पर सीधी इमारत खड़ी नहीं होती। पूरे सदन के लिए और सत्ता पक्ष के लिए और संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से भी मैं सदस्य, लोक दल से कहना चाहता हूं कल जो कुछ मैंने कहा था वह मेरी मजबूरी थी, मेरी कुर्सी की मजबूरी थी और मेरे इस पद की मजबूरी थी और मजबूरी इसलिये थी कि सवाल सदन में आ गया था अगर कल ही बहस हो गई होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन किन कारणों से टली मैं नहीं जानता उन कारणों को लेकिन मेरी मजबूरी थी माननीय सदस्य ने क्योंकि बात रख दी थी और उस बात का जवाब इस हद तक आना जरूरी था। मैंने सिर्फ यही तो कहा था और मैं कहता हूं आपको कि ''न मेरा है न तेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है, नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है''। कोई यह न समझे कि नुकसान किसी एक का है, नुकसान सबका है।

फिर मैं दोहराता हूं कि वह मेरे पद की मजबूरी थी और यह सच्चाई भी थी और मैंने बड़ी दयानत से और कम लफ्जों में अपनी उस मजबूरी का इजहार किया था कि वहां शान्ति है वहां इस वक्त कानून पर पूरी पकड़ है सरकार की। यह सही है कि जो कुछ तीन-चार घण्टों में हुआ उससे सरकार अपने आपको सम्मानित महसूस नहीं कर रही है, सरकार अपने आपको मुतमईन महसूस नहीं कर रही है। हमें अफसोस है और यकीनन हम शर्मिन्दा हैं, सरकार यह कहे कि वह शर्मिन्दा है इसलिए कि समाज के अन्दर से सहनशीलता का हर एहसास खत्म हो गया है। मैं दोनों पक्षों से यह कहना चाहूंगा कि कुव्वते-बर्दाश्त अगर नहीं है तो पैदा करें और अगर है तो उस कुव्वते-बर्दाश्त को बढ़ाने की जरूरत है। शरबत का बरतन रखा था, नगरपालिका का चुनाव था, सच्चाई सामने आई है सदन ने किसी चीज पर पर्दा नहीं डला है, हाथ डाल दिया गया, मालूम था कि यह सख्स पेशाब करके आया है, यह भी मालूम था उसे कि यह शरबत का कनस्तर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था सदन में इस बात को रखा गया है। प्रदीप माथुर जी ने रखा है। बात निपट गई, यह जौहर की नमाज से पहले की बात है जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज सबसे छोटी नमाज होती है। हमारे यहां दो नमाजें छोटी होती हैं, एक फज्र की जो सुबह होती है कि लोग उठकर नमाज पढ़ें और फिर अपने कामों पर चले जाएं और जुम्मे के दिन जौहर की नमाज छोटी होती है और वह इसलिए कि बड़ा इस्तमा होता है, हुक्म यह है कि बहुत छोटी सूरतें पढ़ी जाएं इसमें और दुआ भी छोटी हो, पता नहीं कौन कहां बैठा है, धूप में है, बारिश में है, मस्जिद में है, बाहर है, बहुत कम समय लगता है इस नमाज में। यह वाक्या नमाज से पहले का है बात खत्म हो गई, लोग नमाज को चले गये और बाद में जो लोग आये हैं वह कौन लोग हो सकते हैं यह मैं अपनी जबान से कहूं तो ठीक नहीं होगा। यह लोग नमाजियों पर हमलावर हुए हैं और मान्यवर, मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं पुलिस का या सरकार का, लेकिन यह जानना चाहता हूं कि जितने वक्त के अन्दर यह हादसा हुआ था और जिस गुस्से के साथ हुआ था उसे रोकने में कहां कमी रह गई, यही जांच का विषय है और यह जांच का विषय उस वक्त तक बना रहेगा जब तक कोसीकलां के इस दंगे की बुनियाद नहीं पता चल जाती, चाहे उसमें कोई सख्स भी शामिल क्यों न हो, लेकिन बेगुनाह किसी को रखा जाय ऐसा भी नहीं होगा गुनहगार बचे ऐसा भी नहीं होगा। मेरे पास जो रिपोर्ट है वह लफ्ज-ब-लफ्ज वही है जो बात सदन में आई है, प्रदीप माथुर जी की जुबानी, माननीय सदस्य, लोकदल की जुबानी, वही लफ्ज-ब-लफ्ज मेरे पास है और किसी चीज को दोहराकर मैं सदन के माहौल में भावुकता या सच्चाई से परे कोई बात नहीं लाना चाहता। मरने वाला

अगर दूसरा भी मरा है, मैं धर्म और जाति का नाम भी नहीं लेता, अगर दूसरा भी मरा है तो वह इसलिए नहीं मरा है कि वह दूसरा था। मुझे इलाहाबाद का एक वाक्या आज जिक्र करने की जरूरत पेश आ रही है, वर्षों पुरानी बात है, दंगा हुआ और एक नौजवान को रोका गया। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जब उसे मारने लगे तो उसने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं, उससे कहा कि अच्छा दिखा, पैंट उतार। उसके वालिद सीनियर आई0ए0एस0 आफिसर के बेटे थे अपने बच्चे की खतना करायी थी और जब यह देखा कि इसके खतना की हुई है तो जिस बेदर्दी से उसका कत्ल हुआ, हैवानियत भी शर्मसार हो जाए। तो जहां मानक ये हो जाये, नाम किसी शुबहे का कारण बन जाए और उस बिना पर उसकी मौत हो जाए।

क्या यह आज के इस सभ्य समाज में जहां सारा दिन टेलीविजन यह दिखाता रहा कि एक सैय्यारा पूरे सूरज के चारों तरफ घूम रहा है और 10 बजकर 20 मिनट पर यह सैय्यारा सूरज को पार कर जायेगा। दुनिया वहां है और हम कोसीकलां में नाम की गलतफहमी की बुनियाद पर एक नौजवान की जान ले लेते है। यह सवाल राजनैतिक बहस का नहीं है। यह आज बहुत अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है उसमें कतई कढ़ुवाहट नहीं है, नेता कांग्रेस ने जो बात रखी है उसमें भी कढ़ुवाहट नहीं थी, नेता लोकदल ने जो बात रखी है वह भी कढ़ुवाहट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात रखी उसमें एक नेता जी, मा0 हुकुम सिंह जी के एक जुमले पर मुझे दुःख हैं। क्योंकि मेरी नजर में उनका राजनैतिक सफर जहां से शुरू होता है वह यहां खत्म नहीं होता। हमारी नजर में उनकी छवि एक बहुत अच्छे इंसान की है, एक बहुत अच्छे वक्ता की है। जब वह नापतौल यह करेंगे कि गिरफ्तारियों में किस धर्म की तादाद ज्यादा है और किसकी कम और इसकी बुनियाद पर सरकारें और समाज तय करेंगे। उनके दौर में ऐसा अवश्य रहा होगा, आज नहीं है। इसलिए हम बुराई नहीं दे रहे है बल्कि इसकी इंतिहानी कराते है कि जो कुछ हुआ है उसकी पूरी पड़ताल होगी और यह सरकार उसके लिए चिंतित है कि मात्र दो-ढ़ाई महीने के अन्दर ऐसा दंगा हो जाना सरकार के लिए भी एक चुनौती को सरकार तस्लीम करती है। इस चुनौती का इलाज करेगी और ये बात अगर पहले सामने आ गयी होती कि आपकी ये मीटिंग चल रही है और जिलाधिकारी का ट्रांसफर उस मीटिंग को मुत्तसिर कर सकता है। कम से कम जानकारी में हमारी या मुख्य मंत्री जी के आ गया होता, तो हो सकता था कि ऐसा नहीं होता या यह फैसला दो घण्टे बाद ले लिया जाता। क्योंकि नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस कुर्सी पर यही एलान किया बार-बार और आज भी यही है कि जहां इस तरह के दंगे होंगे वहां के उच्चाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। अधिकारी वर्ग भी यह समझें कि सिर्फ तबादला सजा नहीं हैं। अगर इस दंगे में तबादले के अलावा भी कुछ मिलता है तो चाहे वह डी0एम0 हो, एस0पी0 हो, इंचार्ज हो, सी0ओ0 हों और जहां तक आपका कहना कांस्टेबिल्स का है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। कांस्टेबिल्स का तबादला इतना अहम नहीं है, जो ज्यादा बड़े जिम्मेदार थे, उनके तबादले हुये। सिर्फ तबादले ही काफी हों यह जरूरी नहीं है। इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो कल जख्मी थे, वह आज भी जख्मी है और पता नहीं कल का जख्म भी किस नश्तर का इंतजार कर रहा है। यह एक दुःखद विषय है, इतनी लम्बी आजादी के बाद बराबर से

जीने का अधिकार हो और अगर सहनशीलता नहीं है तो वह पैदा हो और अगर है तो उसमें इजाफा हो।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें आप न्यायिक जांच करवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इसमें आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप हमसे कोई ऐसा आश्वासन न लें जो कम से कम इस सदन का कभी इतिहास न रहा हो। 1980 का दंगा भी हुआ, जिसमें ईदगाह के मैदान में ढ़ाई हजार लोग मारे गये थे और 500 बच्चे पैरों के नीचे कुचलकर मर गये थे, उस वक्त भी जुड़ीशियल इन्क्वायरी नहीं हुई थी। मुझे याद है मैं वहां बैठा था और मेरा जब भाषण हुआ था तो सदन का हर व्यक्ति आंसूओं से रो रहा था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, मानते है। मैंने जो उस वक्त जवाब दिया, वह राजनैतिक माहौल हुआ। अगर 1980 के दंगे के लिए सिटिंग हाईकोर्ट के जज की जांच नहीं हुई थी तो कम से कम मा0 कांग्रेस सदस्य को इस मांग के पीछे अपने लिहाज को रखना चाहिए। हम आपको यकीन दिलाना चाहते है कि हाई कोर्ट के जज साहब भी हमारे में से आते है यहां जितने सदस्य बैठे हैं और आप बैठे हैं इसमें कोई एक सदस्य सलाहियत के ऐतबार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कम हो यह हम क्यों कह दें। और क्यों मान लें हम सक्षम है सरकार सक्षम है। सरकार के अन्दर बैठे हुए लोग सक्षम है इंसाफ देने में सक्षम हैं और गुनहगारों को पकड़ने में भी सक्षम है। मैं आप सबकी भावनाएं अलग से माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और इस पर विचार होगा अगर कोई और जांच भी इसके अलावा हो सकती है तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

वहां सर्वदलीय शिष्टमण्डल भेजा जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इस पर भी बात करूंगा। मैं खुद भी अभी तक नहीं गया हूं।

श्री तेजपाल सिंह-

मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि जो दो भाई भूरा और कल्लू मर गए है उनके भाई सलीम ने रिपोर्ट लिखाई है। सलीम को दबाया जा रहा है घेरा जा रहा है और हमें डर यह है कि सलीम से उल्टा सीधा न लिखवा लें व उसको घेरकर कहीं मार न दें। एक सलीम की रक्षा की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं सदन में ही आश्वासन दे रहा हूं।

श्री तेजपाल सिंह-

इसमें जो श्रीमान जी, नामजद हो गए है वह बा0स0पा0 सरकार के पूर्व मंत्री है उनका प्रयास यह है कि नेशनल हाई-वे जाम कराऊं और दंगे कराऊं जिससे प्रशासन पर दबाव पड़े और मेरा नाम निकल जाए। इस पर भी निगरानी रखी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सरकार और सदन जिन बातों से अवगत हुआ है उसमें एक बात आपकी तरफ से आई है और एक नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आई है दोनो पर बिल्कुल ईमानदारी का फैसला होगा। कोई राजनीतिक चश्मा नहीं होगा। आपने जो बात कही है उस पर भी और आपने जो बात कही उस पर भी। और मैं सदन के माध्यम से प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां प्रशासन की है जहां तक वक्फ के जायदाद के सिलसिले में आपने कहा है उसे भी देखने की जरूरत है। इसीलिए मैंनें एक दिन इस सदन में कहा था कि बहुत बड़ा कारण है बहुत से विवादों का आने वाले वक्त में इसलिए होगा कि जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई है। और वक्फ की जायदादे बिल्कुल लावारिस पड़ी है। उसकें चेयरमैंनों ने और उसके मुतवल्लियों ने लूटा है वक्फ की जायदादे को लूटने में आपकी हिस्सेदारी कम है हमारी अपनी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। हमने यह आश्वासन भी दिया है कि हम एक ऐसा कड़ा कानून ला रहे है कि पिछले साढ़े आठ वर्ष में साढ़े तीन वर्ष वह भी जिसमें हमारी सरकार थी और पांच वर्ष जो गुजरे हुए है साढ़े आठ वर्षो में वक्फ की जो जायदादें हैं जिन्हें मुतवल्लियान और वक्फ बोर्ड ने मिलकर वक्फ की जायदादों को गैर वक्फ किया है उन पर बनी हुयी सारी तामीरात जो बिल्डर्स और भू-माफियाओं ने कब्जा करके बनाई है एक ऐसा कड़ा कानून लाएंगे कि यह जायदादें उन तामीरात के साथ वक्फ में वापस आ जाएंगी। चुनाचे इस पर काम हो रहा है कानून बन रहा है मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और यह दरखास्त करना चाहता हूं कि माहौल को सुधारने में यह सरकार लगी है वहां लोग भी लगे है सारे राजनीतिक दल भी लगे है आपका भी योगदान है वहां के हर बाशिन्दे का योगदान है लिहाजा हम इस बहस को कड़वाहट की तरफ न लें जाते हुए एक अच्छे माहौल में इस बहस को खत्म करें और नियम-56 के इस सवाल को मैं यह बल देता हूं कि इसका संज्ञान बस इतना ही लिया जाय कि हम सब मिलकर माहौल को बेहतर बनाएं।

श्री तेजपाल सिंह-

वहां प्रशासन सहयोग ले ही नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

वहां जो अकलियत का नेता गए उनको बाइपास से निकाल दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के एक एम0पी0 और दो एम0एल0ए0 गए उनको अन्दर गेस्ट हाउस में बिठाकर बड़े अफसरों की मौजूदगी में प्रेस कांफ्रेन्स की गई और मुसलमानों पर दबाव डाला गया कि यहां आ जाएं यहां राजीनामा कराना है।

श्री अध्यक्ष-

यह बहस नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया अब आप बैठ जाय। माथुर साहब आप बैठें इसी में और चर्चा लगी है। नेता विरोधी दल का भाषण होना है।

श्री प्रदीप माथुर-

बार्डर पर सुरक्षा बढ़ा दीजिए क्योंकि वहां मेवात क्षेत्र है और टेंशन बहुत है वहां।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे और उन्होंने इसमें काफी सदाशयता दिखाई है। मान्यवर, एक अनुरोध है कि इस हादसे में चार लोग मरे हैं। इसी में कुछ परिवारों के घर जल गये हैं उनकी दुकानें जल गयी है और बहुत कुछ जल गया है। हम उन सबकी भरपाई तो नहीं कर सकते है। पर उन परिवारों को भी कुछ सहायता जरूर मिले।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जिनके मकान जले हैं जिनकी दुकानें जली हैं उनका सर्वे बहुत तेजी से किया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि उनके नुकसानात की भरपाई की जा सके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया था। उनकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैंने अपनी बात किसी को दोष देने के लिए नहीं कही थी। आज हालात यह है कि अधिकारीगण अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जिस बात का जिक्र किया था उस समय आपकी सरकार नहीं थी और न ही उस वक्त आप मंत्री थे। मऊ में दंगा हो गया एस0पी0 ने वहां पर गिरफ्तारी की। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि उन पर दबाव डाला गया कि इस तरह से कार्यवाही करो दोष किसी का नहीं था बल्कि निर्देश दिये गये थे कि बराबर गिरफ्तारी करो और इसका संदेश दो। उस अधिकारी ने आकर यहां पर सफाई देने की कोशिश की लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गयी और उसका स्थानांतरण कर दिया गया। मैं मानसिकता की बात कह रहा था कि अधिकारियों पर यहां से दबाव बनता है। मेरा कहना यह था कि निष्पक्ष भाव से काम होना चाहिए मैं उसी बात में विश्वास करता हूं। अधिकारियों का निष्पक्ष तरीके से काम करने की छूट होनी चाहिए। आपने अपनी बातों से यहां पर उसको एक रंग दे दिया। मैं जहां से जीतकर यहां आता हूं वहां पर 80 प्रतिशत मुस्लिम और 20 प्रतिशत हिन्दू का रेशियो हैं। लेकिन मैंने उनके बीच विश्वास अर्जित किया हैं मैं पैंतीस साल से उनके बीच में राजनीति कर रहा हूं मैंने वहां पर व्यवहार बनाया है कोई लफ्फाजी नहीं की है। (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा मेजों की थपथपाहट) मेरा दिमाग बहुत साफ है मेरा मन साफ हैं। मेरे कहने का मान्यवर, यहां पर आशय सिर्फ यही था कि अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक ढंग से काम करने दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, जो उनके कहने की मंशा थी वह सिर्फ मैंने ही नहीं समझा है। और लोगों ने भी समझा है। मेरा आपसे अर्ज यह है कि हम आप यहां पर बहुत सीनियर मेम्बर्स के रूप में हैं। आप पहले की तमाम कार्यवाही को देख लें जब भी साम्प्रदायिक दंगे हुए है और इस

तरह की कोई बातें हुई है उस समय आपने क्या-क्या कहा है। इस तरह का जुमला हर भाषण में आपका इस्तेमाल हुआ है। किस मंशा से आपने इसे कहा इसको सबने समझा हैं। यह भी विडम्बना है, आपने बताया कि मैंने 80 और 20 प्रतिशत के मुस्लिम, हिन्दू रेशियों के वोटर्स के बीच से चुनकर आता हूं मुझे नहीं पता है कि आप कैसे जीतकर आते है। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों के हाथों में बंदूक है उनके आगे आप निहत्थे लोगों की गिनती क्यों कर रहे है। वह तो कल भी जख्मी थे आज भी जख्मी है और उनका कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता है। उसमें चार लोग मारे गये हैं दो जिस्म जलाये गये हैं। इतना लूटा गया है। आपको परेशानी है कि किस की गिरफ्तारी हुई है किस की नहीं हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा मन्तव्य यह बिल्कुल नहीं था। मैंने आज अधिकारियों की मानसिकता के बारे में बताया कि वह किस निष्पक्षता के साथ काम करते है। मैंने कहा कि आप यह संदेश दें अधिकारियों को कि वह निष्पक्ष रूप से काम करें।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी तो सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बात और गम्भीर है ऐसा दंगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का दंगा जिसके लिए पूरा सदन चिन्तित है और किसी तरफ से कोई कटाक्ष नहीं आया। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वह बात जिसका जमाने में कोई जिक्र नहीं था कोई तस्करा नहीं था कि किसकी गिरफ्तारियां पक्षपात से हुई है, किसकी नहीं हुई है लेकिन मिसाल यहां वह दी गयी जो बात हुई ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं सोच बदलिये और कहने का तरीका भी बदलिये, आज का यह माहौल नहीं था कि जिन लोगों ने ज्यादती की है या जिनके ऊपर हुई है उसको डायल्यूट करने के लिए आप बात की शुरूआत कहां से कर रहे है मैंने सिर्फ इतना कहा था। इसलिए फिर गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि माहौल बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस मसले पर बहस की है, अब बात यहीं समाप्त हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय कलराज जी, माननीय माथुर साहब, माननीय तेजपाल सिंह और माननीय सदस्य की बात सुनी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना यह उसमें नहीं आता है, यह विषय अग्राह्य करता हूं।

यह माननीय तेजपाल जी का मथुरा पेयजल का इसी में आ गया है अब इसको लेने की जरूरत नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी है।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह हो गया, मैंने उसी में जुड़वा दिया। आप कह दीजिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी सुन रहे हैं मेरी बात, मैं केवल यह कह रहा हूं कि पानी पीने की जो व्यवस्था है जहां निकासी जगह है जिस पर अक्लियत के लोग रहते हैं वहां वाटर सप्लाई नगरपालिका की नहीं है, टैंकर से पानी जाता है और टैंकर दूसरे समुदाय के लोग लेकर जाते हैं उनके भय की वजह से वह वहां जा नहीं रहे हैं तो मेरा अनुरोध केवल इतना था उन टैंकरों के माध्यम से कि वहां पानी की कोई ऐसी समुचित व्यवस्था की जाये जिससे कम से कम पीने का पानी तो वहां पहुंचे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक तो वक्ती हल है पानी सप्लाई हो भी रहा है जहां कमी होगी उसे भी पूरा करेंगे और मैं फिर कहता हूं कि दो महीने की सरकार है जो मुस्तकिल इंतजाम हैं पानी का, उस पर भी वरीयता से काम करेंगे, इंतजाम करायेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं उसकी 25 शाखाओं को मई महीने में रिजर्व बैंक ने नये खाते खोलने और नये पैसे जमा करने पर रोक लगा दी उसके कई कारण बताये। नाबार्ड के थ्रू प्रदेश को और इन बैंकों को चिट्ठियां आ गयी हैं उसमें यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि बैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकारों ने वह सारे क्रिया-कलाप नहीं किये वह सारे मानक नहीं पूरे किये जिसके कारण से आज इन 25 जनपदों के को-आपरेटिव बैंकों में जमा किये गये पैसों के खाताधारकों में अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वह सशंकित हो गये हैं वह अपने धन को लेकर चिन्तित हो गये हैं। रोजाना बैंकों से करोड़ों रुपये लोग निकाल रहे हैं। 3 साल से इन बैंकों के इम्प्लाई तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। इन 25 बैंकों में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खाताधारकों के जमा हैं इसके अलावा इन बैंकों की जो प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी, बैद्यनाथन कमेटी ने जो सवा चार सौ करोड़ रुपये दिये थे उसके बाद उसे करीब 900 करोड़ रुपये और देने हैं यदि प्रदेश सरकार इन बैंकों के उन मानक को पूर्ण करा दें जो मानक बैद्यनाथन कमेटी ने नियत किये थे तो इन बैंकों को बचाया जा सकता है। इन बैंकों को फिर से क्रियाकलाप करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है और जो इम्प्लाई जिसमें है उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है जो लोग इसमें पैसा जमा किये हैं उनके पैसे को सुरक्षित किया जा सकता है और आगे यह बैंक कार्य कर सकते हैं। मान्यवर, हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इसमें कई बैंक ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें जो मानक पूर्ण करने हैं वह बहुत ही सामान्य हैं कोई ऐसे नहीं हैं जो पूर्ण न हो सकें। सरकार चाहे तो 15 दिन में वह सारे मानक पूरे हो सकते हैं जैसे 49 जगह चुनाव हुआ है एक जगह चुनाव नहीं हुआ है। वह चुनाव हो जाय जो सोसाइटियों के बाई लाज हैं वह बैंकों के अभी नहीं बने हैं जो दो दिन में सरकार बनवा सकती है। पिछली सरकार ने को-आपरेटिव बैंक के जो सेक्रेट्री या जनरल मैनेजर होते हैं वह मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने चाहिए लेकिन अपने कुछ करीबी लोगों को नियुक्त कर दिया जिसमें रिजर्व बैंक ने जो मानक के अनुरूप नहीं हैं उसको लेकर के कुछ आपत्ति करी है उसको प्रदेश सरकार

एक दिन में पूर्ण कर सकती है। को-आपरेटिव बैंकों में जो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं यह दो चार चीजें हैं जिनको कर दें। हम प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि उन मानकों को जल्दी-जल्दी पूरा कर दे तो यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है करीब 25 जनपदों के को-आपरेटिव बैंकों की उस स्थिति से निपटारा पाया जा सकता है। इसमें किसानों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, एक परसेन्ट कम पर इसमें किसानों को ऋण मिलता है। यह सब लाभ उन 25 जनपदों के को-आपरेटिव बैंकों के एकाउन्ट धारकों को मिले और यह जो एक स्थिति बिगड़ी है, यह एक जो संशय है उसको दूर किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी आपसे अपेक्षा करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो इन बैंकों को लाइसेन्स निरस्त करने का नोटिस दिया गया है उसको निरस्त करके इन बैंकों को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

यह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न को उठाया है कि को-आपरेटिव बैंक के खातों में जमा करने के लिये रिजर्व बैंक ने रोक लगाई है उसके बारे में कहा है। आप माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे ? संसदीय मंत्री जी कुछ कहेंगे ? आप इसको दिखवा लीजियेगा।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, इन बैंकों के साथ उस बैंक को भी देख लिया जाय जो दो तीन साल पहले बन्द कर दिया गया था और इससे भी कम कारण थे उसके जो बलरामपुर सोसाइटी का बैंक था उसे 3-4 साल हुए बन्द कर दिया गया उसमें 30-40 लाख किसानों का नुकसान है। उनके पास रुपया पूरा था, मानक में कोई कमी नहीं थी सिर्फ इतना था कि जैसा आपने बताया तो मेरा कहना है कि उस बैंक को भी इसके साथ सम्बद्ध कर लिया जाय, हो सकता है कि उनकी भी किस्मत खुल जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजा साहब आप मंत्री हैं, ठीक है, वह भी देख लिया जायेगा। देखिये अगला डा0 अय्यूब साहब और कमाल यूसुफ साहब का कन्नौज संसदीय उप चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप इसमें बोलिये नहीं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं इस पर कार्यवाही हो जायेगी। देखिये ऐसा है नियम यह है डाक्टर साहब कि दो महत्वपूर्ण विषय बोले गये तीसरे पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो हम आप वाली पर ध्यान आकृष्ट किये दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं वह इसको दिखवा लेंगे।

*डा0 मो0 अय्यूब-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हमारी पार्टी के 10 पदाधिकारी आज अभी तक अपहरण किये गये हैं। इसके बारे में बोलना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बड़े दुःख के साथ आपको सूचित करता हूं कि कन्नौज संसदीय उप चुनाव 2012 में दिनांक 5-6-2012 की रात्रि में 9 बजे के लगभग [x x x] लगभग 40 की तादात में पुलिस कर्मियों की मिली भगत से पीस पार्टी के कार्यालय में घुसकर [x x x] आतंक का माहौल पैदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर पीस पार्टी के पदाधिकारियों को आतंकित करते रहे। पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध करने पर मुलजिमान ने श्री अफरोज बादल, साबिर अली, मौलाना रेहाना रजा, सिराज तालिब, रेयाज खां, मौलाना जमाल नासिर, अमीउल्लाह, अजीमुल्लाह, राणा पटेल, राम भजन चौहान को चारों तरफ से घेर कर अपने साथ लाए वाहनों में जबरन बैठाकर तथा कुछ समाजवादी कार्यकर्ता नामांकन से सम्बन्धित मतदाता सूची नामांकन-पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र कार्यकर्ताओं के मोबाइल सेट्स बीस हजार रुपये नगद लूटकर पीस पार्टी के अधिकारियों का अपहरण करके ले गये और अब भी हमारे पदाधिकारी का कोई सुराग नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सरकार का जवाब सुन लीजिए।

डा0 मो0 अय्यूब-

दो मिनट सुन लें। मुझे अन्देशा है कि कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ घटना घट सकती है। मान्यवर, मुझे आपसे कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की पत्नी [x x x] उसी क्षेत्र से प्रत्याशी हैं।

श्री अध्यक्ष-

नाम नहीं लिया जा सकता है।

डा0 मो0 अय्यूब-

और उन्होंने कल ही पांच तारीख को पर्चा दाखिल किया है जो पदाधिकारियों का अपहरण हुआ, हमारे कार्यालय से अपहरण हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। सरकार का जवाब तो सुनिये। आपने कहा अपहरण हो गया आप जवाब तो सुन लें। (व्यवधान) लिख लाए हैं उसी को पढ़ रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री और उनकी सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान सरेआम पार्टी कार्यालय में आकर जो आतंकित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है। अब आपका नहीं लिखा जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय सदस्य, नये सदस्य हैं उनकी बात तो आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात आ गई है अपहरण हो गया। अब सरकार का जवाब आने दें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

माननीय सदस्य नये हैं बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात आ गई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 12 बजकर 50 मिनट पर यह जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। दूसरी अलहिन्द पार्टी जिसमें ओम प्रकाश कटियार जी, जिन्होंने पर्चा नामजद किया और एक पार्टी है, वोटर्स पार्टी इसके प्रभात जी कैन्डीडेट हैं, यह जिले में भी नहीं आए, इनकी कम्प्लेंट आ गई है। आपकी कम्प्लेंट भी मिल गई है। वह रिसीव हो गई है। थाने में ऐसी जानकारी किसी भी अधिकारी के पास नहीं है कि किसी का अपहरण हुआ है। कल के दिन कन्नौज में राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भी मीडिया मौजूद था और चप्पे-चप्पे पर मीडिया यह देख रहा था कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हो रही है जो अनहोनी हो और जो कल के अखबारों में अच्छी खबर बन सके। मेरे ख्याल से एक ऐसी पार्टी जिसके चार माननीय सदस्य विधान सभा में हों, उनके कार्यकर्ताओं का अपहरण हो जाए और जिला प्रशासन को उनके अपहरण की जानकारी न हो और अगर जिला प्रशासन उस अपहरण को छिपाना चाहता था, बकौल उनके [x x x] तो मुझे अच्छा नहीं लगा, डाक्टर साहब खुद अपनी जात में भी सभ्य हैं और उनकी पार्टी भी पीस, अमन की पार्टी, जो उसका लफजी मतलब है, शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र रामपुर का याद है जब रामपुर का चुनाव होने के पहले आपकी पार्टी के लोग आये थे तो तकरीबन चालीस-पचास विदेशी गाड़ियां थीं जिसमें हर गाड़ी की कीमत एक-एक, डेढ़-डेढ़ करोड़ होगी और उन तमाम गाड़ियों में ऐसी शक्लों के लोग मौजूद थे कि रामपुर का पूरा माहौल भयभीत हो गया और जब आपकी पार्टी के लोग लड़े तो यह फिजा बनी कि यह वही चालीस गाड़ियों वाला काफिला है लिहाजा 100 के अन्दर वोट मिले थे। डर गया पूरा शहर तो आपसे जाती तौर पर हम यह उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप पेशे से डाक्टर हैं, आपसे उम्मीद नहीं करते कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो ऐसे लोग जो मेरे जैसे कमजोर आदमी को इस तरह डरा-धमका गये हों, कन्नौज में उनका अपहरण हो जाए, यह थोड़ी बात समझ में कम आ रही है। अगर प्रशासन को अपहरण कराकर इसे छुपाना होता या आपका पर्चा न भरने देना मंशा होता तो आपकी रिपोर्ट रिसीव नहीं की जाती। आपकी रपट रिसीव की गई है, पूरी जानकारी यहां जिला प्रशासन ने दी है, कोई ऐसी घटना उनकी जानकारी में नहीं है, अगर आयेगी तो मैं सदन को सूचित कर दूंगा और जो कार्यवाही कानून के दायरे में आवश्यक होगी, वह कार्यवाही जरूर की जायेगी। यह नियमों में नहीं आता। इसलिए इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर डाक्टर साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। ललई यादव जी आप बैठिए। बात हो गई है।

संसदीय कार्य मंत्री जी, अब वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर माननीय नेता विरोधी दल का भाषण होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो मद संख्या-8 है, क्या समाप्त हो गया, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष-

हां, समाप्त हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने कहा था कि मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, ढाई बज गया है, आपने जो सूचना दी थी, आज उससे भी महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं। आप बाद में फिर दीजिएगा, बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उस पर ध्यानाकर्षण तो कर दें। 50 छात्र हैं, उनको इम्तिहान से वंचित किया जा रहा है जो बी0एड0 के 50 स्टूडेन्ट हैं, उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने 311 में दिया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नियम-56 में भी दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ध्यान आकर्षण करते हैं, अब बैठिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल का भाषण होना है, माननीय नेता सदन कब आयेंगे, बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता सदन पधारने वाले हैं।

*श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं। बुधौलिया जी, आप पार्लियामेण्ट मेम्बर रहे हैं बैठिए। जब आपका नहीं लिया गया है तो आप बैठिए। पार्लियामेन्ट में तो शायद इतना बोल भी नहीं पाते। आपका अस्वीकृत हो गया है। आज और महत्वपूर्ण विषय थे, बुधौलिया जी बैठिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब आप लोग नियम-56 और नियम-51 देते हैं तो यहां स्वीकार हो, चाहे न स्वीकार हो, वह सीधे उस विभाग को चला जाता है, जिससे सम्बन्धित होता है, कुछ न कुछ उस पर कार्यवाही हो जाती है इसलिए इस पर बहुत दबाव नहीं देना चाहिए। आप लोग नियमों को पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, लोक सभा 11.00 बजे चलती है उसी प्रकार से विधान सभा की बैठक भी 11.00 बजे शुरू होती है और सदन की कार्यवाही लगातार चलती है। अध्यक्ष जी, 1.00 से 2.00 बजे के बीच लंच किये जाने पर आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री राजनारायण बुधौलिया-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आज नहीं। आप कल इस पर बात करियेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं बजट पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं। सदन को सूचित कर दें कि नेता विरोधी दल और नेता सदन के बोलने की समय-सीमा नहीं है लेकिन नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस पार्टी और जो भी दल हैं उन दलों के दलीय नेताओं को बोलने के लिए 15-20 मिनट का समय निर्धारित है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2012-2013 के बजट अनुमानों पर जो भाषण किया है। मान्यवर, यह तथ्यों से परे और प्रदेश के विकास के प्रति गम्भीर संवेदनशीलता नहीं है, वायदे ज्यादा हैं व्यावहारिक कम हैं। सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट पेज दो, पैराग्राफ दो में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विरासत में हमें जर्जर अर्थव्यवस्था टुकड़ों में बंटा समाज, सभी कीर्तिमान तोड़ता हुआ भ्रष्ट तंत्र, बिगड़ी कानून-व्यवस्था और हताश-निराश प्रशासनिक तंत्र मिला है। यानी जर्जर अर्थव्यवस्था। तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ही बजट भाषण के पेज दो पर जर्जर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की बात कही है और मान्यवर, इसी बजट भाषण के पेज-47 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट भाषण में लिखा है कि अन्तिम शेष वर्ष 2012-2013 में प्रारम्भिक शेष तेरह हजार पांच सौ सात करोड़, सत्तानवे लाख रुपये को हिसाब में लेते हुए यह लिखा है। यानी कि तेरह हजार पांच सौ सात करोड़ सत्तानवे लाख रुपये हमने अपने सभी विकास कार्यों को

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† दिनांक 5 जून, 2012 की कार्यवाही से।

कराने के बाद भी इस सरकार को दिया था और मान्यवर, आपने जो भी बजट प्रस्तुत किया है, समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 3323 करोड़ 33 लाख रुपये ऋणात्मक और जब 13507 करोड़ 97 लाख रुपये को जोड़ लिया जाय तब जाकर के आता है 10184 करोड़ 64 लाख रुपये, यानी अन्तिम शेष यानी प्रारम्भिक शेष को जोड़ने के बाद होता है और इसी क्रम में मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2012-2013 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा जो बजट भाषण सामग्री के साथ-साथ प्राप्त हुआ था और मान्यवर, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो प्रारम्भिक शेष पिछली सरकार का, वह वर्तमान का शेष होता है और जैसा कि उक्त धन के विषय में मैंने अवगत कराया है और उसका विवरण इस विवरण पुस्तिका पर भी अंकित है। इसी प्रकार से पेज-2.26 जिसमें मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2010-2011 में रु0 554.40 करोड़ अनुमानित किया गया था जो अब वास्तविक आंकड़ों के अनुसार बढ़ करके रु0 3,508.15 करोड़ हुआ है। वर्ष 2011-2012 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व बजट रु0 5,635.04 करोड़ अनुमानित था जो पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार बढ़ कर रु0 7,976.55 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में रु0 5,884.35 करोड़ की राजस्व बचत अनुमानित है जो मान्यवर, पूरे के पूरे बजट व्यवस्था को एक सकारात्मक दिशा की ओर खुद अपने आप को इंगित करता है और मान्यवर, इसी में दूसरा पैराग्राफ राजकोषीय घाटा है, जिसमें वर्ष 2010-2011 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा रु0 17,247.70 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत हैं वर्ष 2011-2012 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा रु0 18,959.66 करोड़ से पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार घटकर रु0 18,685.91 करोड़ होने का अनुमान है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.97 प्रतिशत से घटकर पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 2.93 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-2013 में रु0 21,570.26 करोड़ का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है। यानी मान्यवर, यह लगातार हम कभी भी इनको घाटे का उत्तर प्रदेश नहीं दिये हैं, हमने तो सकारात्मक जो विकास की दिशा दी थी और उसी क्रम में जो आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहल किया है, अपने अन्दर के पन्नों में तो यह स्वीकार करते हैं कि हमें यहां पर समृद्ध उत्तर प्रदेश मिला। हमें 13 हजार से भी ज्यादा यानी हमें 13 हजार 700 करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमें प्राप्त हुआ। मान्यवर, लेकिन कहने के लिये कहीं न कहीं दोषारोपण करना है इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़ी बारीकी से सुई घुमा दिया कि हमें बदहाल खजाना मिला और मान्यवर इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा 2012-2013 के पेज-228 में पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां। यह अनुमान इंगित करता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पूंजी निर्माण हेतु किस सीमा तक किया गया है। वर्ष 2010-11 के आगे के वर्षों में यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है। पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात के 100 प्रतिशत से अधिक होने का अर्थ यह है कि पूंजीगत प्राप्तियों का पूर्ण उपयोग पूंजीगत परिव्यय पर होने के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय के एक अंश का वित्त पोषण राजस्व बचत से हो रहा है। यह स्वीकार कर रहे हैं मा0 मुख्य मंत्री जी। इसी क्रम में आगे चौथा कर राजस्व/सकल राज्य सकल

उत्पाद कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशत 2010-11 के वास्तविक आंकड़ों में 14.7 वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमानों में 16.1 तथा वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमानों में 16.7 है। यह सकल राज्य सकल उत्पाद के सापेक्ष कर राजस्व प्राप्तियों में स्थायित्व सुधार इंगित करता है। यानी मा0 मुख्य मंत्री जी ने सब कुछ स्वीकार किया लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये अपने बजट भाषण पैरा-2 में ऐसा कह दिया कि जैसे लगता है कि जिसे निल बटा सन्नाटा कहते हैं जीरो। यानी कह कुछ रहे हैं, बाहर कुछ हैं, अन्दर कुछ हैं। लेकिन अगर इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकारेंगे तो मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बसपा की बड़ाई हो जायेगी इसलिये स्वीकारा लेकिन बड़ी बारीकी से स्वीकारा। मान्यवर, इसी क्रम में ऋणकोष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 में यह अनुपात 48.7 प्रतिशत था जो क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2009-10 में 38.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-11 में यह अनुपात 34.3 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों में 32.1 प्रतिशत और वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमान में 31.4 प्रतिशत है। इस प्रकार इस अनुपात में सामान्य प्रवृत्ति क्रमिक कमी की है जो यह इंगित करती है कि राज्य की आय में वृद्धि दर ऋणकोष में वृद्धि दर से अधिक है। क्या मा0 मुख्य मंत्री जी, सब कुछ स्वीकार कर लिया लेकिन बड़ी साफगोई से, बड़ी साफगोई से आपने सीधे-सीधे कह दिया कि जर्जर अर्थ व्यवस्था हैं सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था मिली, हर जगह स्वीकार भी कर रहे हैं लेकिन कहने के लिये जर्जर अर्थ व्यवस्था। हम तो सोचते थे कि वाकई में बहुत भोले हैं लेकिन इस भोले चेहरे से ठगने का काम भी बहुत करते हैं। मान्यवर, इन्होंने ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया कि सुदृढ़ है, सुदृढ़ स्थिति में इनको उत्तर प्रदेश मिला लेकिन कहने के लिये जर्जर अर्थ व्यवस्था। मान्यवर, अगर ये मैं अपना कहता तो कहते कि यह बसपा वाले हैं कुछ ऐसा कहेंगे। इन्हीं के साहित्य में लिखा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे भोले आपकी भोली से अच्छे हैं कि नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अब वह संसदीय कार्य मंत्री जी ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं इसी क्रम में पेज-3 (1) जिसमें मान्यवर, 2010-2011 में ऋण ग्रस्तता रही है, 34.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-2012 में 32.1 प्रतिशत और 2012-13 में 31.4 प्रतिशत यानि लगातार उसमें भी गिरावट आई है और इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज बहुत बजट में वृद्धि की है और तमाम अपनी जवाबदेही के मुताबिक जो भी चुनावी वायदे किये थे, उनको भी आपने पूरा करने का दिखावा किया है, जैसा कि मान्यवर, वैसे हर सरकारों की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। उसमें हमें कोई बहस नही करना है और कोई गुरेज नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कन्या विद्या धन में धन आवंटित किया है 446.00 करोड़ और जबकि इन्हीं लड़कियों के लिए हमारी सरकार ने भी पूर्व में योजना चला रखी थी, सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बस चंद लड़कियों के लिए चलाई थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, जिसमें हमने अपने वर्ष 2011-12 में इनके लिए व्यवस्था की थी इनके लिए 1166.47 करोड़ की तो कन्या विद्या धन का हम स्वागत करते हैं लेकिन धन में कटौती क्यों कर दिया। धन में तो और ज्यादा आपको बढ़ोत्तरी करनी चाहिए और मान्यवर, काट-पीटकर के उसको आधा-तिहाया कर दिया। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूं कि आज लड़कियों के शिक्षोन्नयन के लिए क्योंकि हमारे देश की संस्कृति रही है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता।''

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के भाषण के बीच में टोकने व बोलने पर)

मा0 मुख्य मंत्री जी जगह पर अगर आप ही लोगों को बोलना है, जवाब देना है तो मैं बैठ जाऊं। मा0 अध्यक्ष जी, सदन को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश दें। मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, जवाब वह देंगे, तो बीच-बीच में हमारे मा0 सदस्यगण बोल रहे हैं, कभी कोई महत्वपूर्ण बात आ गई, आप बोल देते हैं, आपका स्वागत है लेकिन हर वाक्य पर बोलने का क्या मतलब। नये सदस्य का मतलब यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं मा0 नेता विरोधी दल चूंकि मैं अपने सचिव से कुछ नियमों के बारे में बात कर रहा था। ये यहां छूट है। मैं सचिव से बात कर रहा था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं मा0 सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जब कभी मा0 नेता विरोधी दल बोलते हैं, तो इस सदन में जो भी नेता विरोधी दल होता है उनका सम्मान किया जाता है। नेता सदन का सम्मान किया जाता है। देखिये ललई यादव जी यह परम्परा हैं आप पूछते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यह बात सही नहीं है। यह मैं आपको बता रहा हूं। अरे आप लोग सीखो, अभी पहली बार आये ही न। सारी जिन्दगी इसी में बैठते बीतती जा रही है।

*खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रण तथा कारागार राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की भाषा हिन्दी है, मगर माननीय नेता विरोधी दल ने जो बोला, वह किसी की समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला।

श्री अध्यक्ष-

देखिये सदन की भाषा हिन्दी है और अंग्रेजी का अनुवाद हो जाता है। माननीय नेता विरोधी दल, आप जल्दी से जल्दी खत्म करके और लोगों को बोलने का अवसर दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमारे माननीय सदस्य को यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता अंग्रेजी लग रहा है।

(श्री इकबाल महमूद, माननीय सदस्य के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संस्कृत में श्लोक को माननीय मौर्य जी ने पढ़कर सुनाया और यह अच्छी बात है वह जहां हैं वहां इसका सम्मान है। माननीय सदस्य आप बैठिये। अब यह सब आपको समझने की जरूरत नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मुख्य मंत्री जी इसको समझ रहे हैं। इसलिये मान्यवर, लड़कियों के उत्थान के लिये उनके शिक्षोन्ययन के लिये जितना भी सरकार बजट की व्यवस्था करती, उतना ही ज्यादा वह स्वागत योग्य है क्योंकि आज आवश्यकता है इस विकास की दौड़ में लड़कियों को आगे की कतार में खड़ा करने की। बराबरी का दर्जा और मौका देने की और साथ ही साथ मान्यवर, इसमें तो और ज्यादा बजट होना चाहिए था लेकिन लड़कियों के उत्थान के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ा कंजूसी किया है। मान्यवर, इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना में 395.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यद्यपि कि पूर्व में बसपा सरकार में भी यह योजना महामाया सर्वजन आवास योजना के नाम से संचालित थी लेकिन इसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कटौती की है। पूर्व में जब यह योजना संचालित थी तो इसमें 650.00 करोड़ रुपये आवंटित किया जाता रहा और यह भी लगभग उसके आधे 395.00 करोड़ रुपये कर दिया। यानि इस योजना से तो गरीब ही लाभान्वित होता, तमाम ऐसे लोग जिनको सिर छुपाने की जगह नहीं है तमाम ऐसे लोग जो मड़हियों में रहने के लिये आज भी मजबूर हैं और जब कहीं कोई दैवी आपदा आती है, बाढ़ आती है, बरसात आती है तो उनकी मड़ही भी गायब हो जाती है तो इस योजना के माध्यम से तमाम गरीबों को सिर छुपाने की जगह मिलती तो अच्छा होता, जबकि विगत वर्ष से भी ज्यादा इस मद में धन देना चाहिये था। लेकिन खुले आसमान के नीचे रहने के लिये मजबूर होकर आज गरीब जनता वहां सो रही है अगर अच्छा होता कि इसमें बजट व्यवस्था अधिक की गयी होती। इसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदाशयता नहीं दिखाई और इसी प्रकार से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक आसरा योजना भी संचालित की है आसरा योजना भी गरीबों के लिये हैं ऐसे गरीब जो शहरों में रहते हैं और गरीब हैं लेकिन उनको सिर छुपाने की जगह नहीं है। उनको आसरा योजना के माध्यम से आपने 100 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है और जबकि यह योजना हमारी भी सरकार में चलाई जा रही थी। पूर्व में भी यह योजना संचालित थी और पूर्व की सरकार में यह योजना मान्यवर, कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के रूप में संचालित की जाती थी जिसमें 875.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 875 करोड़ रुपये के सापेक्ष 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का काम किया है। हम तो स्वागत करते हैं आप किसी भी महापुरुष के नाम पर योजना संचालित करें लेकिन अगर योजना लोगों के लिए कल्याणकारी हो, उस योजना से अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को स्वाभिमान और सम्मान मिल रहा हो, उसकी बेहतरी हो, उसकी भलाई हो तो बजट देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। मात्र 100 करोड़ रुपये देकर जैसे जब बच्चा रोता है तो गार्जियन उस बच्चे को झुनझुना पकड़ा देते हैं उसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीबों को झुनझुना पकड़ाने का काम किया है।

इसी प्रकार से कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती योजना भी हमारी सरकार में संचालित थी, आपने वह योजना ही खत्म कर दी हम तो चाहते थे आप उस योजना को चलाते, भले ही किसी महापुरुष के नाम पर चलाते, जिसको आप प्राथमिकता देते उसके नाम से संचालित कर देते क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं जिससे गरीब मुख्य धारा से जुड़ते हैं और समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े होने का उनको अवसर मिलता है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी आपने ऐसे

गरीबों के हितों की अनदेखी की है अन्यथा आज तो मैं इस बजट का स्वागत करता लेकिन आपने तो गरीबों के लिए हर जगह पर बजट में बड़ी कटौती कर दी कि स्वाभाविक रूप से हमें आज कुछ न कुछ इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ रही है। मान्यवर, इसी प्रकार से अभी और भी कल्याणकारी योजनाएं जो पूर्व में संचालित थीं, जैसे आज ही प्रश्न प्रहर में यह बात आई थी कि लड़कियों के अनुपात में लड़कों की संख्या घट रही है और मान्यवर, इसलिए घट रहा है क्योंकि हमारे इस भारतीय समाज में पुरुष को प्रधानता दी जाती है लड़कियों को दोयम दर्जा दिया जाता है जबकि यह हमारे भारतीय समाज के विपरीत है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमेशा नारियों का सम्मान हुआ, इन्हीं नारियों में से कभी कोई काली पैदा हुई, कभी कोई दुर्गा पैदा हुई, कभी कोई भवानी पैदा हुई, इन्हीं में से समय-समय पर तमाम देवियां पैदा हुईं। आज भी देश की राष्ट्रपति एक महिला है, तमाम प्रदेशों में मुख्य मंत्री और इस देश में प्रधान मंत्री के पद पर भी महिलाएं आरूढ़ हुई हैं, जो इस बात को साबित करती है कि महिलाओं के अन्दर किसी प्रकार की क्षमता प्रतिभा में कमी नहीं है लेकिन जानबूझकर यह पुरुष प्रधान समाज महिलाओं की अनदेखी करता है और उसी का परिणाम है कि लड़कियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। आज सदन के अन्दर इस पर चिन्ता व्यक्त की गई, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि आखिर लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दिनोंदिन क्यों घटती जा रही है। इस अभिशाप पर कहीं न कहीं लगाम लगाना होगा, लड़कियों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलानी होंगी। लड़कियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर सरकार को मुहैया कराना होगा और साथ ही साथ मान्यवर, जिससे कि लड़का-लड़की का जो अनुपात है यह समान रूप से हो सके। आज यह समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है जबकि लड़कियों को वरदान के रूप में जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे तब तक लड़कियों की संख्या समान रूप से नहीं बढ़ेगी। इसलिए मान्यवर, इसको प्रोत्साहित करने के लिए महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना हमारी सरकार ने चलायी थी। मैं तो खुश होता, बधाई देता मा0 मुख्य मंत्री जी को जब लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए जैसा कि पूर्व में व्यवस्था की गयी थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पहली या दूसरी मर्तबा बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म दिन पर सरकार के खजाने से एक लाख रुपये का फिक्स डिपाजिट उस लड़की के नाम से किया जायेगा और 18 साल की होने पर उसको यह धनराशि दी जायेगी। यह व्यवस्था आप चलाते, डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर चलाते या किसी भी अन्य महापुरुष के नाम पर चलाते, लेकिन ऐसी कल्याणकारी योजना जिससे हमारे समाज में लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए उनको एक सुअवसर दिया जा रहा था, उस सुअवसर को मुहैया कराना था लेकिन सरकार ने खत्म कर दिया। मा0 मुख्य मंत्री जी युवा हैं, क्षमतावान भी हैं और इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम जो कल्याणकारी योजनायें हैं जिससे समाज के अन्तिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान मिलता है, किसी उपेक्षित को सम्मान मिलता है जिसे हम अभी तक नकारते रहे, उसे स्वीकार करने के लिए हमें तैयार करना हो, इस प्रकार की मानसिकता बनाने के लिए भी सरकार को समय-समय पर प्रभावी कदम उठाना होगा।

मान्यवर, इसी क्रम में आगे मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी इस बजट पुस्तिका में डा0 लोहिया ग्राम विकास योजना प्रारम्भ किया और जिसके नाम पर 720 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया

गया है। यद्यपि कि यह पूर्व में यह योजना डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के नाम से जानी जाती थी और माननीय मुख्य मंत्री जी शायद उस समय संज्ञान में होता तो शायद इसका नाम नहीं बदलते क्योंकि 1991 में यह योजना प्रारम्भ की गयी थी और संभवतः उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी, वर्तमान मा0 मुख्य मंत्री जी के पिता जी थे। सन् 1991 में यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।

* श्री प्रमोद तिवारी-

1991 में मा0 कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और 1993 में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री बने थे और आप उनको समर्थन कर रहे थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, भारत सरकार ने 1991 में निर्णय लिया था तब से लगातार यह योजना चली आ रही थी। 1991 और 1993 में भी लगातार चली आ रही थी। कोई बात नहीं, योजना बदल दिया लेकिन पैसे में क्यों कटौती किया, क्योंकि विकास चाहे डा0 अम्बेडकर के नाम पर ग्राम्य विकास की योजना हो, चाहे डा0 लोहिया के नाम पर ग्राम्य विकास योजना हो, विकास तो गांव का होना था लेकिन 720 करोड़ रुपये आवंटित किया जबकि पिछले वर्ष में हमने 1575 करोड़ रुपया आवंटित किया था और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन के लिए केवल 800 करोड़ रुपये दिया था जबकि आपने 720 करोड़ रुपये कुल दिया है यानी गांवों के विकास के लिए यह कटौती नहीं होनी चाहिए थी चूंकि हम सभी लोगों का संस्कार और संस्कृति गांव की है, खेत और खलिहान से निकल करके हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर आज मुख्य धारा से विकास कार्यों से गांवों को जोड़ा जा रहा था तो हम समझते हैं कि युवा मुख्य मंत्री को अपनी क्षमता के अनुसार उसमें और बजट की बढ़ोत्तरी करनी चाहिए थी। आधे से भी कम कर दिया। ठीक है आपने नाम बदल दिया लेकिन गांव का विकास होना चाहिए लेकिन बजट में कटौती क्यों ? डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर बजट वैसे ही बढ़ा देना चाहिए था। महापुरुष के सम्मान में अगर योजना संचालित की जा रही थी तो उसमें हमने अगर 1 हजार पांच सौ 75 करोड़ रुपये आवंटित किये थे तो आपको उसे 1600 करोड़ कर देना चाहिए था। इससे गांव का विकास होता गांव-गांव में आज पक्की सड़कें हैं बिजली है स्कूल पंचायत भवन हैं और सभी विकास के कार्य हैं सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन हैं तो गांव का जो ऐतिहासिक विकास का पहल किया गया था यह उसी की देन है अन्यथा जब तक यह योजना नहीं थी तब तक गांवों में विकास नहीं हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश के 60 फीसदी गांव इन सारे विकास कार्यों से जुड़े हैं तो जो तत्कालीन डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना थी यह उसी की देन है। विशेष रूप से तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो गांव के विकास की प्राथमिकता तय की थी उसी का परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश के 60 फीसदी गांव विकास से जुड़ गये हैं हम इसका स्वागत करते हैं। आज हम माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत करते जब इस बजट को दुगुना बढ़ाकर इसमें चार चांद लगाने का काम करते। मान्यवर, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल विकास योजना यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 2012 का बजट भाषण इसमें पेज 19-20 पेज को देखें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बजट प्रस्तुत कर दे रहा हूं और पिछले साल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अपना बजट भी प्रस्तुत कर दे रहा हूं। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल। प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। इस क्रम में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रुपये तथा इन्टीग्रेटेड ऐक्शन प्लान योजना में सम्मिलित कार्यों के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रुपये एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था। मैं इस क्रम में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में यानी एक साल बाद बजट में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए हम रोना रोते हैं बुन्देलखण्ड के नाम पर हम रोना रोते हैं पूर्वांचल विकास के नाम पर जब पिछले वर्ष हालत यह थी कि हमने बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की प्राथमिकता को सुनिश्चित करते हुए बुन्देलखण्ड के त्वरित विकास को दृष्टिगत बांदा में मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं महाविद्यालय कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की और बांदा में इंजीनियरिंग कालेज एलोपैथ मेडिकल कालेज की स्थापना की। अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथ मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। आजमगढ़ में भी इंजीनियरिंग कालेज स्थापना का कार्य प्रगति पर पूर्वांचल क्षेत्र में विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल गैप को पूरा करने के लिए अलग से भी 291 करोड़ की व्यवस्था की गई। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 109 करोड़ की व्यवस्था अलग से। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए रुपये 62 करोड़ की लागत से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया गया और बुन्देलखण्ड की विशिष्ट योजनाओं के लिए 1200 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई इसमें भी कटौती। बुन्देलखण्ड जहां ठीक से मिट्टी उपजाऊ न होने के नाते फसल पैदा नहीं होती और जो भी फसल पैदा होती है वहां की जो भौगोलिक परिवेश है उसके चलते कभी सूखा से कभी बाढ़ से कभी पानी के अभाव में वह भी तहस नहस हो जाती है।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने समय के बजट की उपलब्धियां बता रहे थे जो आप बता रहे हैं कि यह बन गया है वह सब खण्डहर बन गया है वहां सब खण्डहर मौजूद हैं जो सड़कें बनी थीं वह टूट गयी हैं पुल जो बने थे वह सब टूट गये हैं जो पटरा का पैजामा पहनते थे पहले किसी समय आपके समय में वह छोटे नवाब हो गये। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सच बोल रहे हैं या [x x x] बोल रहे हैं इनको जब मौका मिले तो कह लेंगे। यह बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के सम्बन्ध में जो कटौतियां की गयी हैं बजट में उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। मान्यवर, आप कन्नौज, इटावा, सैफई का विकास करें यह अच्छी बात है लेकिन आप दूसरी जगहों का भी बराबर का विकास करें यही आशा करते हैं आपसे हम लोग। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल का तेजी से आप विकास करायें। आपको उन इलाकों के पिछड़ेपन की तरफ भी पूरी

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदाशयता के साथ देखना चाहिए, खुले दिल से देखना चाहिए। यह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के आकार को पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बढ़ाया है यह अच्छी बात है। आपका कहना है कि बाइस फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की है यह आप कह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम महत्वपूर्ण विभागों की धनराशियों में कटौती की है। यह जो उत्तर प्रदेश सरकार 2012-2013 के अनुदानवार अनुमानों पर स्मृति-पत्र है इसको देखने का कष्ट करें। इसमें आपने बताया है कि 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। आपने इसमें बताया है कि दो लाख एक सौ दस करोड़ दशमलव इकसठ करोड़ रु0 का बजट, इतना लम्बा चौड़ा बजट प्रस्तुत हुआ है। लेकिन उसी प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं में विभागों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए थी वह नहीं की। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ-साथ तमाम विभागों में जो कल्याणकारी विभाग है बड़े पैमाने पर इनमें कटौती की गयी है। आवास विभाग में 49.54 प्रतिशत, कृषि उद्योग विभाग में 42.34 प्रतिशत की कटौती हुई है। कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग में भूमि एवं जल संसाधन विकास विभाग में 31.69 प्रतिशत की कटौती हुई है। खाद्य तथा रसद विभाग में 2.65 प्रतिशत की कटौती हुई है गन्ना विकास विभाग में 1.76 प्रतिशत की कटौती हुई है। गृह विभाग में 28.50 प्रतिशत की कटौती हुई है। नागरिक उड्डयन विभाग में 17.85 प्रतिशत की कटौती हुई है। इसी तरह से अन्य विभागों में कटौतियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोल लेने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, राजस्व विभाग में जिसमें दैवीय विपत्तियां आती हैं उसमें 22.44 प्रतिशत की कटौती हुई है। पी0डब्ल्यू0डी0 में 5.66 प्रतिशत की कटौती हुई है शिक्षा विभाग में राज्य शैक्षिक अनुसंधान विभाग में 10.88 प्रतिशत की कटौती हुई है। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति कल्याण में 2.75 प्रतिशत की कटौती हुई है। समाज कल्याण जनजाति कल्याण में 1.98 प्रतिशत की कटौती हुई है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल महोदय ने एक तरफ बताया कि 22 फीसदी की बजट में बढ़ोत्तरी हुई है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि इतनी-इतनी कटौती हो गयी है इन विभागों में तो इसका रहस्य क्या है यह बताने का कष्ट करें। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यही तो बजट की जादूगरी है।

(हंसी)

बजट का और यही तो मैं कहता हूं यही माननीय मुख्य मंत्री जी की काबिलियत है कि गरीबों को झुनझुना पकड़ा दिया, पूरे सदन के माननीय सदस्यों को गुमराह कर दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह कह रहा था कि इनकी समझ में अगर बजट आ गया हो तो मुझे भी बता दें और अगर इनकी समझ में नहीं आया हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी आपको समझा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अम्बिका जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और मामलों को घुमाने में माहिर हैं और मैं अपनी किताब कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूं जहां पर आपने कटौती मदवार किया। जो यह मदवार कटौती आपने किया है आपकी ही पुस्तक का यह आंकड़ा मैंने दिया और माननीय अध्यक्ष जी, इस तरीके से जब इतना लम्बा चौड़ा बजट का आकार था तो हम समझते हैं कि कल्याणकारी बजटों में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, कटौती नहीं होनी चाहिए थी तमाम मदवार विभागों में जो कटौती कर दी गयी यह नहीं होनी चाहिए थी और माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण पेज-3 लास्ट पैरा, माननीय नेता जी तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 1990-91 को बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं हम तो इसका स्वागत करते हैं लेकिन सही मायने में कहा कुछ है, कर कुछ रहे हैं। बख्शीश की राजनीति ही तो आप कर रहे हैं। लो लैपटॉप, लो टैबलेट, लो बेरोजगारी भत्ता यही बख्शीश है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें। अब हो गया, बैठिये।

माननीय नेता विरोधी दल भाषण की एक प्रक्रिया है असेम्बली में उसके कहने का एक तरीका है, इसको आप देख लें, हम आपको सुझाव दे सकते हैं।

मैंने उनको समझा दिया, अब बैठ जाइये। मनोज पाण्डेय आप रूलिंग पार्टी के आदमी हैं आप बैठिये, हम जानते हैं आप लोग क्यों बोलते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि नेता सदन जी बैठे हैं इसलिए कुछ नये सदस्य चेहरा दिखाते हैं ताकि उनका नम्बर लग जाय आगे।

श्री अध्यक्ष-

कितना समय और लेंगे माननीय नेता विरोधी दल।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है अभी तो मैंने कहा पेज-2, पेज-3 अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष-

और नेताओं को बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जल्दी क्या है ? हमारे और माननीय दलीय नेता और सदस्य कल बोल लेंगे। अभी 8 तारीख तक चर्चा चलनी है। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है हम उसका स्वागत करते लेकिन उसमें भी मान्यवर, बेरोजगारी भत्ते पर 1100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और इस 1100 करोड़ रुपये में

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इससे 9 लाख बेरोजगार आच्छादित होंगे और मान्यवर, अभी कल ही इण्टरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें लगभग 23 लाख छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। यह तो 23 लाख बच्चे इण्टरमीडिएट में पास हुए हैं। अभी हाई स्कूल का भी रिजल्ट आने वाला है उसमें भी लगभग 28 लाख बच्चे पास होंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह आगे पढ़ेंगे बेरोजगार थोड़े हो जायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मुख्य मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो जब बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप और टैबलेट का आपने घोषणा किया तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तमाम बेरोजगार नौजवानों ने सेवायोजन कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण कराया और हम समझते हैं कि सरकार बनने के बाद से ले करके अब तक जो पंजीयन हुआ, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है आंकड़ों की, लगभग 20 लाख नौजवान सेवायोजन में पंजीकृत हो चुके हैं। यह जो हाई स्कूल और इण्टर में पास हुए हैं यह उनसे कोई मतलब नहीं है। यह तो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत वह नौजवान है जो आपकी सरकार बनने के बाद जिनका पंजीयन हुआ। आपने केवल 9 लाख का ही लक्ष्य बनाया तो इसलिये हम यह कह रहे थे कि ठीक है आप अपनी प्राथमिकता को ही सुनिश्चित करते, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने में ही क्यों कंजूसी किया। इसको और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए था कम से कम वो नौजवान जिन्होंने आपको युवा मुख्य मंत्री बनाने का लालच लेकर आपको मुख्य मंत्री बनाया था आज वह निराश तो नहीं होता, हताश तो नहीं होता। उन नौजवानों के साथ आपने क्यों खिलवाड़ किया ? उनके लिये बजट बढ़ा देना चाहिए था। आपने इसमें भी दिलेरी नहीं दिखाई।

श्री अम्बिका चौधरी-

सहमत हैं न बेरोजगारी भत्ता से।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम तो सहमत और होते आपकी तारीफ करते जब आप इन बेरोजगारों के लिये कहीं न कहीं परमानेन्ट नौकरी की व्यवस्था करते ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाते।

श्री अम्बिका चौधरी-

देखिये सदन में यह जानना चाहिए कि आप इस बेरोजगारी भत्ता की इस नीति से सहमत हैं या इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी अपन-अपन का देय। सारे बेरोजगारों को तो आपने दर किनार कर दिया केवल कुछ लोगों को आपने आगे रख लिया और उसमें भी एक कहावत है नरको में ठेली ठेला। अब इस बेरोजगारी भत्ता में भी इन्होंने कह दिया कि नहीं 30 से 40 वाला बेरोजगार होगा। 30 से 40 वाला कौन आंकड़ा ? अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि वह सारे के सारे युवा जो हाई स्कूल

और इण्टर पास कर लिये उनको हम टैबलेट और लैपटाप देंगे और अब 40 साल तक वो नौकरी के लिये इंतजार करें। हमें खुशी होती युवा मुख्य मंत्री अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल करके यहां से लाखों लाख बेरोजगारों के लिये रोजगार का रास्ता खोलने का काम करते। उनको अपने पैरों पर खड़ा करते उनको नौकरी देते उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिये उनको तैयार करते। उनको टाफी देकर फुसलाने का काम नहीं करते। यह जो बेरोजगारी भत्ता है, जिस तरह से बच्चों को टाफी देकर फुसलाया जाता है उसी तरह से बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करके बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम गाना गाना नहीं जानते हैं लेकिन बच्चे गाना गाते हैं कि जो वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया है तो सारे बेरोजगारों को भत्ता देने की व्यवस्था कर देते। आपने जो वायदा किया उसको भी नहीं निभाया, उसमें भी आपने वायदा-खिलाफी की है। आपने अपने बजट के माध्यम से साबित किया कि जो आप कहे हैं वह भी नहीं करेंगे। मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लैपटाप टैबलेट के लिए प्राविधान किया है 2721.24 करोड़ रुपये का श्रीमन् 23 लाख इण्टर के बच्चे हो गये, 28 लाख के करीब हाई स्कूल के बच्चे हो जायेंगे। इसमें सब बच्चे समायोजित नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें भी कहीं न कहीं कोई शर्त लगनी है इसमें भी कहीं न कहीं कोई शर्त लगेगी कि कोई 80 फीसदी पाएगा तब दूंगा, 85 फीसदी पाएगा तब दूंगा और 87 फीसदी पाएगा तब दूंगा आपका जो एक दर्शन है कि गांव का गरीब भी...

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें। इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

(एक के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मुख्य मंत्री आपका चेहरा देख ले रहे हैं क्यों उतावले हो रहे हो।

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें। सुनना भी चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लैपटाप और टैबलेट भी युवा नौजवानों के लिए छलावा है धोखा है। ऊंट के मुंह में जीरा है जो किया भी गया है। इसका मतलब इसमें भी कहीं न कहीं शर्त लगाकर अपने वायदों को तोड़ेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जब आपने बजट प्राविधान किया तो उस बजट में कम से कम प्राविधान करने के पहले आप चूंकि अच्छे स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं तो हम समझते हैं कि

सामान्य लोगों से अच्छी सोच और मैथ भी होनी चाहिए। आंकड़ा तो आपने लगाया। 50-50 हजार के ऋण की माफी की घोषणा आपने किया लेकिन बजट में प्राविधान आपने कितना किया बजट में कितनी व्यवस्था किया 500.00 करोड़। अगर इस 500 करोड़ में, पचास-पचास हजार ज्यादा सीमा है, अगर एक किसान की 25 हजार की भी सीमा मान लिया जाए तो मात्र एक गांव से दो किसान, एक राजस्व गांव से दो किसान आच्छादित होते हैं। यहां सब किसान आच्छादित नहीं होंगे आपने ऋण माफी की घोषणा कर दिया, उससे आच्छादित होंगे एक गांव में दो आदमी। कर्जदार है 20-25 किसान, आच्छादित हो रहे हैं दो किसान, घोषणा करने के बाद वह बैंक में जमा करना भी बन्द कर दिये। आपके यहां से क्षतिपूर्ति के रूप में जाना है एक राजस्व गांव में दो, यह भी ऊंट के मुंह जीरा हो गया। इस प्रकार से मान्यवर किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने चुनावी वायदे में घोषणा किया था, निःशुल्क सिंचाई का लेकिन इस बजट पुस्तिका में निःशुल्क सिंचाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। घोषणा तो आपने किया था, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप अपनी ही घोषणा को इम्प्लीमेंट करिए, क्रियान्वित करिए। अपनी ही घोषणा को क्रियान्वित करने में कंजूसी क्यों ? अगर घोषणा की है तो कम से कम बजट में भी उसका प्राविधान होना चाहिए था। मान्यवर, इसी प्रकार से असाध्य रोग हेतु इलाज। यह व्यवस्था यद्यपि पहले भी थी लेकिन बी0पी0एल0 कार्डधारकों के लिए थी और मान्यवर, इस पर आपने बजट में व्यवस्था किया 25 करोड़। असाध्य रोगों में कैंसर रोग भी आता है, लीवर रोग भी आता है, हार्ट रोग भी आता है और इसके मरीज बहुत बड़े पैमाने पर हैं और इनके लिए 25 करोड़ का मतलब सूरज को दिया दिखाना। मान्यवर, इस 25 करोड़ को अगर जैसा कि हृदय का आपरेशन होता है, कैंसर का भी मरीज होता है, सब में पैसा बहुत ज्यादा लगता है लेकिन बजट में बहुत कम है।

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'')-

हृदय रोग असाध्य नहीं होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी, आपने जो असाध्य रोग की सूची दी है, उसमें कैंसर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हृदय रोग असाध्य नहीं है, जैसा कारागार मंत्री जी ने कहा है और हम तो माननीय मौर्या जी के हृदय परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इनका हृदय परिवर्तन होगा। आप ठीक से बजट को देखिये, आपका हृदय परिवर्तित हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जैसा कि हार्ट के आपरेशन में या कैंसर में या लीवर ट्रान्सप्लान्टेशन में कम से कम जो खर्चा आता है वह 2 लाख, 2.5 लाख और इस 25 करोड़ को अगर 2.5 लाख के हिसाब से बांटा जाता है तो एक हजार मरीज इससे लाभान्वित होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक हजार मरीज और मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं, सवा लाख कर देते हैं तो 2 हजार हो जायेगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर सदाशयता दिखानी ही है तो इसके लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मान्यवर, इसीलिए मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य

मंत्री ने बड़ी ही साफगोई से इस बजट भाषण के माध्यम से किसी को टाफी पकड़ा दिया, किसी को झुंझुना पकड़ा दिया, किसी को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया और इसे पूरा का पूरा मजाक बना दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, घोटाले की राशि में से जितनी राशि आयेगी, उतना फिर बाद में वृद्धि की जायेगी, सप्लीमेन्ट्री बजट में। घोटाले की राशि हम जितनी बरामद करेंगे, वह सप्लीमेन्ट्री में बढ़ा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता, आपके यहां भी एक से एक घोटालेबाज बैठे हुए हैं और मैं उसकी सूची यहां नहीं पढ़ना चाहता और साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने मौर्या जी का नाम लिया ही नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमने भी नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अपनी चर्चा जारी रखें, जल्दी खत्म करें। कुछ अपने माननीय सदस्यों के लिए भी छोड़ दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपका आदेश होता, हम बिल्कुल बोलते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, लेकिन आप खुद विचार करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

8 तारीख तक इस बजट पर चर्चा है, मान्यवर तो जल्दी क्या है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नई योजना चलाई, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, यद्यपि हमारी सरकार में भी यह महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के नाम से योजना संचालित थी। नाम परिवर्तित किया। यह भगवान गौतम बुद्ध की मां है, अगर महामाया को न जानते हो तो अपना ज्ञान वृद्धि कर लीजिए। मान्यवर, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। विश्व धर्म गुरू नायक महामानव गौतमबुद्ध, उनकी मां का नाम महामाया था। मैं जानता हूं हमारे तमाम साथियों को यह लगता था कि यह बहन कु0 मायावती जी के नाम पर योजना का नाम है। इसीलिए शोरगुल किया करते थे। इस योजना में इन्होंने 1111.85 करोड़ की व्यवस्था की है। इतना तो हम पिछली बार ही कर चुके हैं। चूंकि यह कल्याणकारी योजनायें हैं और अगर इससे गरीबों को मदद मिल रही है चाहे पहले की सरकारों ने इसको किया हो या वर्तमान की सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है तो हम बजट का स्वागत करते। मान्यवर, इसी प्रकार से जो हो रहा है आजादी के 63 सालों में कभी नहीं हुआ। 5 साल में भी किसी ने 50 हजार स्थानान्तरण नहीं किये होंगे। ढाई महीने में 50 हजार केवल पुलिस

कर्मी और सारे आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और पी0सी0एस और सबको मिलाकर यह 50 हजार का हेरफेर अभी कर दिये। स्थानान्तरण नीति के मुताबिक स्थानान्तरण होना चाहिए था। स्थानान्तरण को उद्योग नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से आज खिलवाड़ किया जा रहा है। आज कैसे स्थानान्तरण हो रहा है सब जानते हैं। हमारी सरकार में तो चार साल स्थानान्तरण हुआ ही नहीं। इसलिए मान्यवर, यह स्थानान्तरण उद्योग जो चल रहा है वह अच्छी तरह जानते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विकास दर वर्ष 2006-07 में 5.2, वर्ष 2007-08 में 7.9, वर्ष 2008-09 में थोड़ा घटा 7.4, वर्ष 2009-10 में 8.1, वर्ष 2010-11 में 8.3 और वर्ष 2011-12 का अभी अप्राप्य है। यानी लगातार विकास दर बढ़ती रही। इसीलिए जनता ने आपको उधर बिठा दिया। अब ढाई महीने में हाथ मल रही है, पश्चाताप करने लगी हैं। इसलिए वहां बैठने के बाद बहुत खुश मत होइये। हम भी इसी तरीके से खुश होते थे। जैसे आप खुश हैं। लेकिन आप भी इसी तरह की गलतफहमी का शिकार होकर इधर आओगे, फिर उत्तर प्रदेश की जनता जो आज पश्चाताप कर रही है, फिर हमको वहां बैठायेगी। आने वाले वक्त में यह समय बतायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आप बोलिये लेकिन जरा जल्दी बोलिये।

*श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, एक बात कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का इतना अच्छा भाषण वह भी एकदम तनावरहित हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अब थोड़ा कुछ कम करिये और लोगों को बुलवा दें। फिर बाद में जब माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो फिर आपको एक बार अवसर मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, दूसरी बार माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट तो एक साल बाद आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको एक बात और बता दूं, यह जो प्रश्न आप रख रहे हैं, अबकी बार ऐसा नहीं है, अबकी बार समय दिया जा रहा है कटौती का, कटौती के प्रस्ताव आयेंगे तो जो आप यह बजट आंकड़े रख रहे हैं, कटौती के प्रस्ताव पर तमाम मा0 सदस्य यह आंकड़े रखेंगे ही कि इतना कम हुआ, इतना ज्यादा हुआ तो थोड़ा संक्षेप में कर के जो आपकी नीतियों में है उस पर बोलिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

लेकिन मान्यवर, अबकी यह मा0 नेता सदन को भी सुनेंगे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

सुनेंगे, अब इन्हें बोलने दीजिए। जल्दी खत्म करें, मा0 कलराज जी बैठे हैं, बहुत देर से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सुनेंगे, सुन करके ही जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा हमें मिला टुकड़ों में बंटा हुआ समाज। मान्यवर, हमने तो समाज को जोड़ा और बसपा ने समाज को जोड़ने के लिए भाई-चारा कमेटियां तक बना डाली और मान्यवर, सभी समाज को एक धागे से पिरोने का काम हमारी पार्टी ने किया था, हमारी सरकार ने किया। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के दर्शन पर हमने सब समाज को साथ ले चलने का काम किया और उसका सबसे जीता-जागता नमूना है, हमारी चार बार सरकार रही, चारों बार की सरकार में एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, एक भी जातीय हिंसा नहीं हुई, जो सबसे बड़ा प्रमाण है समाज में भाई-चारे का।

श्री अम्बिका चौधरी-

सम्भल में क्या हुआ था, बहराइच में आपके समय में क्या हुआ था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यहां तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गये। अभी सरकार बनाये हुए ढाई महीने ही हुए हैं और ढाई महीने में ही कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। हमारी सरकार में जहां भी लोगों ने दंगा कराने की कोशिश की, हमने बिना विलम्ब किये उन तमाम साम्प्रदायिक शक्तियों पर नकेल लगाया, कार्यवाही किया और कहीं भी दंगा हमने भड़कने नहीं दिया, दंगा होने नहीं दिया, दंगाइयों ने जो कोशिश की दंगा कराने के लिए हमने तुरन्त बिना समय गंवाए उन पर कार्यवाही करके उनको दबोचने का काम किया, कानून के शिकंजे में कसने का काम किया और यही कारण है कि हमारे चारों बार की सरकार में एक भी हिन्दू-मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। मान्यवर, हमने इस भाई-चारा के माध्यम से सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम और सभी समाज के लोगों को हमने सत्ता शासन में समान भागीदारी भी देने का काम किया। यहां बहुत से बहुसंख्यक समाज आज सत्ता-शासन में हिस्सेदार बनने से वंचित रह गये, लेकिन जिसे समाज में कभी कोई नहीं पूछता था, जिसको लोग प्रधान भी गंवारा नहीं समझते थे, ऐसे लोगों को भी सत्ता-शासन का साझीदार बना करके उनको उस मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर दिया गया, सम्मान, स्वाभिमान से जिन्दगी जीने का अवसर मुहैया कराया गया और मान्यवर, सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों जब हम सत्ता में थे, मान्यवर, उस समय अयोध्या प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच ने 30 सितम्बर, 2010 को एक फैसला आना था, देश के तमाम प्रदेशों में बन्द हो गया था, भावी आशंका को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने भी एलर्ट जारी किया, तमाम प्रदेशों में उस दिन बन्द हो गये, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनजीवन सामान्य रहा और मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद भी हमारी सरकार ने इतनी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था की कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चिड़िया चूं तक नहीं किया। जन सामान्य रहा, कानून का राज रहा। कोई भी अमन चैन से खिलवाड़ करने की जुर्रत नहीं किया। ये था कानून का राज, अमन चैन, भाईचारा, हिन्दू मुस्लिम का सौहार्द। चाहे हिन्दू रहे हों। चाहे मुसलमान रहे हों, सभी समाज के लोगों में नजदीकियां बढ़ीं और मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रदेश और देश की तरक्की तभी होगी जब सभी समाज के लोग मिल कर चलेंगे। जब हम समाज को टुकड़ों में बांटेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम कहीं न कहीं विकास के साथ खिलवाड़ करेंगे, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिये समाज को जोड़ करके चलने का कार्य केवल हम ही को नहीं सबको करना चाहिये। जितनी भी

राजनीतिक पार्टियां हैं जब तक सारे समाज को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम कहते हैं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं बढ़ पायेंगे। मान्यवर, आप भी पहले सरकार में रहे हैं, एक बार नहीं आप भी शायद चौथी बार सरकार में है। वो दिन भी हमने दिखा है सरकार थी समाजवादी पार्टी की, परिन्दा पर नहीं मारने पायेगा लेकिन ढहा दिया गया बाबरी मस्जिद का ढांचा।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा उत्पन्न शोर की स्थिति में)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

गुम्बद, गुम्बद, गुम्बद गिराया गया था, गुम्बद गिराया गया था सही बात है और मान्यवर, इतना बड़ा हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं भी, कोई भी शोर-ओ-गुल नहीं, कोई भी कहीं बहस नहीं। मान्यवर, ये जो हमने भाई चारा बनाया, मैंने केवल उसका एक उदाहरण बताया। आप कह रहे हैं कि संक्षेप में। मान्यवर, मैं इस बात को आगे विस्तार नहीं देना चाहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप पूरे प्रदेश में यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मैं बड़ी, तू बड़ी का मुद्दा नहीं है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम आपकी कहीं किसी कमी को इंगित करते हैं तो इंगित करने का मकसद यह नहीं कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इंगित करने का मसकद है कि हम इस सारे मामले को सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और समय रहते सरकार अगर सावधान नहीं होगी तो अभी केवल एक कोसी कला, मथुरा की घटना हुयी है इसीलिए सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए। जो आज पूरे प्रदेश में अराजकता है, जंगल राज है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको स्वीकार करने में बिना राजनैतिक द्वेष भाव के हम समझते हैं कि गुरेज नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी सरकारें रही हैं और जब उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ऊपर जा रही है तो यह समस्या स्वाभाविक रूप से रहेगी भी लेकिन सरकार को मूक बन करके तमाशबीन की तरह नहीं रहना है। कोई भी चुनौती आती है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर जंगल राज है तो कानून राज लाने की आवश्यकता है। अगर आज प्रदेश में अराजकता है तो आज उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज बड़े पैमाने पर मार काट हो रही है। आज बड़े पैमाने पर हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के जनपद में ही एक ही दिन में एक ही घर में 6 लोगों की हत्या हो गयी, बगल में औरैया में एक ही दिन में 3 लोगों की हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

बातें दोहराइये नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिये मान्यवर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आज मा0 मुख्य मंत्री जी, उम्मीद से ज्यादा बहुमत से लेकर के आये हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षायें भी ज्यादा हैं। स्वाभाविक रूप से आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गयी हैं और स्वाभाविक रूप से आज प्रदेश में अमन चैन कायम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष-

क्या अभी और कुछ भी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं इसको नहीं लूंगा, आप कह रहे हैं तो इसको नहीं लूंगा। चूंकि कभी-कभी हमारे मा0 सदस्य कहते हैं कि बिना तारीख और आंकड़ों के दे रहे हैं, हवा में बता रहे हैं तो इसलिए मैं अपनी तैयारी करके रखता हूं मैं कोई चीज तथ्यहीन नहीं रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब खत्म करिए, बहुत हो गया। कोई भी बिन्दु तो आपने छोड़ा नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज जो ये बड़ी-बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कहीं थाने में घुस करके पुलिस की पिटाई, कहीं अधिकारियों की पिटाई, कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा नोट उड़ाया जाना और कहीं घोड़ा दौड़ाया जाना, कहीं शूटिंग करने के लिए कसरत किया जाना। अभी कल ही मुरादाबाद के बिलारी में एक घटना घटी, जहां हमारे एक विधायक के भाई ने एक ब्लाक प्रमुख पर मारपीट किया, गोली चला दी। (सत्ता पक्ष की तरफ से [x x x] है, शब्द बोले गये) और इसी तरीके से अभी मुरादाबाद में इसी सदन के मेम्बर थे, इसी सदन में पिछल बार मेम्बर थे, उनकी पोती के साथ सामूहिक दुराचार हुआ (सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी [x x x] है कि शब्द बोले गये) तो उसने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लिया। [x x x]

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा नेता विरोधी दल का खड़े होकर विरोध करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर प्रदेश की किसी भी बहन-बेटी के साथ इस प्रकार का वाकया होता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

यह जो आप बोले हैं, इसको निकाल दिया जाएगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा कि [x x x] यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा। (कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास किये जाने के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये, बैठ जाइए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं।

(व्यवधान के मध्य)

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सबकी अपनी सीमाएं हैं और मा0 नेता विरोधी दल यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पद का और उनके एक सीनियर सदस्य होने की क्या गरिमा है और वह मंत्री भी रहे हैं, उसका हमने हमेशा सम्मान रखा और आज भी जब नेता सदन नहीं थे, तो मैंने अपने एक साथी को भेजा था कि नेता सदन को लेकर आए लेकिन जैसे ही आप बोलने के लिए खड़े हुए मैंने इशारा किया कि आप तशरीफ रखिए और मैं स्वयं गया और नेता सदन को लेकर आया और यह उम्मीद भी हम नहीं करते थे कि आप भावुकता में अपनी हदों से इतना आगे निकल जाएं जहां से शायद वापसी मुमकिन न हो। मैं यह मानता हूं कि आपने जो कुछ कहा है उसमें आपकी वह नीयत नहीं होगी और अगर आपकी यह नीयत नहीं है ऐसा कह देंगे तो इन मा0 सदस्यों को, जिन्हें आपके इस जुमले से बहुत कष्ट हुआ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरी नीयत यह नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। उसमें कहा कि आप और हम उसमें हम अपने को भी शामिल किये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने केवल यह कहा कि....

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज जरा रुक जाइए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सुन लीजिए, मान्यवर, मैंने केवल यह कहा कि अगर किसी भी बहन-बेटी के साथ कोई भी इस प्रकार की घटना होती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान की स्थिति)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप समझ रहे हैं, आप पूरी बात सुनो, अगर मेरी किसी बात से किसी को दुःख पहुंचा हो तो अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूं। बात हमारी यह कहने की नहीं है कि अगर किसी बहन-बेटी के साथ दुराचार, बलात्कार होता है, वह बहन, बेटी किसी की हो, वह हमारी हो या इनकी हो या किसी की भी हो, उस बहन-बेटी की इज्जत, बहन-बेटी की इज्जत होती है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइए। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे। आप बैठ जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह शब्दों की यहां कोई अंताक्षरी नहीं हो रही है। यहां शब्दों की कोई नुमाइश नहीं हो रही है, जो कुछ आपने बोला है, वह कार्यवाही में मौजूद है। आपने यह कहा है कि जिस दिन [x x x] । यह कार्यवाही में मौजूद हैं और पूरा सदन इन शब्दों का गवाह है। सारे नेतागण यहां बैठे हैं। ये जुमला आपत्तिजनक है, निन्दनीय है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो उसे निकाल दिया जाए मा0 अध्यक्ष जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

केवल निकाल देना ही काफी नहीं है। 5 बरस का तानाशाही का जो जोश है और तानाशाही का जो नशा है, वह उतरा नहीं है। इतने गन्दे शब्दों के लिये हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपने शब्दों के लिये क्षमा चाहेंगे और पूरे सदन से माफी मांगेंगे। क्योंकि यह अपमान किसी सदस्य का नहीं है। बल्कि यह अपमान हर उस बहन और हर उस बेटी का है जिसके बाप और भाई यहां बैठे हैं। क्योंकि इंगित करके कहा गया है आपकी। यह आम बात नहीं है आपकी बहन बेटी, इन शब्दों के लिये यहां कोई जगह नहीं है, पूरे समाज में कोई जगह नहीं है लिहाजा जब तक नेता प्रतिपक्ष इन शब्दों के लिये क्षमा नहीं मांगते पूरे सदन से, मैं समझता हूं कि कार्यवाही आगे नहीं बढ़नी चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश में किसी भी लड़की के साथ बलात्कार को यह लोग इस तरह से मजाक और हवा में उड़ायेंगे तो मैंने उस शब्द पर जो भी कहा था वह सही कहा था, मैं उसको वापस नहीं लूंगा। सदन की कार्यवाही चले या न चले यह जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है और जिस तरीके से बचकानी हरकत की जा रही है इस तमाम गम्भीर प्रकरण को हवा में उड़ाया जा रहा है। मजाक बनाया जा रहा है जिस तरीके से माननीय सदस्य संख्या बल के बूते पर सही बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष-

अब आप शान्त रहें जो आप बोले हैं उसको मैं कार्यवाही से तो निकाल ही दूंगा वह तो रहेगा नहीं लेकिन आपको भी थोड़ा गम्भीर होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जब यह सदन में व्यवस्था अगर आप दें तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं किसी घटना को तारीखवार बता रहा हूं कि फलां लड़की से बलात्कार झूठ है। फलां लड़की से बलात्कार झूठ है। यह क्या है।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये अगर यह कोई बोलता है तो उसके मायने यह नहीं है कि आप ऐसी बात बोलें जिससे सबको ठेस पहुंचे।

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं अगर कहीं कोई आपत्ति है तो आप खुद खड़े हो सकते हैं। मैं बैठ जाऊंगा लेकिन संख्या बल के बूते पर विपक्ष की आवाज अगर दबाई जायेगी तो हम इस धमकी में आने वाले नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कोई आपको दबा नहीं रहा है लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप भी मेरी बात सुन लीजिए। आप नेता विरोधी दल है और पूरे सदन के विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको भी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिये। आपकी एक गरिमा है अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो किसी को ठेस पहुंचेगी, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कुछ कहा है लफ्ज-ब-लफ्ज सब सही है, इस जुमले के अलावा। आपने जो पीड़ा व्यक्त की है वह हमारी पीड़ा भी है। किसी के साथ बलात्कार हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे न्याय मिलना चाहिये हम इसके पक्ष में हैं। आप भी इसके पक्ष में है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि इन बैठे हुये बहन बेटियों के साथ होगा, तब अहसास होगा, मात्र इतने जुमले के लिये, यह कार्यवाही में मौजूद है, क्या आप इस जुमले को सही समझते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैंनें कह दिया है कि अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मेरा आशय यह था जब मैंनें दो घटना को बताया और उधर से आवाज आई झूठ है तो मैनें कहा कि आप समझते हो कि जब आपकी बहन बेटी के साथ होगा, तब सही मानोगे और जो कहा, मैं उस पर कायम हूं। हमें किसी माननीय सदस्य को चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब संख्या बल के बूते पर दबाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कोई आपको दबा नहीं रहा है। कोई उत्तेजित नहीं कर रहा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस सदन की सभ्यता और असभ्यता की भी सीमायें हैं और इस सदन को अपने कल के साथ चलना है और कल तक के लिये चलना है अगर नेता प्रतिपक्ष अपने उस जुमले कि लिए सदन से क्षमा नहीं चाहते तो हमारी मजबूरी होगी कि नेता प्रतिपक्ष के इस जुमले के लिए निन्दा प्रस्ताव लाया जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत दुःखद क्षण है इस सदन के लिए, हम एक ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हैं जो शर्मनाक है, दुःखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी-कभी आशय नहीं होता है लेकिन निकल जाता है। वह आदमी बड़ा हो जाता है जो अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त

करता है। नेता विरोधी दल का पद इतना गरिमायुक्त पद है, आप यहां सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं बल्कि इस सम्पूर्ण सदन की गरिमा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह तो आप दोनों के बीच में जो बात हो रही है वह हो रही है मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसे चाहेगी, लोक दल भी इसे चाहेगा और कांग्रेस भी इसे चाहेगी, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की गरिमा से बड़ा कुछ नहीं होता। आप बड़े बन जायेंगे यदि आज आप यह कह देंगे, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस सदन की गरिमा के लिए अपील करता हूं, आपसे पूरी भावुकता के साथ अपील करता हूं, कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, आप सिर्फ इतना कह दें कि अगर भावनाओं को चोट पहुंची है तो हम खेद व्यक्त करते हैं ऐसा कहने का मेरा आशय नहीं था। मौर्या जी आप बड़े बन जायेंगे और अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो मुझे बहुत पीड़ा और दुःख होगा और मुझे बहुत ही इस बात की पीड़ा हुई कि मैं इस बात को सुन रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने से पहले ही कह दिया कि यदि मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा पहुंची है तो मैं उसे वापस लेता हूं। मान्यवर, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं था, ये लोग एक गम्भीर मामले को हल्का बनाने जा रहे थे, मामले की गम्भीरता बनी रहे इसीलिए मैंने यह बात कही, अगर किसी के मन को मेरे शब्दों से पीड़ा पहुंची हो, चोट पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि कार्यवाही से भी उसे निकाल दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मौर्या जी, आप इस बात को कह दो कि अगर किसी को पीड़ा हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, कभी-कभी आवेश में आकर बात निकल भी जाती है बात पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है। हमारा सबका दायित्व यही बनता है कि अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो उस पर खेद व्यक्त करने में हमारी शान ही बढ़ती है, हम कमजोर नहीं होते हैं। मौर्या जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं लेकिन जब ऐसी बात आई तो सभी सदस्यों की भावना को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। यह केवल पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है बल्कि यह सदन की भावना है, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप छोटे नहीं होंगे आपका पद बहुत बड़ा है आप विपक्ष के नेता कहलाते हैं, एक बात निकल गई जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, आवेश में निकल गई, इस पर खेद व्यक्त कर दें तो सदन की गरिमा के लिए यह अच्छा रहेगा, यह मेरा आग्रह है।

*श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं तिवारी जी की और मा0 हुकुम सिंह जी की बात से सहमत हूं, मेरी भी एक उम्र है, पूरे सदन की गरिमा का जहां तक सवाल है तो मौर्या जी आपका बड़प्पन ही होगा, इसमें कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप खास बात नहीं कह रहे हैं, यदि आप खेद व्यक्त कर दें तो अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा, यह बहुत बड़प्पन की बात है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, वापस लेना और खेद व्यक्त करना दो शब्द हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वापस लेना और खेद व्यक्त करना, इसमें कोई अन्तर नहीं है और मैंने अपने शब्दों को वापस ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

खेद व्यक्त करने में क्या दिक्कत है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वापस लेना और खेद व्यक्त करना, दोनों एक ही चीज हैं और मैं उसको कह चुका हूं, मतलब लड़कियों का थाने में बलात्कार हो।

श्री अध्यक्ष-

देखिये मौर्या जी इस विषय को खत्म करना है, जब आपने वापस लेने को कह दिया तो खेद व्यक्त करने में क्या दिक्कत है, कह दीजिए कि खेद व्यक्त करता हूं बात खत्म हो जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि चूंकि हमारा मकसद किसी माननीय सदस्य का दिल दुखाना नहीं था, न किसी माननीय सदस्य को चोट पहुंचाना था। जिस तरीके से गम्भीर मामले को हल्का बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके प्रतिकार में मैंने वह शब्द कहे थे, यदि उससे किसी को चोट पहुंची हो तो मैं वह शब्द वापस लेता हूं और अगर खेद व्यक्त करने से ही हमारे माननीय सदस्यों को खुशी होती है तो मैं उस पर खेद भी व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, बैठ जाइये। फिर अगली बार बोल लेना, अभी आपको विभागीय बजट पर मौका मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि संख्या बल के बूते पर मा0 मुख्य मंत्री जी, अगर सही बात को भी संख्या बल के बलबूते पर नकारने की बात होगी तो हम समझते हैं कि विपक्ष का कोई बात रखना यहां औचित्यपूर्ण नहीं होगा। जिस तरीके से सही घटनाक्रम को भी संख्या बल के बूते पर नकारने की कोशिश की जा रही है, यह सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा,

लेकिन आने वाला वक्त कहीं न कहीं इस बात का गवाह बनेगा जो तमाम ऐसे चाटुकारों के माध्यम से बातों को झुठलाया जा रहा है। इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मेरा केवल आशय यही था कि आज बजट भाषण पर जो कुछ मैंने कहा है, जो कहीं कमियां थीं, उसको मैंने इंगित किया है। आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में जो कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। मैंने संक्षेप में एक-एक घटना का हवाला दिया। घटनायें तो बहुत हैं।.....

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी अब समाप्त करिये, अब लिख कर भेज दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

घटनायें तो बहुत हैं कि कहां-कहां पर पुलिस के लोग पीटे गये, कहां पर अधिकारी पीटा गया, कहां पर बलात्कार हुआ, कहां पर छिनैती हुई, कहां पर डकैती हुई, सारे विवरण हैं, मैं इसको रखूंगा नहीं लेकिन मान्यवर, यहां मेरे कहने का मतलब केवल इतना रहता है कि सरकार इन घटनाओं का संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाई करे, कानून-व्यवस्था को इतना चुस्त-दुरूस्त करे कि इस [x x x] पर अंकुश लगे। जब कानून का राज होगा तो अमनचैन होगा, विकास की भी बात आगे बढ़ेगी और सभी समाज के लोगों में सरकार के प्रति जो उनकी चाहत है, उस चाहत के अनुसार, उनकी अपेक्षायें भी पूरी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, चूंकि यह बजट भाषण जैसाकि मैंने कहा यह केवल लालीपाप है, बच्चों को लालीपाप देकर फुसलाया गया है, नौजवानों को ठगा गया है और यह केवल बाजीगरी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, मा0 कलराज मिश्र जी को बोलना है।

(श्री मो0 इरफान के खड़े होने पर)

इरफान जी बैठ जाइये, फिर आप गरमाने लगे। बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

हमारे दल की ओर से हमारे सम्मानित नेता मा0 कलराज मिश्र जी विषय को रखेंगे। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात रखकर समाप्त करूंगा।

मान्यवर, जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी वेदना से ही बजट भाषण शुरू किया। प्रथम पेज पर लिखा है कि ''इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थापित हुआ।'' बिल्कुल सहमत हूं इनकी भावना से, लेकिन आगे इतना चाहता हूं कि जो भी लूट-खसोट, उत्पीड़न यह हुआ, इस ढ़ाई महीने में इसको आगे बढ़ाया गया या पीछे हटाया गया, इतना और देख लें। मान्यवर, आगे भी आपकी बहुत ज्यादा पीड़ा है, उस पर भी ध्यान दिलाना चाहते हैं, पेज-2 पर लिखते हैं कि 'हमें जर्जर

नोटः--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अर्थव्यवस्था, टुकड़ों में बंटा समाज,' पीड़ा होनी चाहिए कि समाज टुकड़ों में न बंटे, लेकिन समाज को हमने आगे टुकड़ों में बांटने का काम किया या जोड़ने का काम किया। केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। छोटा सा गांव है उस गांव में मान्यवर, एक अहमद बख्श नाम के व्यक्ति रहते हैं दूसरे रामजी लाल के नाम के, दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं मजदूरी करते हैं सौ दो सौ रुपए कमाकर लाते हैं उससे बच्चों का गुजारा करते हैं। दोनों की बेटियों हैं बहुत खुशी-खुशी रह रहे हैं सामन्जस्य है पूरा हम अहमद पक्ष की बेटी को 30 हजार रुपए देते हैं और रामजी लाल की बेटी को वंचित रखते हैं। तो यह समाज को बांटने की बात है या जोड़ने की। इस पर ध्यान दीजिए कि हमने बांटने के काम को आगे बढ़ाया है या पीछे हटाया है। बिजली ऐसा विषय है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर बहस हो चुकी है आप भी हिस्सा लिए हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्ष 2008 से 2012 के बजट का कोई अध्ययन कर लें और जितने हजार करोड़ की व्यवस्था इस पर हर सरकार ने की है अगर कोई छात्र इसका अध्ययन करेगा तो उसको पी0एच0डी0 मिल जाएगी। हर वर्ष जो वित्त मंत्री खड़ा हुआ 10 हजार 20 हजार करोड़ की व्यवस्था की करते-करते बजट लाखों करोड़ तक पहुंच गया पर विद्युत कहां गई। जहां थी वहां भी नहीं रही।

श्री अध्यक्ष-

अब कलराज मिश्र जी को बोलने दें।

श्री हुकुम सिंह-

अब आप जब इतने इशारे कर देंगे तो कोई आदमी बोल सकता है क्या। जब मैं खड़ा होता हूं तभी यह होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। माननीय कलराज जी को बोलना है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं माननीय कलराज जी के सम्मान में ही खड़ा हुआ था इस बजट का मैं परिचय करा दूं। इसलिए कुछ कह रहा था आगे श्री कलराज जी ही बोलेंगे। दिक्कत आपकी भी है मैं ऐसी बात रखना चाह रहा था आप नहीं चाहते कि मैं रखूं।

श्री अध्यक्ष-

रख दीजिए। लेकिन आप रख देंगे तो माननीय कलराज जी के लिए बाकी क्या बचेगा।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें इतना कुछ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष दो घण्टे बोलने के बाद भी अपना विषय नहीं रख पाए। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं मैं अपना समय उन्हीं को देता हूं। मेरे पास जो

2008 से फीगर्स है 10 हजार करोड़ का प्रस्ताव किया गया 9 हजार करोड़ का प्रस्ताव किया गया आपने उसे बढ़ाकर किया और करते-करते यह आ गया कि मैं पूंछ रहा हूं कि बिजली तो है नहीं यह पैंसे गए कहां। कहीं न कहीं इसका भी संदर्भ देना पड़ेगा। मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने दो और दो चार पढ़ा है। मैं कम्प्यूटर वाला नहीं रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी कम्प्यूटर वाले हैं कैलकुलेटर वाले हैं जो आप फीगर्स दे रहे थे और सारे बजट भाषण में जो आपने फीगर्स दिए हैं। उसके बाद मैंने सहायता ली कैलकुलेटर पर जुड़वाया आपने दो लाख 65 हजार करोड़ का बजट बताया लेकिन जोड़ने पर 3 लाख 72 हजार करोड़ हुए। जो हर मद में आपने प्राविधान किया है उस प्राविधान को जोड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने कहा कि बोलने की जरूरत नहीं है। 3 लाख 72 हजार का जोड़ मेरे हिसाब से आया है मैं तो ब्लैक बोर्ड वाला हूं माननीय मुख्य मंत्री जी कैलकुलेटर वाले कम्प्यूटर वाले हैं इन्होंने कहा कि 2 लाख 65 हजार करोड़ का बजट हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है लेकिन वास्तव में आपने जिन मदों में प्राविधान किया है वह 3 लाख 72 हजार का बैठता है। आप जाकर फिर देख लीजिए कि कम्प्यूटर ठीक है या खराब है। कहीं ऐसा न हों वही कम्प्यूटर बच्चों को मिल जाएं।

*श्री कलराज मिश्र-

आदरणीय अध्यक्ष जी, 16 वीं विधान सभा का और 12 वीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय वर्ष के प्रथम वर्ष का यह बजट हमारे युवा मुख्य मंत्री श्री अखिलेश जी ने पहली बार रखा है। मैं भी पहली बार विधान सभा में आया हूं इसलिए मुझे पहली बार इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। आपने अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है इसने कई प्रधान मंत्री दिए लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा प्रदेश रह गया। विकसित प्रदेश के रूप में नहीं आ पाया। अभी भी विकसित प्रदेश के रूप में नहीं आ पाया। विकासशील प्रदेश के रूप में ही है। मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही कहा है जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण यह त्रस्त प्रदेश था वहीं यह भी कहा कि पिछड़े, दलित वंचित और गरीबी रेखा के नीचे जिन्दगी व्यतीत करने वाले लोग ऐसे सब लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट आए। इसके लिए हम यह बजट रख रहे हैं। 21 करोड़ जनता का हमें ख्याल रखना है इस बजट के माध्यम से। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस प्रदेश को संवारें यह हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जो वित्तीय देनदारियां हैं उसको आपको देखना होगा कि उनकी पूर्ति कैसे होगी। यहां केवल आलोचना-प्रत्यालोचना की बात नहीं है यह ठीक है कि हम विपक्ष में हैं तो अपनी बात कहेंगे। यह देखने की बात होगी कि जो बजट है जो इसमें धनराशियां हैं उसका सही ढंग से सदुप्रयोग हो रहा है या नहीं। मान्यवर, हमारा जो केन्द्र बिन्दु है वह आम गरीब आदमी है। वह पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाला गरीब आदमी है उसको ध्यान में रखकर उसके अनुरूप हम अपनी योजनायें बना रहे हैं या नहीं यह देखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन योजनाओं का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन हो पा रहा है या नहीं। जो उसके क्रियान्वयन के मार्ग में बाधा हैं उनको हम दूर कर रहें हैं या नहीं। जो लापरवाही कर रहे हैं उनको हम दंडित कर रहे हैं या नहीं। मान्यवर, क्योंकि बजट के आधार पर उसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के आधार पर ही हम आर्थिक विकास की ओर अग्रसर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं। मान्यवर, जो बजट यहां पर आया है उसको मैंने पूरा पढ़ा है। इसको देखने से लगता है माननीय मुख्य मंत्री जी कि आपकी मानसिकता कार्य करने की है लेकिन उसके लिये धन कहां से आयेगा। इसमें 3 लाख 72 हजार करोड़ का बजट प्रावधान है और घाटा है 57 हजार करोड़ रुपये का। मान्यवर, 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी की बात आयी है वह कर राजस्व के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। इसमें बहुत से विभाग आपकी आय के स्रोत हैं। इसको प्रभावी ढंग से कैसे सरकार प्राप्त करती है यह शासन पर निर्भर करता है। आपके आबकारी, सेल टैक्स और दूसरे विभाग हैं जो कर के रूप में बहुत सारा राजस्व इकट्ठा करते हैं। आपने इसमें 2.59 प्रतिशत राजस्व घाटे की बात कही है परन्तु हमने जो अनुमान लगाया है वह साढ़े छह प्रतिशत है। आपका जो राजस्व घाटा है वह राजस्व घाटे के आधार पर आपकी 22 फीसदी की आय है। जो 22 प्रतिशत की आय प्रस्तावित है वह अनिश्चित है। इसको किस ढंग से पूरा कर सकेंगे यह विचार का विषय है। यह पंचवर्षीय योजना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष, केन्द्र सरकार उसमें आपको कितना देगी इसका आपको अनुभव होगा। आप वहां पर सांसद भी रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष की पार्टी की पिछली बार सरकार थी उनको अनुभव हुआ होगा।

हम लोगों को भी अनुभव है कि कितना प्राप्त हो पाता है केन्द्र से, वह समय से प्राप्त होता है या नहीं। अगर समय से प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसके लिए आपके पास क्या कोई कंटीजेंसी प्लान है जिससे आप उसकी पूर्ति कर सकें। अगर वह नहीं है परिकल्पना और केन्द्र से पैसा समय पर नहीं आता है तो कैसे फिर सब काम होगा। उसकी कैसे व्यवस्था होगी। आपने बेरोजगारों को भत्ता देने का एलान किया है अच्छी बात है। हमने अपने घोषणा-पत्र में भी इसका एलान किया था। करीब इसमें 11 सौ करोड़ रुपये की बात आयी है करीब 9 लाख लोगों को देने की बात है। लेकिन आज बेरोजगारों की वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा है। आप उसको कैसे पूरा करेंगे कहां से धन आयेगा फिर उनके लिए रोजगार का सृजन कैसे होगा। रोजगार सृजन के बारे में पूरे बजट में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। आपने अपने बजट में चार लेन की सड़कों को बनाने की बात कही है। यह अच्छी बात है कि आप इन्हें बनायेंगे। हमने भी जब मैं यहां मंत्री था तो हमने एक सड़क नीति बनाई थी। सड़क नीति इससे पहले नहीं बनी थी, माननीय तिवारी जी को पता है, सभी को पता है। मैंने सड़क नीति बनाई और कई प्रदेशों का बाकायदा ले करके और बड़ा विस्तार से और बड़ी अच्छी सड़क नीति बनाई थी उसी के आधार पर दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वह तो केन्द्र की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह केन्द्र की थी अभी जो 4 लेन का तय किया है उसको हम कहां तक ले जायेंगे, कैसे ले जायेंगे ? उसका धन कहां से आयेगा यह थोड़ा सा प्रश्न वाचक चिन्ह है ? उसमें आपने संकेत किया है थोड़ा सा आगे जा करके कि पी0पी0पी0 माडल पर हम लायेंगे यह पी0पी0पी0 माडल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप माडल। अब पी0पी0पी0 माडल पर पिछली सरकार ने भी दो योजनाएं चलाईं, दोनों योजनाओं पर आपकी जांच चल रही है आपको पता है, वह दोनों योजनाएं जांच के घेरे में है। यानि वह पैसा घोटाले में चला गया और दोनों योजनाएं जांच के घेरे में हैं। कहीं भट्ठा परसौल और दादरी वाली स्थिति न पैदा हो जाय। इस पर बड़ा विचार का विषय है और उस पी0पी0पी0 के अन्तर्गत पूंजी निवेश करने वाला है उसके मानक क्या हैं, कौन सा करेंगे या उसकी फिजिबिलिटी अगर हम सुनिश्चित कर देंगे तो उसके लिए भी पैसा कहां है ? उसका भी कहीं प्राविधान

नहीं किया गया है। हम यह चाहेंगे कि इसके बारे में भी अगर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और इस प्रदेश का आधारभूत ढांचा प्रभावी तौर पर विकसित हो जाता तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश नहीं होता अब वह आधारभूत ढांचा कैसे विकसित हो ? मुख्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि हमें विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटाप आधुनिक समय में देना आवश्यक है। हम लोग 8-9 वर्ष पहले कहा करते थे कि जिसको कम्प्यूटर जानना नहीं आयेगा वह निरक्षर कहा जायेगा और सचमुच आज हम लोग निरक्षर जैसे रहते हैं। नहीं जानकारी है जबकि छोटे-छोटे बच्चे जानते हैं। ठीक है, मिलना चाहिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलने के बाद फिर उनकी व्यवस्था कैसे होगी गांव में रहने वाला, विद्यालय में पढ़ने वाला वह छात्र, वह लिया हुआ है, लेकिन कैसे करेगा, बिजली भी नहीं है तो उसका वह भी आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत आ जाता है। विद्युत भी आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत आती है। यह सारी बातें हैं लेकिन सारी जानकारी के बाद उसका समायोजन कैसे होगा। फिर डिग्री कालेज में पढ़ने वाले जो लोग हैं जो कम्प्यूटर और सारी चीजें जान रहे हैं उनका समायोजन कहां होगा बजट इस पर मौन है। यही बात आपने अपने भाषण में कहा था कि हम इसको आई0टी0 हब बनायेंगे। आई0टी0 हब बनाने की बात कहां है, आई0टी0 हब बनायेंगे कैसे इसका बजट भाषण में कहीं जिक्र नहीं है कि उसके लिए कितने का प्राविधान किस दिन से किया है। इसका उल्लेख नहीं है तो कैसे बनेगा इसलिए लगता है कि इसको फिर से गम्भीरतापूर्वक बजट को जो प्राविधानित किया है उसके अन्दर जो सारी चीज दी है आय का स्रोत कैसे हम निर्माण करेंगे और इन सारी चीजों पर कैसे खर्च करेंगे इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

चिकित्सा की दृष्टि से भी बातें कही गयी हैं और कहा गया है कि लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के लिए 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में कैंसर का एक इंस्टीट्यूट कहां के मुख्य मंत्री खोल रहे हैं हमने उनसे पूछा कि कितना पैसा लग रहा है तो उन्होंने बताया कि डेढ़ सौ, दो सौ करोड़ से कम नहीं है। फिर मैंने कहा कि कैसे ला रहे हैं तो उन्होंने कहा वही पी0पी0पी0 के आधार पर लोग खर्च कर रहे हैं लोग आ रहे हैं तो उस सम्बन्ध में कहीं जिक्र नहीं है और उसमें यह बात जरूर है। चूंकि मुख्य मंत्री जी और पूर्व मुख्य मंत्री जी आदरणीय आपके पिता जी यह सब लोग सैफई केन्द्र मानकर करते हैं तो सैफई के लिए आपने ज्यादा प्राविधान किया है। मैं इसको अन्यथा नहीं ले रहा हूं लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इस बड़े प्रदेश में कहीं अन्यत्र भी जाता तो लोगों को लगता कि मुख्य मंत्री जी ने अपने हृदय को बड़ा करके बाकी की जगह भी इसकी व्यवस्था की है। क्योंकि आपने दिया है कि चिकित्सा शिक्षा के लिये कुल प्रस्तावित 1960.01 करोड़ रुपये की कुल धनराशि का एक बड़ा हिस्सा सैफई में आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 249.81 करोड़ और 60 करोड़ रुपया प्रस्तावित करने को कहा है। मेरा कहना है कि बनाये कोई हर्ज नहीं लेकिन वह तो विकसित गांव बन गया है, आदर्श गांव बन गया है पूरे हिन्दुस्तान से ही नहीं दुनिया से लोग आ रहे हैं तो यह कहीं अन्यत्र आप करते तो लोग कहते कि हां बड़ा मन बनाकर किया है ताकि बाकी के लोग भी इसको ले सकें। यह मेरा एक सुझाव है। इसी ढंग से आपने मलेरिया उन्मूलन कीटनाशक के छिड़काव के लिये प्राविधान नहीं है और जो अभी हमारे डा0 राधा मोहन जी अक्सर और सभी लोग और यह सदन भी चिन्तित हुआ था इन्सेफेलाइटिस के कारण। वहां जिक्र तो किया है कि सब ठीक हो रहा है लेकिन केवल मात्र जिक्र है उसके लिये क्या कर रहे हैं ? धन कितना खर्च होगा, कैसे होगा,

स्थायी व्यवस्था कैसे होगी इसका कहीं नहीं है। प्रश्नों के उत्तर के रूप में चीजें आती रहीं लोग प्रश्न करते रहे लेकिन उसको स्थायी स्वरूप प्राप्त नहीं हो सका। बजट में अभी हुकुम सिंह जी ने जिक्र किया था। मैं भी शायद आजम जी उसको अन्यथा न लें मैं आजम जी को बताना चाहता हूं कि मेरी निगाह में साम्प्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव के आधार पर चलता रहा हूं लेकिन जो यहां एक शब्द प्रयोग किया गया है कि मदरसा और मकतब के विकास के लिये 100 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है तो मेरा कहना है कि अगर यहां पर संस्कृत विद्या के लिये भी कर दिया होता, संस्कृत के विद्यालय इतना त्रस्त हैं इतना परेशान हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन वह कैसे आपकी निगाह से हट गया यह विचार करने की आवश्यकता है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए अन्यथा लोग सोचें ना, अन्यथा इस प्रकार की टिप्पणी आपके प्रति न करें, सरकार के प्रति न करें। इसके लिये आवश्यक है, मैसेज देना भी जरूरी है कि जहां हम इसके लिये कर रहे हैं, इसके लिये भी करें। क्योंकि हमारी निगाह में सम्पूर्ण समाज है, समग्र समाज है और जब समग्र समाज की कल्पना की है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। गरीबों के बारे में कहा गया जिसका उल्लेख नेता प्रतिपक्ष ने भी किया था और बाकी लोगों ने भी। मेरा यह कहना है कि जो 25 करोड़ की धनराशि का केवल उनके रोग को दूर करने की दृष्टि से किया है वह बहुत कम है क्योंकि अभी यही प्रश्न सामने खड़ा है मान्यवर, कि गरीबी की रेखा के नीचे की जिन्दगी बिताने वालों की तादात क्या है ? यह बी0पी0एल0 कार्ड धारक कितने हैं ? अगर बी0पी0एल0 के कार्ड धारक की संख्या ले ली जाय और गरीबी की रेखा के नीचे की जिन्दगी बिताने वालों की तादात लें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा।

मैं तो समझता हूं कि 8 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी खराब है, 8 करोड़ से ज्यादा है तो यह राशि उस हिसाब से बहुत कम है और इसलिये उस ढंग से जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं कि चेहरों पर मुस्कराहट आये वह मुस्कराहट नहीं आ पायेगी। वह मर जायेगा बेचारा क्षय से और गुर्दा की बीमारी से, उसकी दुर्दशा हो जायेगी। इसी ढंग से किसानों के बारे में बात हुई। अब किसानों के बारे में कहा गया है कि हम किसानों को ऋण उपलब्ध करायेंगे। ऋण उपलब्ध करायेंगे और उसका विवरण नहीं है इसमें ऋण माने जो किसान ऋण लेगा कितने दर पर ऋण लेगा ? कितने प्रतिशत पर ऋण लेगा ? आपके बगल का जो प्रदेश है मध्य प्रदेश उन्होंने किसानों का एक फीसदी ब्याज कर दिया है। वहां किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर वो कर्जा दे रहे हैं आप भी इस पर विचार कर सकें तो सच में लगेगा कि किसानों की सदन है, किसानों का आपका दल है, हम सब लोग भी हैं और हम लोग किसानों की बातों को इस तरह से बोल देंगे। मैं समझता हूं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि केवल ऋण माफी की बात की गई है और यह कहा गया है कि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। उसका भी विवरण नहीं है। बड़े किसानों को या लघु सीमान्त किसानों को, किसको ? यह अगर चीज आ जाती तो मैं समझता हूं कि उसमें कई ऐसे भी किसान हैं जो केवल सरकारी बैंक वाले नहीं हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गैर सरकारी बैंकों से भी कर्ज लेते हैं उनकी क्या हालत है ? बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो महाजनों से कर्जा लेते हैं और मान्यवर जब से यह सरकार आई है, बुन्देलखण्ड में इस दौरान 15 लोगों की मृत्यु हुई है। केवल कर्जे की वजह से। नाम आप चाहेंगे तो बाद में भिजवा देंगे, मेरा कहना है कि कई ऐसे

किसान हैं जो कर्जे को न चुकाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं बन पा रहा है और इसलिए मेरा कहना है कि इस पर विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से कृषि उत्पादन के लाभकारी मूल्य के बारे में, निर्धारण के बारे में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने घोषणा-पत्र में दिया है।

श्रीमन् जिसमें कहा है कि किसान की उपज की लागत का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो तीन महीने में रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और लागत मूल्य का 50 प्रतिशत उसमें जोड़कर जो राशि आयेगी वह विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा तो मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अभी आपने छापा मारा था और आप भी अपने को तुलवाए थे, इससे आपको भी समझ में आ गया कि खरीद में बहुत धांधली हो रही है। किसानों को पूरा दाम नहीं मिल रहा है। किसान समर्थन मूल्य पा ही नहीं रहा है। आप पचास फीसदी क्या करेंगे, मैं आपके पड़ोसी प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं उन्होंने 100 रुपया बोनस के रूप में दिया है। अभी जो मुझे जानकारी हुई है 800 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में बोनस के रूप में दिया गया है तो आप भी इस पर विचार कर सकें जैसे बाकी की सारी चीजें रही हैं किसानों को लगे कि आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रखने और उनको लगे कि हम सुरक्षित है। हमारे लागत दाम का समुचित तौर पर मूल्य प्राप्त होगा और सरकार हमारे बारे में हित चिन्तन करते हुए उसका बोनस देने को तत्पर होगी। अगर यह कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से बिजली की जो दुर्दशा है उसके तो हम भी शिकार हैं हम लखनऊ पूर्व से चुनकर आते हैं। इन्दिरा नगर में उपभोक्ता गया, बिजली नहीं आ रही थी आपस में मारपीट हो गई। अब पड़े हैं बिस्तर पर, रोज आ रहे हैं हमारे पास कि कलराज मिश्र बिजली दिलायें, अब कलराज मिश्र कहां से बिजली चालू करायें, लखनऊ उत्तर में भी जहां से आपके दल के अभिषेक मिश्र जी हैं, उनके यहां इसी प्रकार की स्थिति है। मुझे लगा कि हम लोग शायद पंडित आदमी हैं इसलिए बिजली जा रही है। श्रीमन्, ग्रामों में सरकार ने ग्रामीण विद्युत फीडर की स्थापना के लिए उल्लेख किया है यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितनी राशि की व्यवस्था की जायेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी आपने एम0ओ0यू0 की बात कही, उसकी समय सीमा खत्म हो गई, काम नहीं प्रारम्भ हुआ उसे आपने 18 महीने का समय और दे दिया। लेकिन उसने काम क्यों शुरू नहीं किया और जो एम0ओ0यू0 हुआ है वह एग्रीमेंट पर चलेगा। एग्रीमेंट में है कि वह जैसा चाहेगा वैसा उपभोक्ता से दाम लेगा। साढ़े दस रुपया उपभोक्ता कहां से देगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पर अगर काम्पटेटिव मीटिंग करते तो ज्यादा लाभ होता इसलिए इस मामले में पारदर्शितापूर्ण काम हो सके उसके लिए काम्टेटिव बीटिंग हो तो ज्यादा अच्छा होगा और इतना ही नहीं डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो हम सब लोगों के लिए आदर्श हैं, उनके नाम पर 300 करोड़ रुपये की नलकूप की योजना प्रस्तावित है। अभी माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी के उत्तर में आया था 5 हजार नलकूप खराब हैं, मेरे पास उत्तर पड़ा होगा, मैं दे दूंगा तो उसके लिए पैसा कहां से आयेगा ? मेरा कहना है कि 300 करोड़ आपने दिया, बाकी का पैसा आप कहां से लायेंगे ? विद्युत फीडरों के अलग से स्थापित करने का सही ढांचा तैयार ही नहीं है, नलकूप किस प्रकार चलेंगे, इस समस्या का एक प्रश्न है यह। मान्यवर, कमजोर वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी हैं, कमजोर वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, हमने प्रारम्भ में कहा, बी0पी0एल0 के सम्बन्ध में जो पृष्ठ सं0-13, 14 और 15 में आपने प्रस्तावित किया है, बी0पी0एल0 की संख्या का निर्धारण कैसे हो और इसको फिर से देखा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसका मानक कैसे निर्धारित हो, अगर एक सा मानक होगा तो

उसको केन्द्र सरकार जल्दी मानेगी नहीं। भारत सरकार का जो योजना आयोग है, वह उसी पर डटे हुए हैं कि 2800 रुपया गांव और 3200 रुपया शहर तो उसके हिसाब से तो सभी लोग अमीर हो गये तो आप बी0पी0एल0 का मानक बनाइये अन्यथा उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है।

यह गम्भीर समस्या है इस कल्याणकारी योजना को ठीक से क्रियान्वित करने के लिए समुचित तौर पर प्रयोग हो, यह प्रयत्न होना चाहिए। आजम साहब से जो हम कह रहे थे जिसका उल्लेख हमारे बाकी लोगों ने भी किया कि मुस्लिम अविवाहित बालिकाओं के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ का प्राविधान किया है। इससे कुछ सामाजिक विभाजन की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। उनको भी दिया जाय लेकिन बाकी लोगों को भी दिया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि बालिकाओं के मन में यह भाव पैदा हो कि हम इस सम्प्रदाय में नहीं पैदा हुए, इसलिए हमारे साथ विभेद किया जा रहा है। शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस ढंग से व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से जो लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाली की बात थी, लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि को बढ़ाने की बात है। मेरा कहना है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए जितना उनको दिया था, उनकी आप पेंशन बढ़ा दीजिए। पहले आपने ही किया था, इसीलिए मैंने कहा है। आपने दिया था, इन्होंने रोक दिया। सम्मान राशि क्या होती है उन्हें पेंशन चाहिए। पेंशन की आपने घोषणा की थी, उसे पेंशन के रूप में दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से मान्यवर, पृष्ठ संख्या-35 पर उच्च शिक्षा के बारे में लिखा है। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में असन्तोष को दूर करने एवं पांचवें एवं छठवें वेतन आयोग के अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है। जब कि इसकी 80 प्रतिशत धनराशि प्रदेश को केन्द्रांश से प्राप्त होनी है और आपने जो शब्द प्रयोग किया है ''लो ग्रॉस इनरॉलमेन्ट रेशियो'' वह केवल 36 जनपदों तक ही सीमित नहीं है, यह लगभग सभी जिलों में है ''लो ग्रॉस इनरॉलमेन्ट रेशियो''। सभी जगहों पर है, 20 प्रतिशत सीटें तदर्थ रूप से बढ़ा दी जाती हैं, उसका जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलेप होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस पर भी बजट चुप है, मौन है। व्यसायिक शिक्षा में आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार से सेंटर आफ एक्सेलेंस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि 507.05 करोड़ की है। कितनी धनराशि का वित्तीय वर्ष में आवंटन किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। यदि करें तो ज्यादा अच्छा है। यह योजना बहुत अच्छी है। इसको जरूर देना चाहिए। मान्यवर, न्याय के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ नहीं कहा गया है केवल वकीलों को आपने कल्याण निधि दी है लेकिन जो हमारा वादी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्थापित न्यायिक सिद्धान्त है कि वादी का हित सर्वोच्च है। उसके लिए तो कोई चिन्ता ही नहीं की गयी है। उसके बारे में विचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं।

आपने स्वयं स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में एक रिपोर्ट के मुताबिक मानक से 60 प्रतिशत पद खाली हैं। प्रदेश में बेरोजगार युवकों के पास रोजगार नहीं है और सरकार के पास कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी कम्प्यूटर के साथ-साथ आप रोजी-रोजगार का भी ध्यान रखें। भर्ती करें तो ज्यादा अच्छा है। कानून व्यवस्था को ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक तभी होगा जब शासन का इकबाल होगा। इकबाल नहीं बन पा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल ही की लखनऊ की घटना है। एक डा0 विनोद नाम का व्यक्ति एक थाने में गया उसको ही मार डाला गया। बदायूं में एक लड़की के साथ रेप हुआ यह बताने की

आवश्यकता नहीं है जो सुबह चर्चा हो रही थी जिसमें देर से शासन के लोग पहुंचे। माननीय मुख्य मंत्री जी शासन का कुछ ऐसा इकबाल बनना चाहिए जिससे यह लगे कि यह वहां आ रहे हैं तो वहां का अधिकारी ठीक हो जाये। वहां के लोग ठीक हो जायें। वह इकबाल नहीं बन पा रहा है। इसलिए कानून-व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है जो अपेक्षा थी कि कानून-व्यवस्था और अच्छी होगी वह नहीं हो पा रहा है। इसकी चिन्ता होनी चाहिए कि कानून-व्यवस्था कैसे ठीक हो। यह बिजली का खराब होना, बाकी सारी चीजें यह कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। इसलिए अंत में बजट की प्राप्तियां और व्यय, राजकोषीय घाटा, लेखे-जोखे के समायोजन के उपरान्त अन्तिम जो सत्य है वह इंगित कर रहा है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5 प्रतिशत के ऊपर है। जब यह स्थिति है तो यह बजट कितना स्वप्न जीवी हैं और सरकार कितनी स्वप्न पोषित हैं इसकी सहज कल्पना की जा सकती है लेकिन अध्यक्ष जी इस सबके बाद भी जो उत्तर प्रदेश का नारा है कि हम होंगे कामयाब, इस नारे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के नेता के रूप में माननीय श्री प्रदीप माथुर जी सम्बोधित करेंगे। मैं आपको लिखकर भिजवा देता हूं। क्योंकि आज ही अम्बिका जी ने एक क्वेरी की थी तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं अपना सारा समय श्री प्रदीप माथुर जी को देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह आपके दल के नेता बनाये गये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं लिखकर दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत थोड़ा समय बचा है। माननीय नेता सदन यह एक परम्परा रही है कि जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो नेता सदन रहते हैं लेकिन हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह भी परम्परा डाल दी थी कि कोई भी दलीय नेता बोलेगा तो उपस्थित रहना चाहिए और जब वह नहीं रहते थे तो कोई भी दलीय नेता नहीं बोलता था। इसलिए इस परम्परा को मैंने आगे बढ़ाया। चूंकि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी रहते थे इसलिए ऐसा किया। अन्यथा आपकी कोई आवश्यकता नहीं थी, नेता विरोधी दल के बोलने के बाद आप जा सकते थे।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं, हमारे नौजवान मुख्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जो पेश किया हुआ बजट है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मान्यवर, इस बजट के बारे में हम उम्मीद करते थे कि एक विजन वाला बजट होगा, एक विकासोन्मुख बजट होगा, पर इस बजट को देखकर ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की चुनाव घोषणाओं की पूर्ति का ही यह बजट है। मान्यवर, मन्शा अच्छी है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने सोंचा कि टैबलेट, लैपटाप और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेरोजगारी भत्ता, कम्प्यूटर और किसानों की कर्जों की माफी दिलाकर उन्होंने इस बजट में तो अपनी घोषणाओं की ही पुष्टि की है। आप यदि इस बजट को पढ़े और लिखें तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बजट 2012-2013 का है, 02 लाख 110 करोड़, सबसे ज्यादा बढ़ाकर बजट दिया गया है। 18 परसेन्ट ज्यादा यह बजट पूर्ववर्ती बजटों के हिसाब से है और योजना का आकार भी काफी बड़ा है और 5700 करोड़ का घाटा भी दिखाया गया है परन्तु जी0डी0पी0 रेशियों को आपने दस परसेन्ट बढ़ा हुआ दिखाया है पर हालात और परिस्थितियां जो दिखा रही हैं मान्यवर, मंशा अच्छी है और सोंच अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी उस सोंच को आगे ले जायेंगे और उसे कर के दिखायेंगे क्योंकि हमने देखा है एक लम्बे अर्से से हर बार कोई सरकार आती है, उन्हीं मुद्दों को पेश करती है, नये ढंग से पेश करती है। मुझे याद है जब पांच साल पहले समाजवादी पार्टी थी और उसके जो सारे मुद्दे थे, उनकी इस बजट में पुनरावृत्ति की गई है, उन नामों से और उन्हीं बजटों को आगे-पीछे लोकेट कर दिया गया है। मान्यवर, मैं मंशा साफ मानते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी की और पूरे कैबिनेट की मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी प्रदेश की तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने औद्योगीकरण की बात की है, औद्योगीकरण मान्यवर, तभी हो पायेगा जब प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक होगी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एथार्टीज को देखिये, उन एथार्टीज में वह इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं रह गये मान्यवर, कितनी यूनिट्स वहां चल रही हैं, टोटल बिल्डर्स के हब बनकर रह गये हैं। वहां सारी की सारी वर्तमान में हमारे सामने के लोग बैठे हैं जिस तरह से लूटकर खाया इन्होंने जिस तरह से बरबाद किया मैं उम्मीद करता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा एथारिटीज को इण्डस्ट्रियल एथारिटी का एक रूप देंगे न कि बिल्डर्स के हब के रूप में। आप देखिये कितने बड़े-बड़े घोटाले हुए, मैं इन पर आरोप लगाना चाहता हूं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं, आपसे उम्मीद करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे की ओर जरूर ध्यान देंगे। आप औद्योगीकरण की बात करेंगे, लेकिन जब तक आप कोई औद्योगीकरण की नीति नहीं लायेंगें, तब तक कोई फायदेमन्द, कारगर साबित नहीं होंगें क्योंकि वर्तमान में पूरे प्रदेश के जो पूरे जिले है, आप सब इण्डस्ट्रियल एरिया को उठा कर देखिये, सारे बन्द पड़े हैं, सारे के सारे सिक पड़े हैं, कोई इण्डस्ट्री नहीं चल रही है, तभी तो जरूरत पड़ रही है आज बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने की, टैबलेट, लैपटाप बांटने की, यदि वह यूनिट्स चल रही होती प्रदेश की तो यह सब बेरोजगार वहां कार्यरत होते। मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस तरफ से देखिये कि जो सिक इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं, उन यूनिट्स के जो ओनर हैं वह उन जमीनों को ऐज ऐ बिल्डर बेचना चाहते हैं न कि उन यूनिट्स को चलाना चाहते हैं।

आप किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए कि किसी का भी इण्डस्ट्रियल एरिया वह लाइव है क्या वह चल रहा है, कहीं भी नहीं, इस प्रदेश में कोई भी इण्डस्ट्री नहीं चल रही है मान्यवर, आपने आई0टी0 हब की बात की है। आई0टी0 हब के लिये आपको एरिया चुनने पड़ेंगे और मैं चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी के आई0टी0 हब ऐसी जगह बने, बड़े-बड़े शहरों में हमेशा प्रगति होती रहती है। नये-नये आयाम खुलते रहते हैं, आप आई0टी0 हब उन जगह बनाइये जो जगह अप्रोच बल हों, जहां और ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, जहां आलरेडी डेवलप शहर है वहीं आई0टी0 हब बना देंगे तो प्रदेश का कोई फायदा होने वाला नहीं हैं आप ऐसी जगह आईडेन्टीफाई कराइये जहां लोग आयें, जायें और आई0टी0 हब बने, उस इलाके का भी विकास हो। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केन्द्र

सरकार की हमारी तमाम स्कीमें हैं, मैं जानता हूं कि एन0आर0एच0एम0 में कितने बड़े घोटाले हुए, कितना बड़ा काण्ड हुआ, देश का सबसे बड़ा एन0आर0एच0एम0 घोटाला, शर्म से डूब मरने की बात है। मान्यवर, इसी तरह से जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन, पी0एम0जी0एस0वाई0, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, परन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी आपने जिक्र तो किया है केन्द्र सरकार की योजनायें का अब आपको केन्द्र सरकार की योजनाओं को इस्तेमाल करने के लिये एक कण्ट्रोल रूम बनाना पड़ेगा। हमारा प्रदेश क्यों पिछड़ जाता है, आप दक्षिणी राज्यों को देखिये, उनके विकास की डी0पी0आर0, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एडवांस में तैयार होती है। उनके यहां विकास की डी0पी0आर0 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स एडवांस में तैयार होती है। हमारे यहां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूल मिशन बिल्कुल पिछड़ गया। दो साल बाद आपकी समाजवादी पार्टी जब पिछली सरकार में थी तब यह था कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का पैसा आना है। आज यदि आप पढ़े लिखे युवा मुख्य मंत्री हैं, आपका विजन है तो आप सोचेंगे कि आपकी केन्द्र सरकार में कौन सी स्कीम्स है, आप उनकी डी0पी0 आर्स एडवांस में बनवायेंगे और आपके आफिसर्स जा करके एडवांस में पैरोकारी करेंगे तब आप केन्द्र सरकार से पैसा ला पायेंगे। वरना यहां लकीर पीटते रह जाते हैं, केन्द्र सरकार की योजना नहीं आ पाती, यहां के अधिकारियों को सही तरीके से डी0पी0 आर्स बनानी नहीं आती, कोई डेवलपमेन्ट प्लैन्स बनाने नहीं आते और प्रोजेक्ट की परियोजनायें ढंग से बनानी नहीं आती। हम वही पुरानी लकीरों पर चल रहे हैं जो चलती चली आ रही है। हमने तमाम सरकारें बदलती देखी हैं, आती जाती देखीं, पर सबके कार्यकलाप लगभग एक जैसे रहे हैं। विधान सभा में हम लोग बोलते हैं लेकिन मैदान में क्या हो रहा है वो देखने की बात है। मान्यवर, जहां तक सड़कों का प्रश्न है, इन 5 सालों में सड़कों का जो हुआ उसका तो ईश्वर ही मालिक है परन्तु आपसे उम्मीद है कि आप सड़कों का जाल पूरी नेटवर्किंग से बिछायेंगे। हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने जो विधान सभा वाइज यूनिट बनाने का एक प्रपोजल दिया है कि 403 विधान सभाओं का आप एक यूनिट बना करके चलिये और सर्वांगीण विकास तब ही होगा जब 403 विधान सभाओं में आप अपनी विकास की बात करेंगे। मान्यवर, आपके मुंह से हमने सुना और आपसे हमने कहा भी कि पर्यटन में उत्तराखण्ड के जाने के बाद प्रदेश में पर्यटन इण्डस्ट्री बिल्कुल शून्य हो गयी है। कोई परिपक्व टूरिज्म पालिसी नहीं बनी है। जबकि देश का सबसे बेहतरीन ताजमहल हमारे प्रदेश में है। हमारे पास गंगा यमुना संस्कृति के मथुरा, वृन्दावन जैसे शहर, फैजाबाद जैसे शहर, बनारस जैसे शहर हैं।

तमाम शहर ऐसे पड़े हैं जहां पर हम पर्यटन की संभावनाओं को खोज सकते हैं। परन्तु मान्यवर, 100 करोड़ से भी कम का बजट रखा गया है। हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप पर्यटन का बजट जरा ज्यादा बनायें। आप दुनिया भर के टूरिट्स को जब अट्रैक्ट करेंगे और जब वे प्रदेश की पर्यटन व्यवस्थाओं को देख करके जायेंगे तभी वो अपने देशों में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा प्रदेश है। आप जाइये वहां माहौल अच्छा है। वहां फैक्ट्री लगाइये, टूरिज्म से सम्बन्धित फैक्ट्री लगाइये। इसी तरह हम लोग कल्चरल हैरिटेज में हम मजबूत हैं परन्तु सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप कल्चर को भी आगे बढ़ाने के लिये आपने दुनिया देखी है और तमाम साथियों ने यहां दुनिया घूमी है। आप देखिये और देशों में कल्चरल हैरिटेज के लिये क्या-कया किया जाता है, वहां टूरिस्ट कैसे जाता है। मैं कम से कम आपसे उम्मीद करता हूं क्योंकि आपकी सोंच पॉजिटिव है। आप सोचते हैं कि विकास होना चाहिए तो टूरिज्म और कल्चरल हैरिटेज की तरफ आप विशेष ध्यान

दीजिये, उनका बजट बढ़वाइये। इसी तरह आपने घोषणा करी कि आगरा में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ किया लेकिन एक काम अच्छा किया कि यमुना एक्सप्रेस-वे बना दिया क्योंकि उस पर हमने चल के देखा, हम मथुरा से सवा घण्टे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। यदि आप आगरा में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो मथुरा और आगरा के बीच में बनाइये जिससे कि नोयडा, ग्रेटर नोयडा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के लोगों को फायदा होगा। मैं जानता हूं कि आपने वायदा किया है, आप इस पर भी चिन्तन करेंगे कि उसका राइट लोकेशन सही स्थान क्या होना चाहिए। मान्यवर, जहां तक सड़कों को मामला है, आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से सड़कें बनवाइये। बी0ओ0डी0 से सड़कें बनवाइये। पी0डब्ल्यू0डी0 में थोड़ी सख्ती करिये क्योंकि नीचे का मामला सब बिगड़ा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि मा0 शिवपाल जी पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। मान्यवर, इसी तरह पिछले 5 सालों में कोई नहरों की सफाई नहीं हुयी, हमने नहरों की सफाई होते नहीं देखी और हुआ क्या कि नहरों को पाट के उन पर कब्जे कर लिये गये और उन पर मकान बना लिये गये। मैं समझता हूं कि आपका बजट का सही से उपयोग करायेंगे जो नहरों की सफाई पिछले 5 सालों से नहीं हुयी है, उन नहरों को ढंग से खुदवायेंगे और उसमें पारदर्शिता लायेंगे। इसके अलावा मान्यवर, जहां तक आवास एवं शहरी नियोजन का सवाल है। मान्यवर, आपको अपनी डेवलपमेन्ट अथारिटीज की तरफ ध्यान देना होगा। गाजियाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटीज, मथुरा-वृन्दावन डेवलपमेन्ट अथारिटीज, कानपुर डेवलपमेन्ट अथारिटीज, लखनऊ डेवलपमेन्ट अथारिटीज इतनी सारी डेवलपमेन्ट अथारिटीज हैं, उसमें भी क्या मामला है मान्यवर, जो प्रदेश एक जबरदस्त....

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, अब खत्म करें, समय हो गया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बस दो मिनट, दो मिनट। मैं आ रहा हूं अपनी बात पर। एक जो आपने प्रदेश में अपने बजट में व्यवस्था करी है शहरी नियोजन की, उन अनआथोराइज्ड कालोनियों की तरफ अनअप्रूव्ड कालोनीज की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, जो हर शहर में, हर प्रोग्रेसिव देहातों में जो मशरूमिंग ग्रोथ हो रही है, यदि आपने उनको नहीं रोका तो वह मकड़जाल प्रदेश में बन जायेंगे। आपने इस बजट में उन अनअप्रूव्ड कालोनीज की नियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आप देखिये यहां 403 विधायक बैठे है। जो इस तरह की कालोनीज हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं होती हैं, खेत में प्लाट काट दिये और बनाकर बेचकर चले गये, न वहां नालियां हैं, न वहां खड़न्जा है न बिजली है और वहां प्रदेश के निवासी जो हमारे आप सबके वोटर हैं, वह मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हैं और उसके लिये आपने कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया कि उन कालोनीज के जिए जो शहरों से लगी हुई हैं उनका कैसे विकास किया जाएगा। मान्यवर, ऊर्जा का मामला है। आपने थर्मल पावर की बात कही है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस शासनकाल तक जितने भी पावर प्लांट लगे, लगे उसके बाद किसी भी सरकारों की यह मंशा नहीं रही। आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लगवाइये। आप फर्स्ट क्लास पावर प्लान्ट लगवाइये और जहां तक आप कोयले की तोहमत हमारी केन्द्र सरकार पर डालते हैं। आप अपना कोल विदेशों से इम्पोर्ट करिए और किसी तरीके से मंगवाइए। खाली केन्द्र सरकार से यह कहकर कि आप हमें कोयला उपलब्ध नहीं करवाते हैं, ठीक नहीं है। कोयले उपलब्ध कराने की

जिम्मेदारी आप अपने खुद के रिर्सोसेज से करवाइये। मान्यवर, आपने खेलकूद के लिए बताया कि लखनऊ में स्टेडियम बनवायेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी मैं आपकी तबज्जो चाहूंगा कि जो खेलकूद के लिए सारे के सारे जिलों में स्टेडियम बना रखे हैं। उनकी दुर्दशा की ओर जरा देखिये। एक भी स्टेडियम इस्तेमाल नहीं होता है। वह चारागाह बने हुए हैं और उसमें खेल की प्रतिभाएं कैसे आयेंगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, अगर अभी आपका कुछ और बच गया है तो कल बोल लीजियेगा। अब बैठ जाएं। अब पांच बज गया है बन्द करिये। कल दूसरे लोग भी दे दीजियेगा, अब कल बोलियेगा। अब पांच बजे से ज्यादा चर्चा नहीं चलती है। अब पांच बज गया है, चर्चा 5 बजे बन्द हो जाती है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, दो मिनट का समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब दो मिनट कैसे, कोई नियम तो मानिए। आप तो बड़े सीनियर मेम्बर हैं। अब चर्चा नहीं होगी। इनकी बात खत्म हो रही है।

श्री प्रदीप माथुर-

हायर एजूकेशन के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन हो रहा है। केवल बजट में एलोकेशन करने से काम नहीं चलता है मान्यवर, आप उन विश्वविद्यालयों में जाकर देखिये कि आज शिक्षा का स्तर किस तरह गिर गया है। यदि बड़े बजट का प्रोविजन हायर एजूकेशन में किया गया होता केवल शिक्षा के सुधार के लिए उसके स्टेण्डर्ड को बढ़ाने के लिए और उसको अपने अच्छे स्टूडेन्ट निकालने के लिए जो देशों-विदेशों में नाम रौशन करें, उस तरफ आपने बजट का प्रोविजन किया होता तो हम मानते कि आपका विजन बहुत दूरगामी है, पर मैं उम्मीद करता हूं, हमने अभी आशा नहीं खोई है। मा0 अखिलेश जी, मुख्य मंत्री बने हैं, पहली बार बने हैं और सीधे मुख्य मंत्री बने हैं, जब सीधे मुख्य मंत्री बने हैं, तो अगला बजट मैं उम्मीद करता हूं कि आपका विजनरी बजट होगा। आपका बजट विकासोन्मुख होगा।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का.....

श्री अध्यक्ष-

अब आज नहीं, आप कल बोलियेगा। बैठ जाइए। अब आप लोग कल बोलेंगे आज 5 बज गया है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

इसमें पहली सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा रवोठा बाजार में बन्द पड़े स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश लोक

सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में राशन की दुकानों का राशन माफियाओं द्वारा भारी संख्या में निलम्बित व निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद गाजीपुर स्थित बीरपुर पम्प कैनाल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री राघव लखन पाल शर्मा की प्रदेश में एन0सी0टी0ई0 ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य किया है। टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मडिहान में वर्ष 2011-12 में किसानों की धान की खरीद से सम्बन्धित रुपयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। सातवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की स्वीकृत निर्वाचन क्षेत्र महोबा में बसपा समर्थक उम्मीदवारों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। आठवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की गाजियाबाद स्थित कविनगर इन्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-17 को परिवर्तित कर इन्स्टीट्यूट आफ लॉ एकेडमी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। नवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की महाराजगंज स्थित लोटन काल्हुई मार्ग बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था किन्तु अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की देवरिया स्थित शिवानी बालिका जूनियर हाई स्कूल को दिये गये मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री नीरज कुशवाहा मौर्य की प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री विजय बहादुर यादव

2-श्री अजय मिश्रा

3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

4-श्री धर्मपाल सिंह

5-श्री विजय कुमार दुबे

6-श्रीमती नन्दिता शुक्ला

7-श्री आरिफ अनवर हाशमी

8-श्री श्यामदेव राय चौधरी

9-डा0 दलवीर सिंह

10-श्री अली यूसुफ अली

11-श्री राजबली जैसल

12-श्री प्रदीप चौधरी

13-श्री पंकज कुमार मलिक

14-श्री मुकेश श्रीवास्तव

15-श्री उमाशंकर सिंह

16-डा0 अरुण कुमार

17-श्री रवीन्द्र जायसवाल

18-श्री जगन प्रसाद गर्ग

19-ठा0 सूरजपाल सिंह

20-श्री गुटियारी लाल दुबेश

21-श्री राजेश त्रिपाठी

22-श्री अगयश राम सरन वर्मा

23-श्री बावन सिंह

24-श्री मनीष असीजा

25-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द

26-साध्वी निरंजन ज्योति

27-श्री मदन चौहान

28-श्रीमती सीमा द्विवेदी

29-श्री भाई लाल कोल

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना

31-श्री मनोज कुमार

32-श्री सुल्तान बेग

33-श्री कालीचरण सुमन

34-श्री बंशी सिंह पहाड़िया

35-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)

36-श्री रामहेत भारती

37-डा0 धर्म सिंह सैनी

38-श्री जय प्रकाश निषाद

39-श्री उमेश पाण्डेय

40-श्री भगवान सिंह कुशवाहा

41-श्री जाकिर अली

42-श्रीमती सावित्री बाई फूले

43-श्री मुकुट बिहारी वर्मा

44-श्री लोकेन्द्र सिंह

माननीय सदस्यों की सूचनायें अग्राह्य की गयीं।

जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के आर्सेनिकयुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने इसे स्थगित करने का प्रस्ताव किया है इसलिये इसे स्थगित किया जाता है।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने, पानी की लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

सतीश महाना जी उपस्थित नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद महोबा के ग्राम कोहारी में भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित लोगों के उचित इलाज एवं आर्थिक सहयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि जनपद महोबा के ग्राम कोहारी में .....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(संलग्न वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दिनांक 28-5-2012 को भीषण आगजनी की घटना से दर्जनों घर जलकर खाक हो जाने एवं अनेकों लोगों के गम्भीर रूप से जल जाने की सूचना उप जिलाधिकारी को दिये जाने के बाद भी अग्निशमन की गाड़ियां नहीं पहुंची और न ही स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रामीणों द्वारा स्वयं प्रयास करके आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दर्जनों घर जलकर खाक हो गये एवं पीड़ित परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। पीड़ित परिवारों को उचित इलाज एवं आर्थिक सहयोग प्रदान न किये जाने से जनाक्रोश व्याप्त है। मा0 अध्यक्ष द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को स्वीकार करते हुए दिनांक 6-6-2012 को इस पर वक्तव्य दिये जाने की तिथि निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि महोबा से कौहारी की दूरी 50 कि0मी0 है तथा इसका रास्ता ऊबड़-खाबड़ है जिससे अग्निशमन की गाड़ी पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक है। ग्राम कौहारी में दिनांक 28-5-2012 को आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही अपराह्न 01.48 मिनट पर अग्निशमन की गाड़ी घटना स्थल हेतु रवाना हुई थी परन्तु रास्ते में ही ग्राम उटिया में श्री कमलेश पुत्र लालबहादुर निवासी कौहारी द्वारा अपने मोबाइल नं0-9936337483 से यह बताया गया कि आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त सूचना पाकर ग्राम उटिया से अग्निशमन गाड़ी फायर स्टेशन वापस आ गयी।

जहां तक पीड़ित परिवारों को उचित इलाज एवं आर्थिक सहयोग न किये जाने से जन आक्रोश व्याप्त होने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि इस अग्निकाण्ड से कोई भी जन व पशुहानि नहीं हुई है और न ही कोई घायल हुआ है। अग्निकाण्ड में कुल 06 व्यक्तियों के कच्चे व रिहायशी मकान जले हैं। मकान का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है तथा खाद्यान्न व वस्त्र आदि की क्षति हुई है। अग्नि पीड़ितों को निर्धारित नियमों के अनुसार दिनांक 29-5-2012 को गृह अनुदान व अहेतुक सहायता की धनराशि स्वीकृत कर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार के माध्यम से वितरित करा दी गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	नाम व पिता का नाम व पता	गृह अनुदान	अहेतुक सहायता	योग
1	श्री बंशी पुत्र गडू ग्राम कौहारी	3200/-	4800/-	8000/-
2	श्री प्रभु पुत्र रामनारायण ग्राम कौहारी	3200/-	2550/-	5750/-
3	श्री कल्लू पुत्र बली ग्राम कौहारी	3200/-	3150/-	6350/-
4	श्री रणधीर सिंह पुत्र बालादीन ग्राम कौहारी	3200/-	5100/-	8300/-
5	श्री जसीराम पुत्र उत्तम ग्राम कौहारी	3200/-	6750/-	9950/-
6	श्री शोभा सिंह पुत्र भगवान दीन निवासी ग्राम कौहारी	3200/-	6450/-	9450/-

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस अग्निकाण्ड की सूचना मिलते ही यथासंभव पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पीड़ितों को अनुमन्य धनराशि वितरित की गयी है।]

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

माननीय अध्यक्ष जी आपको और माननीय राजस्व मंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस गम्भीर घटना का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवारों को राहत राशि प्रदान की। लेकिन महोदय जो जवाब आया है वह बिल्कुल गुमराह करने वाला जवाब आया है। जिला प्रशासन ने बिल्कुल झूठा जवाब बनाकर भेजा है। कुछ राशि मिली है वह तो ठीक है लेकिन इन्होंने दर्शाया है कि कोई व्यक्ति घायल ही नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो 5 हजार से 10 हजार तक की राशि मिली है, वह काफी अल्प राशि है जबकि क्षति काफी मात्रा में हुयी है। क्या आप इस राशि को बढ़ाने का काम करेंगे तथा जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम मैं पढ़ दूं धर्मेन्द्र सिंह, विजय अहिरवार, जितेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह यह गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, क्या इनको राहत राशि प्रदान की जायेगी तथा इनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपदा राहत में जो राशि दी जाती है, वह नियत राशि है और इस सम्बन्ध में जितना उनको देय था, वह हमने उनको दे दिया है। जहां तक घायल लोगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने सूचित किया है, वह हमें लिखित रूप से दे दें, हम उसकी अलग से जांच करवा लेंगे और अगर यह सूचना गलत पाई जाती है तो गलत सूचना देने वाले के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी और उनको राहत राशि भी प्रदान की जायेगी।

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी में बने लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में स्टाफ बढ़ाने एवं उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड में बने लोकबन्धु राजनरायन....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(संलग्न वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[संयुक्त चिकित्सालय जिसका शिलान्यास 23 सितम्बर, 2006 को तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव ने किया था और उसको 300 बेड का बनाये जाने की घोषणा की थी। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार की मुख्य मंत्री ने उसको 100 बेड का कर दिया। उक्त चिकित्सालय को पुनः 300 बेड करने और उसमें डाक्टर्स, नर्स आदि स्टाफ तथा सभी चिकित्सा विभाग एवं ट्रामा सेन्टर का निर्माण तथा लोकबन्धु राजनारायण की आदमकद प्रतिमा लगायी जाय। डाक्टर्स की कमी एवं ट्रामा सेन्टर न होने से वहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 23-9-2006 को 300 शैय्या का लोकबन्धु राजनारायन संयुक्त चिकित्सालय जनपद लखनऊ में स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु दिनांक 3-12-2007 को मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा 100 शैय्या का चिकित्सालय का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार ही 100 बेड का चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया गया। उक्त निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम है। इस चिकित्सालय का मुख्य भवन व आवासीय परिसर 7.5 एकड़ भूमि पर निर्मित है। उक्त संयुक्त चिकित्सालय हेतु उपलब्ध 7.5 एकड़ भूमि तथा उस पर निर्मित भवन का विस्तार कर 300 शैय्या का चिकित्सालय निर्माण कराये जाने हेतु उपयुक्त कार्यदायी संस्था से भौतिक तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा।]

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां 300 बेड का अस्पताल कब से बनना शुरू हो जायेगा और लोकबन्धु राजनारायन जी की आदमकद प्रतिमा वहां कब तक लग जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने तत्कालीन सरकार जब वहां माननीय लोकबंधु माननीय राजनारायन जी के जन्म दिन पर भी कुछ नहीं करना चाह रही थी तो उन्होंने वहां उनके जन्म दिन और पुण्य तिथि दोनों पर कार्यक्रम आयोजित किया और तभी से वहां पर अस्पताल की फंक्शनिंग शुरू हो पायी, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर, मैं अवगत यह कराना चाहूंगा कि सिर्फ साढ़े 7 एकड़ भूमि वहां उपलब्ध है और यह साढ़े 7 एकड़ भूमि ऐसी जगह पर है, जहां पर इसके विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिये भूमि को देखते हुए जितना भी विस्तार हो सकेगा। इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है कि उसका विस्तार किया जाएगा जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि कब तक पूरा हो पायेगा तो मान्यवर, अभी हमारे लिए तिथि बता पाना संभव नहीं होगा। उस अस्पताल के बारे में माननीय सदस्य श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी ने इससे पहले प्रयास किया है यद्यपि उनकी जिज्ञासा इस प्रश्न पर नहीं है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अभी तक वहां सिर्फ दो एक्स-रे मशीनें लगी हैं और वह भी 100 एम0ए0 की लगी हैं उसके बदले 300 एम0ए0 की बड़ी वाली एक्स-रे मशीन दे दी जायेगी जो 500 बेड के हास्पिटल में उपलब्ध है। पैथालॉजी में वहां ऑटोएक्लाइजर नहीं है सिर्फ सेट्रीक्यूज मशीन है लेकिन निर्देश दे दिये गये हैं ऑटोएक्लाइजर मशीन जो यहां सिविल हास्पिटल, बलरामपुर हास्पिटल में है उस स्तर की ऑटोएक्लाइजर मशीन वहां स्थापित की जायेगी। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है तो क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतम जितने बेड का हास्पिटल बनाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था की जायेगी, उसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, उस अस्पताल की जो बेस बना है वह 300 बेड का बनाया गया है लेकिन बसपा सरकार ने 300 बेड के काम को रोककर उसे 100 बेड का कर दिया। इसलिए मान्यवर, उसका बेस

ऐसा है कि उस पर 300 बेड का हास्पिटल बन सकता है। इसके अतिरिक्त मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोकबन्धु राज नारायण जी, जिनका आजादी की दूसरी लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है क्या उनकी प्रतिमा लगाने का काम करेंगे ?

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में गण्डक नदी से हो रहे कटान को बचाने हेतु तटबन्धों एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज में.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[गण्डक नदी के अहिरौलीदान पिपरा घाट (कि0मी0 1.50 से कि0मी0 2.40 तक), नरवाजोत स्पिक (0.800 कि0मी0 से 1.50 कि0मी0 तक) तथा अमवांखास बांध (3.70 कि0मी0 से 4.20 कि0मी0 तक) बंधे की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, नरवाजोत स्पिक पर बने स्पर में लगभग 80 मीटर तक कटान हो चुका है जिसके कारण नदी बंधे से टकरा रही है। उपरोक्त सभी बंधों के सभी हिस्से अतिसंवेदनशील हैं जहां पर बाढ़ के दिनों में कभी भी कटाव हो सकता है और यदि कटाव हुआ तो भारी धन एवं जन की हानि होने की पूर्ण संभावना है। उपरोक्त तटबन्धों पर ठोकरों के बचाव कार्य, रिवेटमेंट तथा नये कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की हानि को रोका जा सके, तटबंधों की दयनीय एवं जर्जर स्थिति की मरम्मत न होने के कारण सदैव बनी रहने वाली विषम स्थिति के मद्देनजर लोगों में चिन्ता तथा रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-श्री अजय कुमार लल्लू, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पर आख्या निम्नवत् है :-

वर्ष 2011 के वर्षाकाल में बड़ी गण्डक नदी अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध के कि0मी0 1.600 से 1.900 के मध्य लम्बवत् प्रहार करने लगी थी। तत्समय बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करके तटबन्ध को सुरक्षित किया गया। तत्पश्चात् माह अक्टूबर, 2011 में गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति पटना द्वारा स्थल के निरीक्षण के उपरान्त कि0मी0 1.600 से 1.800 के मध्य रिवेटमेंट (स्लोप पिचिंग लांचिंग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एप्रन के साथ) तथा कि0मी0 1.900 पर स्थित स्पर के नोज के पुनर्स्थापना के कार्य की संस्तुति की गई। इस कार्य हेतु लागत रु0 611.22 लाख की परियोजना अनुमोदित है। इस अनुमोदित परियोजना पर प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-774/आई0वी0/22ए-108वी/अनु-94/पूंजी लेखा/आवंटन/4711/2012-13, दिनांक 24-5-2012 द्वारा रु0 600.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। उक्त धनराशि से अनुमोदित परियोजना के अनुसार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।

नरवाजोत तटबन्ध के कि0मी0 1.00 एवं 1.500 पर स्थित स्पर वर्ष 2011 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनकी पुनर्स्थापना हेतु रु0 416.17 लाख लागत की परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24-5-2012 द्वारा संस्तुत है। इस परियोजना का राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन होने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। आगामी बाढ़ के दौरान इस तटबन्ध की सुरक्षा हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु व्यवस्थायें की जा रही हैं।

अमवाखास तटबन्ध के किमी0 3.700 से 4.200 के मध्य तटबन्ध की सुरक्षा हेतु गण्डक उच्च स्तरीय समिति पटना द्वारा 4 अदद, 12 मी0 x 6 मी0 स्टडों के निर्माण हेतु संस्तुति की गई है। इस संस्तुति के क्रम में रु0 359.70 लाख लागत की परियोजना तैयार की गई है। आगामी बाढ़ के दौरान इस तटबन्ध की सुरक्षा हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु व्यवस्थायें की जा रही हैं।]

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, इस पर कुछ जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय अम्बिका चौधरी जी को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि इन सब लोगों ने इस मुद्दे को बड़ी गम्भीरता से लिया और हमारे बंधे पर जाकर उसका निरीक्षण किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह तटबन्ध है वह बड़ी संवेदनशील स्थिति में है उस पर 6 करोड़ रुपया आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है लेकिन वहां जो अधिकारी हैं उनकी मंशा रहती है कि समय से काम न पूरा किया जाए और फ्लड फाइड के नाम पर उसमें ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो स्वयं जाकर बंधे पर कहा था कि हम 15 दिन के अन्दर उस काम को कर देंगे तो क्या मान्यवर, निश्चित अवधि में यह कार्य पूरा हो जाएगा। एक सवाल और वहीं पास में नरवाजोत जो तटबन्ध है वहां किलोमीटर 1.0 से लेकर 1.50 तक स्थित जो स्पर बना है जो बिछाया जा रहा है 2011 में .....

श्री अध्यक्ष-

जब आप माइक पा जाते हैं तो कोई सीमा नहीं रखते हैं प्रश्नों की इसमें प्वाइन्ट ढूंढकर एक वाक्य में पूछा जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, ठीक है, उस पर कटान शुरू हो गया है, मान्यवर, कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने धन्यवाद दिया है इसलिए उनको भी धन्यवाद। न सिर्फ यह कि माननीय सिंचाई मंत्री जी और मैं स्वयं जा करके इस बन्धे के कार्य को बाढ़ आने से पूर्व पूरा करने का निर्देश हम लोग दे आये हैं। इसके पूर्व पिछले माह में 21 अप्रैल को मैं स्वयं जा करके आपके जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बाढ़ के सम्बन्ध में बैठक कर आया था। उसका प्रभाव यह था कि वहां बोल्डर की जितनी आवश्यकता थी उसका सारा कलेक्शन उस बंधे पर हो गया था, यह मेरे जाने और निर्देश के कारण ऐसा हुआ कि वहां पर जितने मैटीरियल की आवश्कयकता थी उसका कलेक्शन हो गया है और हम लोगों ने निर्देश दिये हैं कि सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इन्जीनियर और बाकी नीचे वाले तो रहेंगे ही, वह सब वहीं कैम्प करेंगे और 30 जून तक यदि वह बंधे के कटान का सारा कार्य, जिसके लिए सरकार ने पूरा धन स्वीकृत कर दिया, बाढ़ के पूर्व पूरा नहीं कर लिया जायेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। ऐसी उल्लेखनीय कार्यवाही होगी जिससे प्रदेश के सारे इन्जीनिरयर इससे उदाहरण लेंगे और सीखेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ए0पी0 बंधा पर कटान न होने पाये इसके लिए सरकार बहुत गम्भीर है, सारे प्रयत्न किये गये हैं और किसी हालत में कटान नहीं होने दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले प्रमुख राजबहों में टेल तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले 04 प्रमुख रजबहों यथा सगरा रजबहा, अठेहा रजबहा, उदयपुर रजबहा एवं जायस रजबहा शारदा सहायक पोषक नहर से जल पोषित है.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, अध्यक्ष जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सगरा रजबहा की कुल लम्बाई 36.600 किमी0 है तथा इसमें कुल प्रणाली की लम्बाई 158.60 कि0मी0 है। सगरा रजबहा का डिस्चार्ज 340 क्यूसेक है, जो प्रतापगढ़ शाखा के कि0मी0 16.00 के बांयी पटरी से निकलती है। विगत खरीफ 1419 एवं रबी 1419 फसली में सगरा रजबहा के टेल तक पानी पहुंचाया गया था। वर्तमान फसल के रोस्टर के अनुसार सगरा रजबहा को दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

30-5-2012 से चलाया गया है, जिससे कृषकों द्वारा अपने-अपने खेतों की पलेवा एवं धान की नर्सरी अधिकतर क्षेत्रों में डाली जा रही है तथा शेष बचे क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी टेल पर पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।

अटेहा रजबहा की कुल लम्बाई 32.80 कि0मी0, शीर्ष पर डिस्चार्ज 227 क्यूसेक है। इस रजबहा का जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के कि0मी0 13.60 से 32.80 कि0मी0, मध्य का भाग है। इस भाग में गत खरीफ 1419 फसली में पूरी लम्बाई में पानी पहुंचाया गया था। वर्तमान खरीफ 1420 में इस भाग में कि0मी0 13.60 से 20.00 किमी0 तक पानी पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में पानी पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।

उदयपुर रजबहा की कुल लम्बाई 21.301 कि0मी0 है। इसका शीर्ष पर डिस्चार्ज 75.20 क्यूसेक है। इस रजबहा का प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में कि0मी0 10.40 से 21.301 कि0मी0 तक मध्य का भाग है। इस भाग में गत खरीफ 1419 में पानी पहुंचाया गया था। वर्तमान खरीफ में अब तक कि0मी0 10.40 से 13.500 कि0मी0 तक पानी पहुंचा है। शेष भाग में पानी पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।

जायस रजबहा की कुल लम्बाई 57.80 कि0मी0 है व शीर्ष पर डिस्चार्ज 447 क्यूसेक है। इस नहर के कि0मी0 43.00 से कि0मी0 49.600 मध्य का भाग जनपद प्रतापगढ़ से लालगंज तहसील में एवं इस नहर के उक्त भाग में गत खरीफ 1419 में एवं वर्तमान खरीफ 1420 में पानी पहुंचाया जा चुका है।

गत वर्ष खरीफ 1419 में सभी टेलों तक पानी पहुंचाया गया था। वर्तमान खरीफ 1420 फसली में नहरों के सभी टेलों तक पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। खेतों की पलेवा एवं धान की नर्सरी के दृष्टिगत कमाण्ड की सभी नहरों में पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जा चुका है।]

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, यह तो केवल वक्तव्य है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह मुझे मालूम है। केवल इतना चाहते हैं कि आप यह निर्देश दे देंगे कि कम से कम खरीफ में टेल तक पानी पहुंच जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत थाना निगोही में अराजकतत्वों द्वारा अवैध कब्जे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत थाना निगोही में अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30-5-2012 को दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से आख्या प्राप्त की गयी ...

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[प्राप्त सूचनानुसार श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 विधायक निगोही तथा उनके साझीदार श्री राम किशोर गुप्ता की जमीन पर किसी अराजक तत्व द्वारा कब्जा नहीं किया गया। उक्त जमीन थाना निगोही से लगी हुई सड़क के पश्चिम की ओर है, जिसका गाटा संख्या-154 है। उक्त जगह पूर्णतः खाली है। इस जमीन के फुटपाथ पर मा0 विधायक श्री रोशन लाल जी द्वारा एक गरीब सब्जी बेचने वाले को काफी समय से बैठा दिया गया था जो किसी भी समय मा0 विधायक जी के कहने पर वहां से सब्जी उठाकर चला जायेगा।

श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 विधायक जी से प्राप्त अनुरोध पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से 03 गाटों की नाप जोख दिनांक 20-4-12 को करायी गयी थी। गाटा संख्या-154 थाने के पास खाली जमीन पड़ी है। गाटा सं0-334 व 335 की नाम जोख करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना निगोही द्वारा एक रिपोर्ट उचित माध्यम से जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को उक्त गाटों की पुनः पैमाइश दक्षिण से उत्तर की ओर कराने हेतु दी गयी है ताकि पैमाइश से स्थिति स्पष्ट हो सके। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा विगत दिनों मा0 विधायक श्री रोशन लाल वर्मा के साथ निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि पर किसी भी अराजक तत्व का कब्जा नहीं पाया गया। थानाध्यक्ष निगोही श्री जीत सिंह की किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की भूमिका नहीं पायी गयी।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह केवल वक्तव्य स्वीकार था लेकिन आप इस जमीन को लेकर एक हफ्ते से बहुत परेशान थे। कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो आपको विशेष अवसर दिया जाता है पूछने के लिए।

*श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जो पुलिस की सूचना आयी है, मैंने मंत्री जी को भी इसकी एक कापी रिसीव करा दी थी जिसमें जिलाधिकारी की रिपोर्ट आयी है। मैंने कृषि मंत्री जी को भी इसकी एक कापी उपलब्ध करायी। रिपोर्ट में सीधे आया है कि थानाध्यक्ष निगोही गलत हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने यह कभी अपने प्रार्थना-पत्र में भी नहीं कहा कि अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैंने यह कहा कि हमारी जमीन पर अराजक तत्वों से मिलकर थानाध्यक्ष निगोही उस पर गलत हस्तक्षेप कर रहे हैं। उस पर मैंने 16 अप्रैल, 2012 तारीख को जिलाधिकारी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय को पत्र दिया, जांच रिपोर्ट आयी। 09 सदस्यीय जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि थाने के नाम कोई जमीन ही नहीं है। थानाध्यक्ष निगोही औचित्यहीन हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात कह दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप जानते हैं न।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं सब जानता हूं आपका शिष्य हूं सब नहीं जानूंगा तो गुजर होगा ? माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने नियम-51 के सम्बन्ध में जो यह सूचना दी है और आपने विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने की जो अनुज्ञा दी है दोनों के लिए मैं उनको बधाई और आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, जैसे यह मामला मेरे संज्ञान में आया तत्काल मैंने इस सम्बन्ध में पत्र लिख करके अद्यावधिक स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा है।

(श्री रोशन लाल वर्मा के खड़े होने पर)

आप पहले आराम से सुन लें। आप बेचैन क्यों हैं ? अगर आप सुनोगे नहीं तो बताओगे क्या ? इत्मीनान से सुन लीजिए। पहले आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने निर्देश दे दिये हैं कि दूसरी टीम भेज करके उसका सत्यापन करवा लें। दूसरी मुख्य बात यह है कि गाटा संख्या-335 के मामले में एक रिपोर्ट यह आ गयी कि इसके अधिकांश हिस्से पर जिनमें इनका नाम है, उस पर मकानात बने हुए हैं और सड़क की ओर खाली है पिछली नापजोख में। एक 456 या 458 गाटा संख्या और था जिसका आपने पिछली बार उल्लेख किया था, उसके बारे में भी था कि उस पर मकानात बने हुए हैं, सड़क की ओर कुछ जमीन खाली है तो यह रिपोर्ट हमने विस्तृत रूप से मांग ली है कि कितना सड़क की ओर खाली है और माननीय विधायक जी की यदि कोई सम्पत्ति है तो उस पर थानाध्यक्ष निगोही क्यों जबरदस्ती छेड़खानी कर रहे हैं ? इसमें आख्या मांगी गई है उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी यह मैं सदन में आश्वस्त करता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं पत्र लिखा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई थी एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में और 9 लोगों की कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दी है। डी0एम0 ने सीधे-सीधे अपनी रिपोर्ट में दे दिया है कि गाटा संख्या-335 संक्रमणीय भूमिधरों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या-335 में थाना निगोही के नाम कोई भूमि नहीं है। एस0पी0 साहब ने डी0एम0 की रिपोर्ट को छिपाकर अपनी तरफ से रिपोर्ट भेजे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट है उसी को इम्प्लीमेंट करवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप रिपोर्ट दे दें तो अभी मैं बता दूं।

श्री रोशन लाल-

मैं रिपोर्ट आपके पास भिजवा रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह प्रकरण मेरी जानकारी में भी है। इसमें थानेदार का नाजायज हस्तक्षेप है। नाजायज परेशान कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी चूंकि इसमें आपके निर्देश थे इसलिए हमने इस पर तत्काल कार्यवाही की। जो मुझे ज्ञान है वही बता रहा हूं वरना मेरे पास फाइल तो है नहीं। इसमें डी0एम0 ने नापजोख के बाद एस0पी0 को एक चिट्ठी लिखी और एस0पी0 को यह सूचित किया यह जांच रिपोर्ट है और इसके मुताबिक उसमें थाना का 335 पर रिकार्ड के हिसाब से कुछ भी नहीं है। माननीय विधायक जी का नाम और उनके भाई आदि का नाम दर्ज है इनके परिवार के लोगों का। लेकिन उसमें दो थे एक गाटा संख्या-335, 334 का तो था ही 154 पर भी कहा गया था। 154 पर विधायक जी या इनके परिवार के लोगों का नाम दर्ज नहीं है। दूसरे लोगों का नाम दर्ज है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मेरा नाम रिपोर्ट में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं पढ़ रहा हूं आप अपना नाम बता दें। गाटा संख्या-335 संक्रमणीय भूमिधरों के नाम दर्ज है। रामदीन, रामपाल, हेतराम, जागनलाल पुत्रगण बुद्धा यह आपके परिवार के लोग हैं। इसमें राम प्यारी पत्नी स्व0 बुद्धा दर्ज है। इसमें पैमाइश के बाद लिखा गया है कि उपरोक्त पैमाइश करने पर पाया कि गाटा संख्या-154 के अधिकांश भाग में मकान बने हैं कुछ क्षेत्रफल मुख्य मार्ग की तरफ खाली हैं। मैंने स्वयं विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है कि कुछ क्षेत्रफल लिखने से काम नहीं चलेगा आप लिखिये कि कितना क्षेत्रफल है, कितने पर मकान बने कितना खाली है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय सदस्य आपके चेम्बर में चले जाते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए मैं असमर्थ हूं मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। मेरे पास पत्रावली नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये आगे बढ़िये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बोल रहा हूं। आपकी मदद कर रहा हूं लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उस जमीन के लिए परेशान हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट में लिखा है कि उपरोक्त पैमाइश करने पर पाया गया कि गाटा संख्या-154 के अधिकांश भाग में मकान बने हैं कुछ क्षेत्रफल मुख्य मार्ग की तरफ खाली हैं तथा गाटा संख्या-333 के कुछ भाग में 334 के अधिकांश भाग में थाना निगोही के आवासीय भवन बने हैं उसमें इनका नहीं है। गाटा संख्या-335 संक्रमणीय भूमिधरों के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार गाटा संख्या-335 पर किया गया हस्तक्षेप औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें उनकी भी जो रिपोर्ट इन-कम्प्लीट थी उसको डिटेल में मंगवाने के लिए मैंने लिखा है। कार्यवाही करने के लिए लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में....

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि थाना खड्डा क्षेत्र में श्री शम्भू चौधरी, पूर्व विधायक का एक भूखण्ड स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय समिति के नाम से कस्बा खड्डा में उपलब्ध है। उक्त भूखण्ड पर पूर्व विधायक द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर गेट लगा दिया गया जबकि कस्बा के निवासियों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा। कस्बा के निवासियों का कहना है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि उक्त भूखण्ड लैण्ड आफ कोर्ट का है तथा इस पर पूर्व विधायक श्री शम्भू चौधरी भवन निर्माण अथवा रास्ता अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रकरण में उप जिलाधिकारी, पडरौना व क्षेत्राधिकारी खड्डा द्वारा मौके का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। चूंकि अभिलेख पूर्व विधायक श्री चौधरी के पक्ष में है अतएव दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता भी कराया गया था कि सार्वजनिक मार्ग पर उक्त विद्यालय परिसर के सामने न होकर साइड से 30 फीट का रास्ता दिया जायेगा, परन्तु पूर्व विधायक श्री चौधरी द्वारा समझौते का भी सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप स्थानीय व्यक्तियों द्वारा श्री राजू तुलस्यान आदि के नेतृत्व में बाउन्ड्रीवाल का गेट तोड़ दिया गया। इस घटना के अनुक्रम में पूर्व विधायक श्री चौधरी अपने 15-20 साथियों के साथ दिनांक 17-5-12 को पूर्वाह्न में मौके पर पहुंच कर शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया तथा स्थानीय निवासियों के द्वारा विरोध व्यक्त करने पर दोनों पक्ष के मध्य पथराव की घटना हुई, जिसमें कई लोगों को साधारण चोटें आयीं तथा स्थानीय पुलिस के एक आरक्षी रमेश चन्द्र की नाक पर भी पत्थर लग जाने से चोट आयी। उक्त के क्रम में थानाध्यक्ष खड्डा द्वारा मौके पर पहुंच कर शान्ति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया गया एवं थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-232/12 धारा-147/332/333/336/353 भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट विरुद्ध पूर्व विधायक श्री शम्भू चौधरी तथा राजू तुलस्यान आदि कुल 19 नफर नामजद व कुछ अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसमें पूर्व विधायक श्री चौधरी व राजू तुलस्यान सहित 08 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उक्त के क्रम में स्थानीय निवासी श्री योगेन्द्र की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-233/12 धारा-147/504/506/307/336/352/308/325 भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट विरुद्ध पूर्व विधायक श्री शम्भू चौधरी आदि 06 नफर नामजद व 20-25 अज्ञात पंजीकृत कराया गया जिसमें नामित सभी अभियुक्तगण गिरफ्तार होकर जिला कारागार में विरुद्ध हैं।

उपरोक्तानुसार पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0-232/12 व मु0अ0सं0-233/12 की विवेचना दिनांक 24-5-12 को थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया को विधिक निस्तारण हेतु संदर्भित कर दिया गया है तथा साथ ही श्री यादवेन्द्र बहादुर पाल थानाध्यक्ष खड्डा के कथित आचरण में उपरोक्त वर्णित सभी पहलुओं को समाहित करते हुए प्रारम्भिक जांच श्री जय प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को निर्दिष्ट की गयी है। शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

*श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, एक बात इसमें यह कहनी है कि अगर अपर पुलिस अधीक्षक ही वहां के थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच करेंगे तो फिर वह रिपोर्ट क्या देंगे। इसमें अगर समय रहते कार्यवाही कर ली गयी होती थानाध्यक्ष द्वारा तो इतनी बड़ी घटना न होने पाती। इसमें आप मजिस्ट्रियल जांच करा लें तो उपयुक्त होगा। इसमें 8 साल के सैफ अली को चोट आयी हैं घटना में उसको फ्रैक्चर हुआ है। उस पर लाठियों से प्रहार कर हाथ तोड़ा गया है। इसी तरह से 65 वर्ष की महिलाओं पर प्रहार हुआ है। वृद्ध लोगों पर प्रहार हुआ है लाठियों से। मान्यवर, 17-5-2012 को खड्डा नगर से सटे भूमि को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर दो पक्षों के जमीनी विवाद में स्थानीय खड्डा पुलिस द्वारा विवादित स्थल से लौटने पर थाने के सामने रोड से लेकर नगर तक में दौड़ा-दौड़ा कर राहगीर, निर्दोष, नाबालिग बच्चे एवं वृद्ध महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। मान्यवर, पुलिस का काम तो कानून-व्यवस्था का शासन कायम करना है न कि उसे तोड़ना है।

श्री अध्यक्ष-

आप देखें यह केवल वक्तव्य के लिए था मैंने आपको अवसर दिया। आपको चाहिए था कि जो वक्तव्य आया है उसको पढ़कर के आप क्वैश्चन बनाते फिर सरकार से सवाल करते और उनका जवाब आता। आपने पूरा विवरण पढ़ दिया। आप लोगों को अभी प्रबोधन कार्यक्रम में ट्रेनिंग भी दी गयी थी कि कैसे प्राप्त उत्तरों के सम्बन्ध में प्रश्न उठायेंगे। यदि आपको इसमें कोई उत्तर गलत लगता है तो आप उसके आधार पर प्रिविलेज की नोटिस दे दीजियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें कार्यवाही हो रही है।

भारतीय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम उ0प्र0 के सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्डों में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कमिश्नरों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[उ0 प्र0 के सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्डों में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों पर लागू होता है या नहीं, अगर भारतीय सम्पत्ति अधिनियम उ0 प्र0 सुन्नी एवं शिया वक्फ सम्पत्तियों पर लागू नहीं होता है तो आपके मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अपर वक्फ कमिश्नर/जिलाधिकारियों के सम्बन्ध में क्या निर्देश जारी किये गये हैं। उ0 प्र0 राज्य में कितनी वक्फ सम्पत्तियों को भारतीय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत भारत की शत्रु सम्पत्तियों के अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई के द्वारा शत्रु सम्पत्ति घोषित की जा चुकी है। उ0 प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का विवरण में उनकी चतुर्शिमन के सम्बन्ध में दर्ज होता है। अगर राजस्व रिकार्ड में वक्फ को करने वाले अर्थात् वाकिया का है तो ऐसी व्यवस्था में क्या वे सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं रहेगी ? उ0 प्र0 में ऐसी कितनी वक्फ सम्पत्ति है जिनके राजस्व रिकार्ड में भू-स्वामी के रूप में वाकिया अथवा उसके उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होने के कारण कानूनी रूप से वो वक्फ सम्पत्तियां वक्फ नहीं रह सकीं ? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपके मंत्रालय द्वारा विभिन्न जनपदों के कमिश्नर जिलाधिकारियों को क्या इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं ?

वक्तव्य

भारत सरकार द्वारा जारी शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 एवं शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश, 2010 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन भारत सरकार होते हैं जिनका मुख्यालय मुम्बई में है तथा जनपदों के जिलाधिकारी भारत सरकार की ओर से शत्रु सम्पत्तियों के पदेन डिप्टी कस्टोडियन होते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों के लिये अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किये जाते हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैंठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 6 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 185 विधान सभा (332)-12-9-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।